सोमवार, 20 मई, 1985

30 वैशाख, 1907 (शक)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

...LIAMENT LIBRARY
... No.
...

( खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 20 मई, 1985/30 वैशाख, 1907 (शक)

का

<u>शुद्धि-पत्र</u>

विषय सूची, पृष्ठ (1), पंक्ति 11-12, "स्थगन आदेश" <u>के स्थान पर</u> "रोकादेश" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 7, पंक्ति 24, "हेतु राहत कार्य" <u>के स्थान पर</u> "के लिये राहत कार्य" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 12, नीचे से पंक्ति 3, "श्री एम०के०सेन" <u>के स्थान पर</u> "श्री ए०के०सेन" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 24, पंक्ति 13, "(बंकुरा)" <u>के स्थान पर</u> "(बांकुरा)" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 27, पंक्ति 25, "श्री चन्द्र प्रताप सिंह" <u>के स्थान पर</u> "श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 49, पंक्ति 20 के नीचे <u>बाईं ओर</u> "(हिन्दी)" <u>अंत: स्थापित करिये</u> और पंक्ति 27 के नीचे <u>बाईं ओर</u> "(अनुवाद)" <u>अंत: स्थापित करिये</u>।

पृष्ठ 49, नीचे से पंक्ति 5, "अप्रेंस" <u>के स्थान पर</u> "ओफेंस" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 49, नीचे से पंक्ति 3, "सेटिस्फेकशन" <u>के स्थान पर</u> "सेटिसफेक्शन" <u>पढ़िये</u>

पृष्ठ 60, अंतिम पंक्ति, "आतंवाद" <u>के स्थान पर</u> "आतंकवाद" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 64, पंक्ति 5, "फारा 7" <u>के स्थान पर</u> "धारा 7" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 93, नीचे से पंक्ति 12, 13 "टैरिस्ट" <u>के स्थान पर</u> "टैररिस्ट" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 95, पंक्ति नीचे से 3, "श्री पी०नामग्याल" के नाम के ऊपर <u>बाईं ओर</u> "(हिन्दी)" <u>अंत: स्थापित करिये</u>।

पृष्ठ 107, नीचे से पंक्ति 7, "प्रतिस्थापिम" <u>के स्थान पर</u> "प्रतिस्थापित" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 125, पंक्ति 24, "संशोधन संख्या "(57)" <u>के स्थान पर</u> "(5)" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 130, प्रथम पंक्ति, "संशोधन" <u>के स्थान पर</u> "सरकारी संशोधन" <u>पढ़िये</u>।

पृष्ठ 131, पंक्ति 11, "आ" <u>के स्थान पर</u> "का" <u>पढ़िये</u>।

# विषय सूची

अष्टम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 48, सोमवार, 20 मई, 1985/30 वैशाख, 1907 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **सभा-पटल पर रखे गए पत्र** | 2 |
| **राज्य सभा से सन्देश** | 3 |
| **विधेयक पर अनुमति** | 3 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 3—10 |
| (एक) वनों की बड़े पैमाने पर हो रही कटाई को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता | |
| श्री सोमनाथ रथ | 3 |
| (दो) बीड़ी उद्योग में भविष्य निधि के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश को समाप्त कराने की आवश्यकता | |
| श्री वी० एस० विजयराघवन | 4 |
| (तीन) इंदिरा गांधी नहर से पानी रिसने के कारण राजस्थान के सूरतगढ़ क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण प्रभावित हुए किसानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्वास अनुदान और मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता | |
| श्री बीरबल | 4 |
| (चार) पठानकोट को राजस्थान के सीमावर्ती नगर बाड़मेर से जोड़ने वाली बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा करने की आवश्यकता | |
| श्री वृद्धि चन्द्र जैन | 4 |
| (पांच) मूल्यों में वृद्धि को रोकने और वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता | |
| श्री बृज मोहन महन्ती | 5 |
| (छः) कर्नाटक में सूखे से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत और वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता | |
| श्री एस० एम० गुरड्डी | 5 |
| (सात) आई० आई० टी० खड़गपुर के अध्यापकों की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता | |
| श्री नारायण चौबे | 6 |

| विषय | पृष्ठ |
| --- | --- |
| (आठ) मोदीनगर की कपड़ा मिलों का प्रबंध ग्रहण करने की आवश्यकता | |
| श्री बसुदेव आचार्य | 6 |
| (नौ) केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में किसानों से फालतू धान खरीदे जाने और ऋणों के भुगतान में और अधिक समय देने की आवश्यकता | |
| प्रो० एन० जी० रंगा | 6 |
| (दस) आदिवासी और पर्वतीय गांवों में प्रत्येक पंचायत को एक-एक टेलीविजन सैट और एक उपग्रह दूरदर्शन एंटेना दिये जाने की आवश्यकता | |
| श्री पी० नामग्याल | 7 |
| (ग्यारह) मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए राहत कार्य आरम्भ करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता | |
| श्री अजीज कुरेशी | 7 |
| (बारह) काली मिर्च के उत्पादकों द्वारा लिए गए सभी ऋणों के भुगतान के लिए और अधिक समय देने और काली मिर्च पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता | |
| प्रो० पी० जे० कुरियन | 8 |
| (तेरह) फलों और सब्जियों पर भी फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता | |
| श्री हरीश रावत | 8 |
| (चौदह) राजस्थान के बूंदी जिले में केशोराय पाटन चीनी मिल की प्रबंध व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता | |
| श्री शांति धारीवाल | 9 |
| (पन्द्रह) ललितपुर-बांदा रेल लाइन पर तुरंत कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता | |
| श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी | 9 |
| **आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1985** | 10—134 |
| विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री ए० के० सेन | 10 |
| श्री सी० माधव रेड्डी | 25 |
| श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह | 27 |
| श्री जगन्नाथ राव | 30 |
| श्री एन० टोम्बी सिंह | 32 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री अमल दत्त | 35 |
| श्री एस० बी० सिदनाल | 42 |
| श्री चिरंजी लाल शर्मा | 44 |
| श्री मूल चन्द डागा | 47 |
| प्रो० मधु दंडवते | 48 |
| श्री गिरधारी लाल डोगरा | 59 |
| श्री ए० चार्ल्स | 62 |
| श्री जैनुल बशर | 64 |
| श्रीमती गीता मुखर्जी | 66 |
| श्री पी० कुलनदईवेलू | 69 |
| श्री एस० बी० चव्हाण | 71 |
| श्री जी० जी० स्वैल | 75 |
| श्रीमती कृष्णा साही | 80 |
| प्रो० सैफुद्दीन सोज | 81 |
| श्री श्याम लाल यादव | 84 |
| श्री पी० चिदम्बरम् | 87 |
| श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली | 89 |
| श्री पीयूष तिरकी | 91 |
| चौधरी राम प्रकाश | 92 |
| श्री सी० जंगा रेड्डी | 93 |
| श्री बनवारी लाल पुरोहित | 94 |
| श्री पी० नामग्याल | 95 |
| पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री ए० के० सेन | 133 |

# लोक सभा

सोमवार, 20 मई, 1985/30 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11.03 म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ समय पूर्व सदन में प्रधान मंत्री की सीट पर लगी नाम पट्टिकाओं के बारे में कुछ जिक्र आया था । मैंने उन्हें देखा है । जिन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, उन सबकी नाम पट्टिकायें लगाई गई हैं ।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । यह ठीक ही किया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम लिखे गए हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : शास्त्री जी का नाम बाद में लिखा गया । इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह गलती से रह गई थी ।

**प्रो० के० के० तिवारी** (बक्सर) : आप उनकी नाम पट्टिका भी लगा सकते हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मेरे मरने का इन्तजार कीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी इच्छा है कि आप जिएं और पूर्णतः स्वस्थ रहें ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : हम उनके जीवन-काल में ही ऐसा करना चाहते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं प्रधान मंत्री रूस की यात्रा पर जा रहे हैं । मैं समझता हूं वे अपने साथ इस सभा की शुभकामनाएं ले जा रहे हैं । हमारी कामना है कि उनकी यात्रा सफल रहे, और उनकी वार्ता लाभप्रद ठोस और मैत्रीपूर्ण हो ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप नियमित कार्य सूची के अनुसार चर्चा शुरू करें, मैं केवल आधा मिनट लेना चाहता हूं । महोदय, कुछ सदस्य अहमदाबाद गए थे । हमने देखा कि वहां असफलता ही मिली है······

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस बारे में गृह मंत्री से बात कर सकते हैं । आप उन्हें लिखिए ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, वहां असफलता रही है । सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां पर्याप्त सेना होनी चाहिए———

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है । आप उन्हें लिख सकते हैं ।

(व्यवधान)

---

**11.06 म० प०**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**[अनुवाद]**

### राष्ट्रीय कैडेट कोर (चौथा संशोधन) नियम, 1985

**रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : मैं राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय कैडेट कोर (चौथा संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 11 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 94 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1070/85]

### इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ फौरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी, भोपाल, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति ।

(दो) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ फौरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी, भोपाल, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ फौरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी, भोपाल, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति ।

(दो) इंडियन इंस्टिच्यूट आफ फौरेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी, भोपाल, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 1071/85]

---

**11.08 म० प०**

## राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

**महासचिव** : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 मई, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 14 मई, 1985 को पारित किए गए चाय कंपनियां (रुग्ण चाय इकाइयों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1985 के बिना किसी) संशोधन के सहमत हुई।

(2) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 मई, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 15 मई, 1985 को पारित किए गए सिक्का निर्माण (संशोधन) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

---

**11.09 म० प०**

## विधेयक पर अनुमति

[अनुवाद]

**महासचिव** : महोदय, पिछली बार 17 मई, 1985 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1985 को सभा पटल पर रखता हूं।

---

**11.10 म० प०**

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) वनों की बड़े पैमाने पर हो रही कटाई को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ रथ** (अस्का) : बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होने के कारण देश में कुल वन क्षेत्र 16.1 प्रतिशत कम हुआ है अर्थात् 1972-75 में 5.62 लाख वर्ग किलोमीटर से कम होकर 1980-82 में 4.62 लाख किलोमीटर रह गया है। इसमें बड़ी तेजी से कमी आ रही है और यदि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए तुरन्त उपाय नहीं किए गए तो स्थिति बिगड़ जाएगी और इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वनों की कटाई को रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।

### (दो) बीड़ी उद्योग में भविष्य निधि के संबंध में उच्चतम न्यायालय के रोकादेश को समाप्त कराने की आवश्यकता

*श्री वी० एस० विजय राघवन (पालघाट) : केन्द्र सरकार ने जून, 1977 से बीड़ी उद्योग पर भी भविष्य निधि कानून लागू कर दिया था। तदनुसार बीड़ी उद्योग के मालिकों ने श्रमिकों के इसके लिए अंशदान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इस बीच मध्य प्रदेश के दो बीड़ी उद्योग मालिकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में बीड़ी उद्योग में भविष्य निधि लगा दी जो अभी तक जारी है। इस रोकादेश को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। जब तक यह स्थगन आदेश लागू है, श्रमिकों को वैध लाभ प्राप्त नहीं हो सकते।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए तथा इस रोकादेश को यथाशीघ्र समाप्त किया जाए।

### (तीन) इंदिरा गांधी नहर से पानी रिसने के कारण राजस्थान के सूरतगढ़ क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण प्रभावित हुए किसानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्वास अनुदान और मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी केनाल तथा घग्घर बाढ़ कन्ट्रोल के फर्स्ट हैड मस्तावाली से प्रारम्भ होकर सूरतगढ़ हैड (राजस्थान) तक के क्षेत्र में नहरों के पानी के वाटर लोगिंग के कारण भूमि की सतह पर निरन्तर पानी भरा हुआ है। यह वाटर लोगिंग पिछले दो-तीन वर्ष से निरन्तर है। इस वाटर लोगिंग के कारण उस क्षेत्र में स्थित ग्रामों की आबादी में पानी भरा रहता है और जिसके कारण रिहायशी मकान गिर गये हैं तथा वाटर लोगिंग के कारण कृषि भूमि में फसलें नहीं बोई जा सकती हैं और कृषि फसलें बोई जाने योग्य नहीं रही हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन कृषि पैदावार बिलकुल समाप्त हो गया है। सरकार की ओर से अभी तक आर्थिक सहायता कुछ एक लोगों को बराये नाम की दी गई है।

अत: मैं भारत सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि उपरोक्त क्षेत्र में आबाद जिन लोगों के मकानात वाटर लोगिंग के कारण गिर गए तथा समाप्त हो गये हैं उन्हें रिहैबीलीटेशन ग्रान्ट तथा मुआवजा राशि दी जावे तथा जिन लोगों की कृषि भूमि खेती के अयोग्य हो गई है उनकी भूमि को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जावे तथा उनसे विभिन्न प्रकार के ऋण तथा सरकारी एवं बैंकों द्वारा की जाने वाली धनराशि की वसूलियों पर रोक लगाई जावे।

### (चार) पठानकोट को राजस्थान के सीमावर्ती नगर बाड़मेर से जोड़ने वाली बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी सीमावर्ती

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

क्षेत्र में नयी रेल लाइनें स्थापित करने में आजादी के बाद से उपेक्षा की नीति बरती जा रही है।

पठानकोट से सूरतगढ़ तक ब्राडगेज रेल लाइन का निर्माण हो चुका है। सूरतगढ़ से बीकानेर तक रेलवे लाइन का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से बड़े महत्व का है। उक्त निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है।

बीकानेर से जैसलमेर, बाड़मेर, साचोर होते हुए आबू रोड तक ब्राडगेज रेलवे लाइन के बनने से पठानकोट से कोंडला पोर्ट जुड़ जाता है।

कोंडला पोर्ट, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यू० पी० के औद्योगिक उत्थान के लिए बड़ा सहायक होगा।

उक्त रेलवे लाइनें देश की सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन होंगी। राजस्थान कैनाल, जिसे इन्दिरा कैनाल के नाम से पुकारा जाता है, का निर्माण भी युद्धस्तर पर चल रहा है। उक्त नहर जैसलमेर जिले के नाचना और मोहनगढ़ पहुंच चुकी है और लीलवा सागरमल गोपा ब्रान्च के जरिये गढ़रा रोड पहुंचने का राजस्थान सरकार ने निर्णय ले लिया है। उक्त क्षेत्र में नमक, जिप्सम, लिग्नाइट, चना एवं जैसलमेर के पत्थर के अपार भंडार हैं। जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में गैस एवं पैट्रोल मिलने की संभावनायें बढ़ गयी हैं। अतः यह क्षेत्र विकास की ओर बढ़ने वाला है। इस क्षेत्र के विकास के लिए कोडला पोर्ट बड़ा सहायक होगा।

अतः रेलवे विभाग से निवेदन है कि राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती एवं रेगिस्तानी पिछड़े बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, एवं बीकानेर जिलों के विकास की गति को बढ़ाने के लिए पठानकोट से कोंडला वाया बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर ब्राडगेज रेलवे लाइन बनाने का कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर कम्पलीट किया जाये।

## (पांच) मूल्यों में वृद्धि को रोकने और वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**श्री बृजमोहन महन्ती** (पुरी) : उड़ीसा राज्य में अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। वहां मिट्टी का तेल निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर मिल रहा है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह बहुत कठिनाई से उपलब्ध हो रहा है। सब्जी, मछली तथा आम इस्तेमाल की अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं। कीमतों के बढ़ने के कारण निश्चित आय वाले लोग परेशानी में हैं। समाज का निर्धन वर्ग तो बहुत संकट की स्थिति में है। इस स्थिति का बिचौलिए तथा बेइमान व्यापारी पूरा लाभ उठा रहे हैं और उनके इस रवैये के कारण कीमतें बढ़ रही हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करे और इस संबंध में उपयुक्त उपाय करे।

## (छः) कर्नाटक में सूखे से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत और वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

**श्री एस० एम० गुरड्डी** (बीजापुर) : चिक्का वालापुर तथा बीजापेर चुनाव क्षेत्र में

भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। सूखे से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं समस्त बीजापुर, बगपली, मधुगिरि नीलंगला, चिक्का बालापुर, शिदलगहट्टा गोरिबिदनूर तथा कोराटगेरे। उपर्युक्त स्थानों में पेयजल का नितांत अभाव है। लड़कियों को पानी लाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। पशु चारे के अभाव में मर रहे हैं। काम नहीं होने के कारण खेतिहर मजदूर दर-दर भटक रहे हैं। लगभग 70 प्रतिशत कुएं सूख गए हैं और शेष कुएं ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इन दुष्कर परिस्थितियों में सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वह तत्काल पहल करे और मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को मरने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर मास्टर प्लान कार्यान्वित किया जाए।

अत: मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे पेयजल जल के इस गम्भीर संकट पर विचार करें और उसकी व्यवस्था के लिए तत्काल उपाय करें।

### (सात) आई० आई० टी०, खड़गपुर के अध्यापकों की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : आई० आई० टी०, खड़गपुर के बोर्ड आफ गवर्नर्स के चैयरमैन द्वारा रबर प्रौद्योगिकी विभाग के एक सहायक प्रोफेसर की सेवाएं बिना कारण बताए समाप्त करने के आदेश के विरोध में वहां के सभी अध्यापकों द्वारा पूरी तरह से काम बंद किए जाने से गंभीर संकट उपस्थित हो गया है। वहां टाटा की तरह मजदूर-मालिक संबंध पद्धति अपनाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इससे नए विद्यार्थियों के नामांकन के लिए जे० ई० ई० के काम को अंतिम रूप देने में बाधा पड़ेगी। सरकार से अनुरोध है कि मामले को निपटाने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं तथा सहायक प्रोफेसर की सेवाएं समाप्त करने के नोटिस को रद्द करने के आदेश दिए जाएं।

### (आठ) मोदीनगर की कपड़ा मिलों का प्रबंध ग्रहण करने की आवश्यकता

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मैं मोदीनगर की कपड़ा मिलों में काम करने वाले कामगारों की दुर्दशा की ओर वाणिज्य मंत्री का तत्काल ध्यान दिलाना चाहता हूं। तीन मिलें 'ग' 'घ' तथा 'च' लगभग डेढ़ साल से बंद पड़ी हैं। अन्य दो मिलें 'क' और 'ख' अंशत: बंद पड़ी हैं। हाल ही में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है जिसमें मजदूर संघ तथा राजनैतिक दल शामिल हैं। इस समिति ने आंशिक रूप से चलने वाली 'क' और 'ख' मिलों में 13 मई, 1985 से निरन्तर हड़ताल का आह्वान किया है और मांग की है कि मोदीनगर में सभी कपड़ा मिलों को चालू किया जाए। कामगारों की मांगों के समर्थन में मोदीनगर और गाजियाबाद पूरी तरह बन्द रहा। कामगारों में बैचेनी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे और भूख से मर रहे कामगारों तथा उत्पादन के हित में मिलों का प्रबंध अपने हाथ में ले।

### (नौ) केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में किसानों से फालतू धान खरीदे जाने और ऋणों के भुगतान में और अधिक समय देने की आवश्यकता

**प्रो० एन० जी रंगा** (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पूरे आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा 1984-85 में पैदा की गई धान की फसल की बिक्री न होने के कारण हुई उनकी

दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि चावल मिल मालिकों आदि ने कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा उल्लिखित समर्थन मूल्यों पर भी उनसे धान खरीदने से इंकार कर दिया है। चावल मिलों से चावल की खरीद संबंधी नीतियों तथा कार्यक्रमों, आंध्र प्रदेश से बाहर चावल भेजे जाने के विनियमनों तथा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं किए जाने के कारण धान की खरीद फरोख्त में कमी आई है, इसकी कीमतें गिरीं तथा किसानों के पास बिना बिका धान पड़ा है। ऋण समितियों, बैंकों तथा साहूकारों द्वारा किसानों से ऋण चुकाने के लिए किए जाने वाले तकाजों तथा कृषि और परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए किसानों को जिन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से फालतू धान की खरीद के लिए आवश्यक उपाय करे तथा उनके द्वारा लिए गए सामयिक ऋणों के भुगतान पर एक साल के लिए ऋण स्थगन आदेश जारी करे।

### (दस) आदिवासी और पर्वतीय गांवों में प्रत्येक पंचायत को एक-एक टेलीविजन सेट और एक उपग्रह दूरदर्शन एन्टेना दिए जाने की आवश्यकता

**श्री पी० नामग्याल** (लद्दाख) : इस सम्माननीय सदन के सभी सदस्य मांग करते रहे हैं कि देश के जिन भागों में कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं वहां अधिक शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जाएं। हमारे देश की स्थलाकृति ऐसी है कि अधिक शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जाने के बावजूद टी० वी० नेटवर्क में सारे देश में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को शामिल करना संभव नहीं है। अतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है कि देश के सभी आदिवासी और पर्वतीय गांवों में प्रत्येक पंचायत को एक-एक टेलीविजन सेट और एक उपग्रह दूरदर्शन एन्टेना दिया जाए ताकि इन्सेट-1-बी द्वारा दूरदर्शन के क्षेत्रों को सीधे कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकें। परीक्षण के आधार पर इस प्रकार की योजना लद्दाख में सफलतापूर्वक काम कर रही है।

### (ग्यारह) मध्य प्रदेश के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु राहत कार्य आरम्भ करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री अजीज कुरैशी** (सतना) : अध्यक्ष महोदय, सतना (मध्य प्रदेश) एवं पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप से जनता को पीड़ित कर रही है। यहां तक कि सतना, मैहर और अन्य नगरों में जो नगर-निगम और नगरपालिका के क्षेत्र हैं, में भी वहां की जनता को पीने के लिए और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। सतना, नागौद, मैहर, रैगांव, चित्रकोट, अमरपाटन, रामपुर बैंगना, विजय राधोगढ़, और बड़वारा विधान सभा क्षेत्रों और उनसे संबंधित समस्त ग्रामीण क्षेत्र में बारिश की कमी के कारण फसलें तो नष्ट हुई हैं लेकिन वहां के रहने वाले आदमियों और यहां तक कि मवेशी तक को पीने का पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। मवेशी मर रहे हैं और लोगों में बेरोजगारी फैल रही है और उन्हें जीवन-यापन के लिए उचित साधन उपलब्ध नहीं हैं। लोग अपना-अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर भाग रहे हैं।

केन्द्र शासन मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दे कि इस पूरे क्षेत्र में युद्ध स्तर पर राहत कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किए जाएं और विशेष रूप से बड़ी बोरिंग मशीनों का भारी संख्या में प्रबंध कराकर पीने के पानी के संकट को दूर कराने के तुरन्त कदम उठाएं। इन सब कामों के लिए केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान करे।

### (बारह) काली मिर्च के उत्पादकों द्वारा लिए गए सभी ऋणों के भुगतान के लिए अधिक समय देने और काली मिर्च पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (इदुक्की) : मसालों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन में काली मिर्च का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। बहुत से मसालों में काली मिर्च की उपेक्षा की गई जिसके फलस्वरूप भारत ने काली मिर्च के विश्व-बाजार में अपना महत्वपूर्ण स्थान खो दिया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय काली मिर्च के विश्व व्यापार में भारत को 80 प्रतिशत निर्यात किया था जोकि अब घटकर 20 प्रतिशत ही रह गया है। इस सबके बावजूद काली मिर्च उत्पादकों के हितों की रक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रति किलो काली मिर्च पर 3 रुपये निर्यात शुल्क लगाने सम्बन्धी वित्त मंत्रालय के नवीनतम निर्णय से उत्पादकों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिन क्षेत्रों में काली मिर्च की खेती की जाती है वहां 1983 में पड़े भयंकर सूखे के प्रभाव से अभी तक वे मुक्त नहीं हो पाए हैं। इससे काली मिर्च का उत्पादन कम हो गया है और उत्पादकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काली मिर्च की खेती के लिए विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण को लौटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वस्तुत: उन्हें ऋण-भुगतान के स्थगन तथा ऋण पर ब्याज की दरों में रियायत के रूप में विशेष सहायता की जरूरत है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में भारत सरकार से अनुरोध है कि वह काली मिर्च उत्पादकों द्वारा लिए गए सभी ऋणों के भुगतान पर ऋण स्थगन आदेश जारी करने के लिए तत्काल उपाय करे तथा ऋण पर ब्याज की दरों में रियायत करे और हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा काली मिर्च पर लगाए गए प्रति किलो 3 रु० के निर्यात शुल्क को समाप्त करे। अगर उपर्युक्त दो उपाय नहीं किए गए तो काली मिर्च के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में कमी आएगी।

### (तेरह) फलों और सब्जियों पर भी फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत फल व सब्जियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि ये सबसे अधिक खराब व प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित होने वाली वस्तुएं हैं। इनको पैदा करने वाला किसान भी गरीब होता है। अत: फल व सब्जियों को भी फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : लेट आने के बाद गाड़ी मिला करती लेकिन आपके लिए रोक लेते हैं।

**श्री शांति धारीवाल** : आपकी कृपा है।

## (चौदह) राजस्थान के बूंदी जिले में केशो राय पाटन शुगर मिल की प्रबंध व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता

**श्री शांति धारीवाल** (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में स्थित सहकारी क्षेत्र की केशोराय पाटन शुगर मिल की घोर अव्यवस्था की बाबत में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उक्त मिल पहले सरकारी क्षेत्र में थी, परन्तु कई विवाद एवं लगातार घाटे को देखते हुए भारत सरकार ने इसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था। परन्तु जब से भारत सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया है, सहकारी क्षेत्र के प्रबन्ध से भी ज्यादा कुप्रबन्ध अब देखने को मिल रहा है। हर वर्ष घाटा हो रहा है। गन्ना उत्पादकों को वक्त पर पैसा न देना तथा गन्ने के उत्पादन पर कोई प्रोत्साहन न देना ऐसे कई कारण हैं जिससे कि क्षेत्र की जनता में काफी असंतोष व्याप्त है।

मैं खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां के मैनेजमेंट में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए।

## (पन्द्रह) ललितपुर-बांदा रेल लाइन पर तुरन्त कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता

**श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश बुन्देलखण्ड क्षेत्र जिसमें छतरपुर-टीकमगढ़ जिले हैं, कोई रेलवे से आवागमन की सुविधा नहीं है। रेल लाइन के अभाव में कोई उद्योग भी यहां स्थापित नहीं किए जा सकते। यह क्षेत्र दस्युग्रस्त है। गरीबी, बेकारी भी अत्यधिक है। खजुराहो जैसा विश्व विख्यात पर्यटन स्थल यहां है परन्तु वहां के लिए भी कोई रेलवे की सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र हेतु ललितपुर से बादा वाया टीकमगढ़, खजुराहो रेलवे लाइन प्रस्तावित है। इसका सर्वे भी हो चुका है। इस सौ सवा सौ मी० की रेलवे लाइन स्वीकृत हो जाने से इस क्षेत्र में व्यापार तथा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। डाकू उन्मूलन में आवागमन सुविधा होने से सहयोग मिलेगा तथा यहां के पान, सागौन की लकड़ी, खनिज तथा अन्य करोड़ों रुपयों का सामान, जो ट्रकों द्वारा भेजा जाता है, रेलवे लाइन होने से लोगों को सुविधा प्राप्त होगी तथा इस पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा। अतः रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर अनुरोध करती हूं कि ललितपुर बांदा रेल मार्ग शीघ्र ही प्रारम्भ कराया जावे।

---

[अनुवाद]

**श्री कुलन्दईवेलू** (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

**श्री कुलन्दईवेलू** : तमिलनाडु राज्य में टेलीविजन पर राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम थोपे जाने के बारे में हैं। इस बारे में मैं नोटिस भी दे चुका हूं···

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : समय नहीं है।

**श्री कुलन्दईवेलू** : आपने मुझे आश्वासन दिया था कि इसे नियम 377 के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : चलिए पढ़िए अगर समय आपके पास है तो।

**श्री कुलन्दईवेलू** : मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब पढ़ लें, आप अब भी तो पढ़ सकते हैं।

**श्री कुलन्दईवेलू** : मालूम नहीं इसे क्यों नहीं शामिल किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : इसका कोई कारण नहीं है। देखिए उन्होंने उन्हें ही शामिल···

(व्यवधान)

**प्रो० मधु दंडवते** : उन्हें बोलने दीजिए और उसे पढ़ा माना जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको बुलाऊंगा। इसे आप मुझे दे दें और मैं उसे प्रभारी मंत्री को दे दूंगा।

------

11.24 म० प०

## आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

**विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबंधों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक ऐसे समय पर लाया गया है जब आतंकवाद पूर्वी सीमा प्रांत से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक गोया सभी दिशाओं से हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। हम बड़े खतरा तथा चुनौती का सामना कर रहे हैं, और हाल में दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जो बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं, उनसे साफ जाहिर होता है और इसके ठोस कारण मौजूद हैं कि आतंकवाद किसी संगठित गुट द्वारा अपने साधनों से ही नहीं चलाया जा रहा है, अपितु इसके लिए उन्हें बाहरी एजेंसियों की सहायता तथा प्रोत्साहन दोनों प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि इसके पीछे विदेशी हाथ है।

हमने बहुत समय तक इन्तजार किया। आतंकवादियों की ये कार्रवाई कई वर्षों से हो रही है। मैं केवल पंजाब के बारे में बात नहीं कर रहाहूं बल्कि दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी विशेषकर भारत के पूर्वी भाग जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विभिन्न अन्य स्थानों के बारे में भी बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आन्ध्र···

**श्री ए० के० सेन** : अच्छा तो हमें उनके बारे में विस्तृत रूप में नहीं जाना है। लेकिन

हम जानते हैं कि ये कहां हो रहे हैं और कई वर्षों से रहे हैं। इस सदन ने धैर्य से इन्तजार किया है, और सरकार ने भी इन लोगों के प्रति बहुत उदार रवैया अपनाया है; और हमारा ख्याल है कि सामान्य कानून द्वारा इस आतंकवादियों से निपटने के लिए पर्याप्त है। परन्तु पिछला चरण जिसे हमने अपने सामने देखा उसमें बीसियों निर्दोष लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी। बेवजह पुरुष और महिलाएं मारी गईं और उनको अपंग बना दिया गया। आखिर क्यों ?

आतंकवाद और राजनैतिक आंदोलन के बीच भिन्नता यह है कि आतंकवाद का कोई उद्देश्य परिभाषित नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ दहशत पैदा करना है। इसके उद्देश्य प्रकट नहीं किये जाते न ही हम उनके मूल को जानते हैं जबकि राजनैतिक आंदोलन के बारे में पूर्व जानकारी होती है। एक ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य और कारण होता है, तथा उसमें अगर हिंसा और हत्या अपनाई जाए तो सामान्य कानून के अन्तर्गत उससे निपटा जा सकता है। परन्तु अंधेरे में आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए गिरोह बंद लोगों का, जो लोगों की निगाह से बचकर काम करते हैं, कुछ अता-पता नहीं होता, उनके उद्देश्यों का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से कठोर उपायों के बिना उनसे निपटना मुश्किल है। मैं उन्हें सख्त उपाय कहता हूं इसलिए नहीं कि वे सारे कठोर हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वे शांतिपूर्ण जीवन की सामान्य कल्पना के हिसाब से कठोर हैं। कानून व व्यवसाय की समस्याओं से तो सामान्य कानून के अन्तर्गत निपटा जा सकता है। परन्तु हमारे सामने असाधारण स्थिति है जो खतरनाक संभावनाओं से परिपूर्ण हैं जिसको उन बाहरी तत्वों ने बढ़ावा दिया है जो हमारे देश को समाप्त करना चाहते हैं, हमारी लोकतंत्र की जड़ों को काटना चाहते हैं।

हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र आधार पर ही नींव रखी गई है। हम लोकतंत्र कायम रखने के लिए वचनबद्ध हैं। इसलिए यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि राष्ट्र और लोगों को इससे आगाह करें कि इस संकट के कैसे निपटा जाये। इसका मुकाबला तो करना ही होगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हमें इसे समूल नष्ट करना होगा ताकि यह दोबारा से सिर न उठा सके।

जब कभी हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो यह सदन हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। मुझे वह दिन याद आता है जब चीन ने हमला किया था। महोदय उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्होंने आपातकाल के लिए संकल्प का प्रस्ताव किया था। और उन्होंने जोरदार आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक तैयार भाषण पढ़ा जो कि वह बहुत कम करते थे। उन्होंने इन महत्वर्ण शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, "संकट पर काबू पाने का लोगों के लिए यह सबसे उत्तम समय है जिसने हमे चुनौती दी है" जब आप आसान कार्य करते हो तो संकट पर काबू पाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी संकट की घड़ी से गुजरना नहीं होती है लेकिन जब संकट आता है तो यह हमें घेर लेता है और हमारे अस्तित्व के लिए चुनौती बन जाता है जब कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आई है, संसद ने कभी निराश नहीं किया।

1962 में, ऐसा संकट आया और मुझे याद है कि इस संसद ने एक मत से सकल्प पारित किया था। (व्यवधान)। हम भी खड़े हुए थे और उस संकल्प को पारित किया था। 1965 में जब पाकिस्तान ने सहारे ऊपर हमला किया था हमने वही किया और हमने घोर संकट तथा घोर चुनौती को जो हमारी आजादी तथा स्वाधीनता को दी गई थी काबू में किया। 1971 में एक बार फिर हमने एक मत से संकट पर काबू पाया; मुझे याद है कि प्रो० समर गुप्त तथा विभिन्न

अन्य जो दूसरी तरफ बैठे हैं उन्होंने मिलकर श्रीमती इंदिरा गांधी को पूर्ण सहयोग दिया जिन्होंने उस समय गंभीर चुनौती से लड़ने के लिए आह्वान किया था। अब यह धमकी उतनी ही खतरनाक है जिसका हमने सामना किया था जब हम चीन, पाकिस्तान के हमले तथा 1971 में बंगला देश की लड़ाई के विरुद्ध लड़े थे। अन्तर केवल यह है कि हम जानते हैं कि दुश्मन कहां है। वे कहां से हमला करते हैं वे इसके किस प्रकार का युद्ध कौशल अपना रहे हैं लेकिन यहां हम कुछ नहीं जानते हैं कि वे प्रेरणा, साधन, विस्फोटक तथा शस्त्र कहां से प्राप्त कर रहे हैं।

**श्री अमल दत्त** (डायमंड हार्बर) : आप नहीं जानते ?

**श्री ए० के० सेन** : यदि आप सब कुछ जानते हैं तो हमें बताइए।

**श्री अमल दत्त** : मैं नहीं जानता कि मंत्री जी सरकार की आयोग्यता स्वीकार करनी चाहिए अथवा नहीं क्या उन्हें सदन में खुले तौर पर इस स्वीकार करना चाहिए।

**श्री ए० के० सेन** : शायद माननीय सदस्य अधिक जानते हैं और इस बारे में बहुत विश्वास है।

**कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : हमें ईमानदारी का परिचय देना चाहिए।

**श्री अमल दत्त** : यदि मेरे पास सरकार की शक्ति होती तो मैं इसे जान सकता था।

**श्री बूटा सिंह** : जो लोग इसे जानते हैं, वे दूसरी तरफ बैठे हैं।

**श्री ए० के० सेन** : मैं समझता हूं उनके राज्य पश्चिम बंगाल···**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : सदन की कार्यवाही चलाने देंगे या नहीं ?

**श्री अमल दत्त** : मैं नहीं समझता कि यह सब आवश्यक है। **(व्यवधान)** उन्हें इसकी जड़ में आने दो।

**श्री बूटा सिंह** : वही तो वह कर रहे हैं।

**श्री ए० के० सेन** : मैं इसको ही करने की कोशिश कर रहा हूं।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : वह उस पर आएंगे। यह भूमिका है।

**श्री अमल दत्त** : भूमिका के बाद वह बैठ सकते हैं। **(व्यवधान)**

**श्री बूटा सिंह** : हरेक व्यक्ति नहीं जानता है कि उग्रवादी कहां से आ रहे हैं। **(व्यवधान)**

**श्री ए० के० सेन** : समस्या केवल यह है कि मेरे विद्वान दोस्त विधेयक का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं। मैं विधेयक का प्रस्ताव कर रहा हूं और जैसा मुझे उत्तम लगेगा, वैसे मैं विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

**श्री अमल दत्त** : इस विधेयक की क्या आवश्यकता है ?

**श्री एम० के० सेन** : मैं उसी को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल राज्य को भी इससे लाभ होगा जहां मुख्य मंत्री ने धमकी का उल्लेख किया है जिसकी चुनौती वहां भी दी जा रही है। **(व्यवधान)** इस तरह का विधेयक हम इसलिए चाहते हैं जिससे कि हम आतंकवाद

को समाप्त कर सकें इस विषय पर इस सदन में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और यदि ऐसा होता है, तो मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ेगा कि यह उन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित कर सकता है जो आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इस सदन को खुले आम और स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर देनी चाहिए कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। यदि आप इसका समर्थन नहीं भी करते हैं तो फिर भी हम इसे पारित करेंगे।

**श्री अमल दत्त** : यदि आप आश्वासन दें कि इसका किसी वैध राजनैतिक आंदोलन के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जाएगा तो हम इसका समर्थन करेंगे। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, आपको बोलने का तथा आपने सुझाव देने का मौका मिलेगा। यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बोलने का समय दूंगा।

**(व्यवधान)**

**श्री ए० के० सेन** : कृपया अपने संशोधनों का प्रस्ताव करें। उन सब पर चर्चा होगी, यह सभा का नियम है।

**प्रो० मधु दंडवते** : यह चर्चा केवल बंगालियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर एकाधिकार नहीं होने देना चाहिए। माननीय सदस्यों को इतना सब्र तो करना ही चाहिए था कि हम सदन में यह निवेदन करते हैं कि यह उपाय किसी राजनैतिक आंदोलन को दबाने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने कहते हुए शुरू किया···

**(व्यवधान)**

**श्री अमल दत्त** : अधिनियम में यह नहीं है।

**श्री ए० के० सेन** : यह अधिनियम में है।

**अध्यक्ष महोदय** : तो जब समय आयेगा तब आप बताइए। इसे आप अपने आप कर सकते हैं। उन्हें बोलने दीजिये। यह ठीक नहीं है।

**श्री ए० के० सेन** : यदि आप इसका विरोध करते हैं तो विरोध कीजिए।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप फिर वही बात कर रहे हो। आपको आपका समय दिया जाएगा। यह क्या है? विरोध करने का यह तरीका नहीं है।

**श्री ए० के० सेन** : आप इसका खुले आम विरोध करें। यदि कोई इसका विरोध करता है तो इस तर्क के बारे में निर्णय लेना सभा का काम है। परन्तु मैं कहता हूं कि इससे किसी राजनैतिक आंदोलन को दबाने का मतलब नहीं है।

**श्री अमल दत्त** : आप इसका जिक्र अधिनियम में करते। **(व्यवधान)**

**श्री ए० के० सेन** : हर मिनट उठने के बजाय आपको इसका विरोध करना है तथा आप अपने संशोधन का प्रस्ताव करें। हम देखेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बात के महत्वपूर्ण विधेयक पर सभा को दुविधापूर्ण मनःस्थिति का परिचय नहीं देना चाहिए। यदि हजारों लोग

मरते हैं तो दोष हम पर आयेगा। तब हमको दोष दिया जायेगा, आप दृढ़ता से कार्य क्यों नहीं करते हैं।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : महोदय, वह गुस्से में हो रहे हैं। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जान पाया हूं कि आप इसके द्वारा क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्या है ?

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि मुझे माननीय सदस्यों को बताना होगा कि यह सही तरीका नहीं है।

मैं आपको भी समय दूंगा। आपके पास अपना समय होगा और आप जो कुछ चाहते हैं, कह सकते हैं। आप सारे समय व्यवधान डाल रहे हैं। यह ठीक तरीका नहीं है। यह संसदीय तरीका नहीं है। उन्हें बोलने का अधिकार है। उन्हें आजादी है। आपको जो कुछ कहना है आप कह सकते हैं, मैं आपको उसके लिए समय दूंगा।

**श्री अमल दत्त** : वह कह रहे हैं···**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप ऐसी चीज कर रहे हैं जिसका आप प्रचार करते हैं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : वह यह कह रहे हैं। यदि आप समझना चाहते हैं तो आप मेरी बात मानिये। श्री अमल दत्त, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। उन्हें अपने तर्क देने हैं। उसके बाद आप अपने विचार रखें।

**श्री अमल दत्त** : उन्हें 1971 का जिक्र करने की क्या जरूरत है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह आपके कहने पर चलने को बाध्य नहीं हैं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरा काम है। आप अध्यक्ष नहीं हैं। मैं इसे करूंगा। कृपया मेरी सुनिये। मैं आपको भी समय दूंगा। वे आपको सुनेंगे।

**श्री ए० के० सेन** : इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं और हम मिनट-मिनट व्यवधान नहीं डालेंगे। जब संशोधन रखे जायेंगे तो हम हर सैकिण्ड व्यवधान डाले बिना उसको सुनेंगे। और इस समय सभी विचारों को सुना जाएगा। लेकिन इस देश की भूमि से आतंकवाद जड़ से उखाड़ने के मूल विषय के बारे में हम सबको एक होकर कार्य करना चाहिए। **(व्यवधान)**

**श्री अमल दत्त** : इसे पहले किया गया होता। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा, आपको समय मिलेगा। आप तब अपनी बात कहें। यदि आप

इसे फिर करते हैं तो सख्ती से पेश आऊंगा।

**श्री ए० के० सेन** : मैं कह रहा हूं कि आतंकवादियों से निपटने के लिए विभिन्न अवसरों पर हमने कार्य किए। तब कुछ लोगों ने कहा, "आपको लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए" और हमने लचीला दृष्टिकोण अपनाया। सारे लोग जिन्हें विशेष कानून के अन्तर्गत बन्द किया गया था उन सबको छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने अतयंत लचीला रवैया अपनाया।

**(व्यवधान)**

मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि बाद में क्या हुआ। हमने उस तरह के उपाय क्यों किये? सभी जगह बमों का विस्फोट हुआ। इन अत्याधुनिक बमों के विस्फोट का काम साधारण व्यक्तियों का नहीं बल्कि यह काम तो संगठित गिरोह का है जो संभवतः वाहर से आए हैं तथा बाहर से सहायता प्राप्त करते हैं।

**श्री नारायण चौबे** : तो स्रोत है उनका?

**श्री ए० के० सेन** : यदि यह स्रोत होता तो हमें सामान्य कानून के साथ इसमें लड़ना होगा। श्री नारायण चौबे ने कहा है कि मैं गुस्से में हूं। मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं अतने विचारों को गुस्सा या उत्तेजना के बिना रखा करता हूं। और मैं माननीय सदस्य श्री नारायण चौबे से यही आशा करता हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आक्रोश और तीव्रता से तर्कों में जान नहीं पड़ती। अतः हमें अब वास्तविक मुद्दे पर आ जाना चाहिए। देश को एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सब जगह आतंकवादी कार्यवाहियों से यह पता चलता है कि यह शासन को पलटने की संगठित कोशिशें हैं। उन्हें दूर करना होगा, उनसे मुकाबला करना होगा, उनसे लड़ना होगा तथा उन्हें सजा देनी होगी। जो लोग बम विस्फोट करके मासूम लोगों, पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की हत्या कर देते हैं उनका न केवल पता लगाना होगा बल्कि उन्हें सजा भी दिलानी होगी और सजा भी सख्ती से दिलानी होगी। 1982 के शुरू से ही हमने देखा है कि हजारों परिवारों को अकारण मौत के घाट उतारकर कष्टदायक स्थिति बनाई गयी हैं। लोगों को बसों में से घसीटकर उनकी हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए कि वे किसी विशेष समुदाय के नहीं हैं। डाक्टर, वकील, बेकसूर लोग, व्यापारी लोग, पत्रकार, संसद सदस्य सभी उनका निशाना बन गये हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमें कारण का पता नहीं है। इसी कारण मैं राजनैतिक आन्दोलन में और आतंकवाद में भेदभाव दर्शाने की कोशिश कर रहा था। राजनैतिक आन्दोलन में लड़ाई का कारण होता है। अगर वह शान्तिपूर्वक हैं तो वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती। अगर वह बमों, पिस्तौलों आदि से लड़ाई करते है तो सामान्य कानून के अन्तर्गत उससे निपटा जा सकता है। परन्तु आतंकवादी तत्व अंधेरे में लड़ते हैं वे छिपकर आते हैं और जहां चाहते हैं वहां अकारण ही हमला कर देते हैं। उनके शिकार अधिकतर पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे बनते हैं। इसी कारण, इन विशेष शक्तियों की आवश्यकता दो उद्देश्यों से है उनके छुपने के स्थानों का पता लगाने कि वे कहां हैं, उनकी योजनानों तथा गतिविधियों और अन्य विभिन्न कार्यकलापों के बारे में पता लगाने और जब पता लग जाए तो दण्डित करना। इस उपबन्ध के मुख्य पहलुओं पर अलग चर्चा करेंगे। खंड 3 और 4 इस उपबन्ध का मुख्य अंग हैं। अगर हम उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो हम देखेंगे कि इन उपायों का लक्ष्य बिल्कुल भी कोई राजनैतिक आन्दोलन नहीं है। खंड 3 में कहा गया है :

> **"जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या जनता के किसी वर्ग को पृथक करने या जनता के**

विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द भावना को प्रभावित करने के आशय से, बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्युधों या अन्य प्राणघातक आयुधों या विषैली गैस या अन्य रसायनों या अन्य खतरनाक पदार्थों का (चाहे वे जैविक हों) इस तरह से उपयोग करेगा जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या सम्पत्ति को नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में बाधा डालने की सम्भावना हो, ऐसा कोई कृत्य करेगा वह आतंकवादी कार्य करता है।"

अब हमें विधेयक के उद्देश्य को देखना है। राजनैतिक गतिविधियां किसी भी हालत में इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती हैं। पंक्ति 7 को देखें—बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों······जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या सम्पत्ति को नुकसान हो, कोई कार्य या बात करेगा, वह आतंकवादी कार्य करता है। कोई किस प्रकार अपने होश में होते हुए कह सकता है कि इसका उद्देश्य राजनैतिक आन्दोलनों पर है? इसका उद्देश्य उन कार्यवाहियों पर है जहां मानव बिना किसी उद्देश्य के बमों, ज्वलनशील पदार्थों, पिस्तौल तथा अन्य प्राणघातक आयुधों के साथ कार्यवाही करता है तथा लोगों का जान से मारता है तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है। वह कार्य आतंकवादी है। अतः हमें कुछ नहीं कहना हैं सिवाय एक बार और यह आश्वासन देने के कि किसी भी सूरत में राजनैतिक आन्दोलन को दबाने के लिए इस विधेयक द्वारा कोशिश नहीं की गई हैं क्योंकि सामान्य कानून ही पर्याप्त है अगर कोई राजनैतिक आन्दोलन हिंसा का रूप धारण करता है। अगर वह शान्तिपूर्वक किया जाता है तो कोई भी सामान्य कानून इसके आड़े नहीं आता है। अतः खंड 4 पर आयें। इसके अनुसार :

"जो कोई किसी विध्वंसकारी क्रियाकलाप या विध्वंसकारी कार्य करने की तैयारी करेगा उसका षड्यंत्र करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेषण करेगा, पक्ष समर्थन करेगा, सलाह देगा या उद्दीपन करेगा या ऐसे कार्यों का किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।"

इसमें मृत्यु दण्ड का प्रावधान नहीं है। इससे पहले के कानून में अगर कार्यवाही से मृत्यु हो जाती है तो ही मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है, अगर कार्यवाही से मृत्यु नहीं होती है, तो उन्हें कम दण्ड दिये जाने का प्रावधान है। विध्वंसकारी गतिविधि के लिए कम-से-कम 3 वर्ष और अधिक-से-अधिक आजीवन कारावास के दण्ड की व्यवस्था है। विध्वंसकारी गतिविधि की खंड 4(2) में व्याख्या की गई है। माननीय सदस्य कृपया मेरे साथ पढ़ें, इसके अनुसार :

"(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "विध्वंसकारी क्रियाकलाप" से कार्य द्वारा या भाषण या गाने या गाथा या पद्य या शब्दों द्वारा या किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागजपत्र, लेख, रिकार्ड, टेप, वीडियो कैसेट, आलेख, चित्रण, व्यपदेशन द्वारा या किसी भी अन्य रीति से की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है,—

(i) जो······"

यह इसका निर्णायक है—

"(i) जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत की प्रभुसत्ता और राज्यक्षेत्रीय अखण्डता को प्रश्नगत करती है उसमें विघ्न डालती है या विघ्न डालने के लिए आशयित है।"

इसमें कोई राजनैतिक आन्दोलन नहीं आता है। भारत की क्षेत्रीय अखण्डता तथा एकता के प्रश्नों पर समझौता करने की बात ही नहीं उठती। किसी भी ऐसे राजनैतिक आन्दोलन की अनुमति नहीं दी जा सकती जो अपने आपको राजनैतिक आन्दोलन घोषित करके यह कहता हो कि "हम भारत की अखण्डता को समाप्त करना चाहते हैं, हम भारत के हिस्सों को लेना चाहते हैं या उन्हें भारत से अलग करना चाहते हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कई बार इस सदन में कहा है, हमारी अखण्डता और एकता को लेकर किसी भी बात के लिए समझौता नहीं किया जा सकता है। अतः यह किस प्रकार से एक राजनैतिक आन्दोलन होगा जबकि वह कुछ विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ाता हो जिससे भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता को खतरा हो ? हमें उनको नाम से सम्बोधित नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कश्मीर से नागालैंड, मिजोरम आदि तक में ऐसे आन्दोलन हैं। इनका उद्देश्य भारत के क्षेत्र को टुकड़े करना या तो उन्हें अलग करना है या दूसरों को देना है। यह भारत की क्षेत्रीय अखण्डता तथा प्रभुसत्ता का विध्वंस करना हैं। और 2(ii) में कहा गया है :

"(ii) जो संघ से भारत के किसी भाग के टुकड़े करने या भारत के किसी भाग को अलग करने का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दावा करने या ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए आशयित है।"

इसके अन्तर्गत राजनैतिक आन्दोलन का समावेश किस प्रकार किया जा सकता है। मैं जानता हूं, कि जैसे ही यह आयोग, यह प्रश्न उठाया जायेगा। परन्तु हम खंड के शब्दों को पढ़ें। कोई भी सही व्यक्ति इसे पढ़कर यह कभी नहीं कह सकता कि इसका लक्ष्य राजनैतिक आन्दोलन है। परन्तु अगर कोई व्यक्ति कहता है, "मैं भारत के क्षेत्र के टुकड़े कर दूसरों को देने के लिए एक राजनैतिक आन्दोलन चला रहा हूं," तो उसे दण्ड दिया जायेगा। हमारे अनुसार वह एक राजनैतिक आन्दोलन नहीं, एक विध्वंसकारी गतिविधि है। अतः ये ही दो गतिविधियां हैं जिनसे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अकेला दंड इस रोग को समाप्त कर सकने में असमर्थ होगा जिसने हाल ही में सारे देश को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया है अतः हम शक्तियां न्यायालय में जाने से पहले इससे निपटने के प्रयोजन से प्रदान कर रहे हैं, और दण्ड दिलाने का प्रश्न, संगत बन जाए। हम इसकी उत्पत्ति को रोकना चाहते हैं। हम इसको मूल से ही समाप्त करना चाहते हैं। इसी कारण आप खंड 5 के उपखंड (2) में देखेंगे कि हम विभिन्न शक्तियां जो इस बुराई, इस गंदे विध्वंसकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन, से इसके मूल स्रोत पर लड़ने के लिए आवश्यक हैं दे रहे हैं, ताकि यह सारे देश में न फैले और इससे पहले कि यह लोगों को मृत्यु तक पहुंचाये या संपत्ति को नुकसान पहुंचाये यह नष्ट हो जाये।

"(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा और वे किसी प्राधिकारी को इस उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनों के बारे में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले आदेश करने के लिए सशक्त कर सकेंगे, अर्थात् :

(क) किसी बात को रोकना या उसका प्रतिषेध करना जिससे आतंकवादी कार्य या विध्वंसकारी क्रियाकलाप करना सुकर होने की संभाव्यता हो या आतंकवादियों या विध्वंसकारियों के विरुद्ध कार्यकलापों के सफतापूर्वक संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिसमें निम्नलिखित है :

(एक) ऐसे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क······"

अब, यह सभा इस समय यहां सम्भवत: निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती अथवा पूर्वानुमान नहीं लगा सकती कि किस प्रकार से ये ताकतें अपना कार्य करेंगी। वे किस प्रकार से एक-दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगी; वे किस प्रकार से अपने संसाधन, हथियार, तथा प्राणहर शस्त्र विदेशों से जुटायेंगे। यह कार्य हमें जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपना होगा ताकि वे उसका पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करें। इसी कारण नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं।

फिर,

"(दो) किसी विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना किसी ऐसी जानकारी का अर्जन, कब्जा या प्रकाशन जिससे आतंकवादियों या विध्वंसकारियों की सहायक होने की संभाव्यता है;

(तीन) आतंवादियों या विध्वंसकारियों को वित्तीय या अन्यथा कोई सहायता देना;

(ख) आतंकवादियों या विध्वंसकारी क्रियाकलापों से निपटने की दृष्टि से, विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना रिपोर्टों के प्रसार या किसी प्रयोजन के अग्रसर करने को, जिससे अप्रीति या संत्रास उत्पन्न होने या भारत के किसी क्षेत्र या किसी भाग में शान्तिपूर्ण स्थिति बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या भारत की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य, शत्रुता या घृणा की भावना को प्रवर्तित करने की संभाव्यता है, रोकना;

(ग) ऐसे क्षेत्रों के बारे में व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करना, जिनका नियंत्रण आवश्यक या समीचीन समझा जाता है और ऐसे क्षेत्रों से ऐसे व्यक्तियों को हटाना।"

अत: त्रिपुरा राज्य का शासन माननीय सदस्य श्री दत्ता के दल के हाथ में है और आतंकवादी गतिविधियों पर मुख्य मंत्री के भाषण बहुत ही स्पष्ट हैं। किस प्रकार वे उसे दबाने के लिए अधिक-से-अधिक शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये शक्तियां अति आवश्यक हैं।

मैंने आपको बताया है कि नियम बनाने की शक्ति क्यों दी गई है, क्योंकि यह सभा कानून पारित करते समय यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकती कि ये ताकतें बाद में कौन से हथकंडे अपनायेंगे, वह आपस में किस प्रकार सम्पर्क स्थापित करेंगी, कहां से ये लोग अपने लिए संसाधन, सप्लाई तथा अन्य सुविधाएं जुटायेंगे। इसलिए ये शक्तियां नियम बनाने वाले अधिकारियों पर छोड़ दी गयी हैं। और एक सरकारी संशोधन दिया गया है। माननीय सदस्यों ने इसे देखा है। हमने नियम बनाने की शक्ति पर रोक लगा दी है इसीलिए नहीं कि रोक लगाने की आवश्यकता थी। हमने कहा है कि इन शक्तियों का प्रयोग उन अधिकारियों द्वारा किया जायेगा जैसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में किया जाता है। और जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का अधिकारी तथा जहां तक राज्य सरकार का संबंध है जिला मजिस्ट्रेट से नीचे के स्तर का अधिकारी इस कार्य को नहीं करेगा। अत: हमने इसे स्पष्ट कर दिया है—हालांकि मैंने सोचा था कि यह बिल्कुल स्पष्ट है—ऐसा न हो कि कोई अन्य इसे करे। अत: हमने इसे स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ एक जिम्मेदार अधिकारी को ही यह करने की शक्ति होगी।

तत्पश्चात् हमने यह प्रावधान किया है कि कुछ न्यायालय······

**श्री एन० वेंकट रत्नम** (तेनाली) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री एन० वेंकट रत्नम** : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा संगत मुद्दा है।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसमें कोई नियम नहीं तोड़ा गया है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है।

**श्री एन० वेंकट रत्नम** : व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : इन्होंने क्या कहा है ? इन्होंने कोई असंसदीय बात नहीं कही है। इन्होंने नियमों के विरुद्ध कोई बात नहीं की है। व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री एन० वेंकट रत्नम** : व्यवस्था का प्रश्न बनता है। एक मिनट, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई नजर नहीं आता। कृपया कोई प्रश्न न कीजिए। इसकी अनुमति नहीं है।

**श्री एन० वेंकट रत्नम** : यह एक मूल प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई बुनियादी प्रश्न नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

**श्री एन० वेंकट रत्नम** : है, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेरे निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। कृपया बैठ जाइये।

**श्री एन० वेंकट रत्नम** : इसे ऐसे नहीं किया जा सकता, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : बिल्कुल नहीं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। किसी भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही किसी नियम को तोड़ा गया है। अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप अड़े रहेंगे तो मैं आपको बाहर निकालने का आदेश दूंगा।

---

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर)** : प्रस्ताव मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

(व्यवधान)

**श्री ए० के० सेन** : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब गृह मंत्री पर प्रेम बरसता हो तो मुझे ईर्ष्या नहीं होती है।

**श्री बूटा सिंह** : क्या वह शुरू करते समय सो रहे थे। आप कहां थे ?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : शान्त रहिए। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या आप लोग अपने स्थान ग्रहण करेंगे ?

**श्री ए० के० सेन** : महोदय, हम फिर विधेयक पर आते हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : यदि वह आपकी अनुमति लेते हैं तो वह वैसा कर सकते हैं। महोदय, रेल मंत्री महोदय भी इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात उन्हें उस समय पहले ही उठानी चाहिए थी जब वह बोलना प्रारम्भ कर रहे थे। वह ऐसा कर सकते थे और मैं उन्हें अनुमति दे देता। अब कुछ नहीं हो सकता है।

**कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : महोदय, रेल मंत्री महोदय ही क्यों ?

**श्री ए० के० सेन** : विधि के हिसाब से यदि वह चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। महोदय, इसे पेश करने की जिम्मेदारी मुझे सरकार ने सौंपी है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं श्री भगत को पेश करने के लिए बुला सकता हूं।

**श्री ए० के सेन** : महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय के प्रति स्नेह की भावना रखते हुए इसे मजाक का पुट दे रहा हूं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गृह मंत्री महोदय वाद-विवाद के दौरान कुछ न कुछ कहेंगे और वह इस संशय को दूर कर देंगे कि वह बोलने वाले नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम तो आतंकवादियों के विरुद्ध हैं गृह मंत्री महोदय के नहीं।

**श्री ए० के० सेन** : अब हम फिर विधेयक की बात करते हैं। हमने विधेयक का अंग बनाने हेतु इसमें मृत्यु दण्ड का प्रावधान रखा है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : श्री बूटा सिंह को इसे पेश करना चाहिए।

**श्री ए० के० सेन** : अभिहित न्यायालयों द्वारा विचारण के उद्देश्य से यदि सरकार ऐसा समझती है कि यह आवश्यक है तो हमने वह परिभाषित कर दिया है कि अभिहित न्यायालय कौन से हैं—सेशन्स सेशन जज और आप देखेंगे कि इसका उल्लेख उस समय का दिया गया था जब अभिहित न्यायालय को कार्यवाही करने के लिए कहा जाएगा। पृष्ठ 7 पर धारा 8 में कहा गया है :

"कोई अभिहित न्यायालय, यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझता है तो उस राज्य में, जिसमें वह गठित किया जाता है, अपनी बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी स्थान में अपनी किसी कार्यवाही के लिए अधिविष्ठ हो सकेगा।"

विक्षुब्ध क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह बहुत ही आवश्यक है जहां पर न्यायालय ठीक प्रकार से कार्य न कर सके और यह करना न्यायालय पर छोड़ दिया जाए कि वह कहा अधिविष्ठ हो ताकि इसके स्थान के बारे में इसके कार्य क्षेत्र तथा विभिन्न अन्य बातों को लेकर वितण्डा न उठाया जाए।

और फिर यदि आप धारा 9 को देखें को यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 9 की उपधारा (1) में कहा गया है :

"संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये किसी नियम के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध उस अभिहित न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह किया गया था।"

इसका अर्थ है कि वह अभिहित न्यायालय जिसके कार्य क्षेत्र में घटना विशेष घटी है।

यदि आप धारा 9 की उपधारा (2) और (3) को लें तो वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। धारा 9(2) में कहा गया है :

"यदि केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार की सिफारिश पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से (ऐसी सहमति भारत के महान्यायवादी द्वारा उस निमित्त किए गए समावेदन पर प्राप्त की जायेगी) उस राज्य में किसी अभिहित न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी मामले को किसी अन्य राज्य में किसी अभिहित न्यायालल को अन्तरित कर सकेगी।"

हम उन विभिन्न आकस्मिकताओं के बारे में सोच सकते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं जहां पर न्यायालय का कार्य कठिन हो जाए और इसीलिए यदि ऐसी आकस्मिकता होती है तो मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से उस मामले को उस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय से अन्तरित किया जा सकता है और हम वह आधार भी दे रहे हैं जहां यह किया जायेगा।

धारा 9 की उपधारा (3) में कहा गया है :

**12.00 मध्याह्न**

"जहां किसी अभिहित न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई को सम्पूर्ण क्षेत्र या उसका कोई भाग, किसी ऐसे क्षेत्र के रूप में जो उपद्रव को दबाने के लिए तथा लोक व्यवस्था को बहाल रखने और बनाए रखने के लिए उपबन्ध करने वाली तत्समय प्रवत्त किसी अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, या उसका मात्ररूप है और केन्द्रीय सरकार की, ऐसी राज्य सरकार से, जिसमें ऐसा न्यायालय अवस्थित है, प्राप्त किसी रिपोर्ट पर या अन्यथा यह सच है कि उस राज्य में विद्यमान स्थिति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऐसे अपराधों के जिनका ऐसा न्यायालय विचारण करने के लिए सक्षम है, राज्य के भीतर आज, निष्पक्ष या शीघ्र विचारण के लिए सहायक नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार भारत के

मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, ऐसे न्यायालय के सम्बन्ध में (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् स्थानीय न्यायालय कहा गया है) राज्य के बाहर किसी अभिहित न्यायालय को (जिसे इस धारा में विनिर्दिष्ट न्यायालय कहा गया है) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी और तब—

(क) ऐसे स्थानीय न्यायालय के लिए ऐसी अधिसूचना के प्रवर्तन की अवधि के दौरान किसी समय यह समक्ष नहीं होगा कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध की बाबत किसी अधिकारिता का प्रयोग करे या उसका विचारण करे।"

समस्या यह है कि एक साथ आप दो न्यायालयों को अधिकार नहीं दे सकते। यह समान प्रक्रिया के सिद्धांत के विरुद्ध हो सकता है। इसी कारण एक बार इसे किसी विशेष न्यायालय के पास हस्तांतरित कर दिया जाता है तो दूसरे न्यायालय का अधिकार समाप्त हो जाता है जब तक कि अधिसूचना प्रभावित रहती है।

हमने अभिहित न्यायालयों को शक्तियां दी हैं, वहीं शक्तियां, जो आप खण्ड 10 से आगे देखेंगे। खण्ड 11 के आगे जो प्रक्रिया बनाई गई है वह ज्यादातर उसी प्रक्रिया पर आधारित हैं जैसी कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता में है। तत्पश्चात् आप खण्ड 13 में पायेंगे कि हमने यह प्रावधान किया है कि इसे सामान्य तौर पर कार्यवाही बन्द कमरे में की जायेगी सिवाय उसके जहां लोक अभियोजक यह समझे कि यह खुले न्यायालय में हो, तब ऐसा किया जायेगा।

खंड 13, उपखण्ड (2) पृ० 10 :—

"(2) कोई न्यायालय, अपने समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से साक्षी की पहचान और उसका पता गोपनीय रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।"

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि साक्षियों की सुरक्षा का इससे बहुत सम्बन्ध है और यह खुले तौर पर कहा जाता है कि जो भी कोई उन उग्रवादियों के विरुद्ध गवाही देने जायेगा उसे उसका परिणाम भुगतान होगा। इसलिये हमें उस व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखना होता है।

धारा 13, उपधारा (3)(क) में कहा गया है :—

"(क) किसी संरक्षित स्थान में कार्यवाहियां करना,

(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में अथवा मामले के ऐसे किसी अभिलेख में, जो जनता की पहुंच में है साक्षियों के नाम व पते का उल्लेख न करना;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों की पहचान और उनके पते प्रकट न हो जाएं, कोई निदेश जारी करना।

धारा 14 :—

"किसी अभिहित न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को किसी अन्य न्यायालय में (जो अभिहित न्यायालय नहीं है) अभियुक्त के

विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता प्राप्त होगी और उसे ऐसे अन्य मामले के विचारण के अधिमान में पूरा किया जायेगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण प्रास्थगित रहेगा।"

मान लो कि कोई व्यक्ति आतंकवादी अधिनियम के अधीन किसी अभिहित न्यायालय में अभियुक्त है और वह किसी अन्य न्यायालय में भी अभियुक्त है तो इस विचारण को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि वह एक अन्य मामले में भी अभियुक्त है। इस विधेयक के अधीन, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य न्यायालय में भी अभियुक्त है तो फिर हमारा कहना है कि इसे अग्रता प्राप्त होगी और अन्य विचारण तब तक प्रास्थगित रहेंगे जब तक यह विचारण पूरा नहीं हो जाता है।

धारा 15 में, हमने अन्तरित करने की शक्ति प्राप्त कर ली जो इन शब्दों में है:—

धारा 15:—

"जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् किसी अभिहित न्यायालय की यह राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है।"

वहां पर केवल आतंकवाद के अपराध का ही विचारण होगा। मान लो कोई अपराध जो इससे पूर्व किया गया है। यदि वह धारा 3 की परिभाषा में आतंकवादी अपराध नहीं है या धारा 4 के अर्थ में विघटनकारी अपराध है तो फिर इसे अन्तरित कर दिया जायेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इसी प्रकार, यदि सुपुर्दगी मजिस्ट्रेट जहां कहीं यह पाता है कि यह मामला तो सेशन कोर्ट विचारण हो सकता है तो निश्चय ही उसे सेशन कोर्ट में भेजा जायेगा। अतः, उसे मामले को ऐसे अपराधों के विचारण हेतु ऐसे किसी न्यायालय में भेजना, अन्तरित करना पड़ेगा जिसका कार्य क्षेत्र आतंकवादी अपराध को छोड़कर दण्ड प्रक्रियां संहिता के अधीन ऐसे अपराधों का विचारण करना हो। यह उनके लिए महत्वपूर्ण है जो यह समझते हैं कि अभिहित न्यायालय अन्य अपराधों पर भी विचारण करेंगे, नहीं। जिस क्षण यह मालूम होगा कि यह इस अधिनियम के अधीन अपराध को छोड़कर कोई अन्य अपराध है तो इस पर सामान्य न्यायालय विचारण करेगा।

और फिर हमने किसी भी आदेश या विचारण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान भी रखा है।

यह वास्तव में इस विधेयक का स्वरूप है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य एकमात्र रूप से आतंकवादी और विघटनकारी कार्यों के विरुद्ध है और स्थिति के अनुसार क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर अभिहित न्यायालय इन पर विचारण करता है और प्रत्येक मामले में हमने स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से संरक्षित किया है अर्थात एक अभिहित न्यायालय से दूसरे में अन्तरित करने की कार्यवाही उच्चतम न्यायालय के आदेश पर और उसकी अनुमति से होगी। एक ही क्षेत्र में एक अभिहित न्यायालय से दूसरे में अन्तरण उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति से होगा। अतः हमने किसी प्रकार की ज्यादती की सम्भावना को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया है।

इन शब्दों के साथ, मैं सिफारिश करता हूं कि सभा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

मैं एक बार फिर इसे स्वीकार करने की अपील करता हूं, चाहे विभिन्न ब्यौरों पर हमारे

मतभेद हैं जो कि अपरिहार्य है। परन्तु हमें यह नहीं दिखाना चाहिये कि आतंकवाद के मूल प्रश्न पर यह सभा विभाजित है। इस सभा को स्पष्ट रूप से आतंकवाद के प्रति अपनी विरोध की घोषणा करनी चाहिये तथा आतंकवाद को समूल उखाड़ फेंकने के लिए अपना दृढ़ संकल्प जताना चाहिये। क्योंकि केवल यह सभा ही यह दलील दे सकती है कोई और नहीं, इसलिए हमें इस मामले पर विभाजित नहीं होना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्धों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को इस पर 31 जुलाई, 1985 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

**श्री बसुदेव आचार्य** (बंकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबंधों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 9 सदस्यों की प्रवर समिति को इन अनुदेशों के साथ भेजा जाए कि वह अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें अर्थात्—

(1) प्रो० मधु दण्डवते
(2) श्री अमल दत्त
(3) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(4) श्री माधव रेड्डी
(5) श्री अमर राय प्रधान
(6) श्री ए० के० सेन
(7) श्री पीयूष तिरकी
(8) श्री के० पी० उन्नी कृष्णन; और
(9) श्री बसुदेव आचार्य।" (2)

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्धों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 12 सदस्यों की प्रवर समिति को इन अनुदेशों के साथ भेजा जाए कि वह अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें; अर्थात्—

(1) श्री बसुदेव आचार्य
(2) श्री अनिल बसु

(3) श्री अजय विश्वास

(4) श्री अमल दत्त

(5) श्री सुरेश कुरूप

(6) श्री सनत कुमार मण्डल

(7) श्रीमती गीता मुखर्जी

(8) श्री अमर राय प्रधान

(9) श्री अजित कुमार साहा

(10) श्री ए० के० सेन

(11) श्री जायनाल अबेदिन, और

(12) श्री सत्य गोपाल मिश्र" (8)

**श्री सी० माधव रेड्डी** (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के सिद्धान्त के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं विपक्ष की आम भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद के मामले पर दो मत नहीं हैं और हम सभी इस विधेयक का समर्थन करते हैं जिनका उद्देश्य इस देश से आतंकवाद को समाप्त करना है । इस विधेयक में कुछ ऐसे खण्ड हैं जिन पर बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । विधि मंत्री महोदय विभिन्न खण्डों को स्पष्ट कर रहे थे और उन्होंने लगभग सारे वाद-विवाद को खण्ड वार स्पष्टीकरण अथवा चर्चा में बदल दिया है । मैंने आशा की थी वह विधेयक के सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करेंगे और वही पर्याप्त होता । खैर, उन्होंने आसानी से उन कुछेक खण्डों को छोड़ दिया जो कहीं अधिक विवादास्पद हैं और जिन पर इस सभा को अत्यन्त सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । परन्तु मैं विधि मन्त्री महोदय की भावनाओं के बदले में यह बताना चाहता हूं कि और विपक्ष उन्हें इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने में पूर्ण सहयोग देना चाहता है, बशर्ते इस विधेयक को सत्तारूढ़ दल या सरकार का विधेयक न समझकर तथा विपक्ष द्वारा पेश किए गये संशोधनों पर उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाए । क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस विधेयक का प्रारूप जल्दी में तैयार किया गया है, जल्दी में पुरःस्थापित किया गया है और अब जल्दी में ही इस पर विचार हो रहा है, विपक्षी सदस्यों ने भी अपने संशोधनों की सूचनाएं जल्दी में ही दी हैं, अतः इसमें सुधार की गुंजाइश है । ऐसी स्थिति में जबकि सारा दिन हमारे सामने बड़ा है, मैं चाहता हूं कि सभा प्रत्येक संशोधन पर सावधानीपूर्वक विचार करे···

**अध्यक्ष महोदय** : स्थिति के मुताबिक आपको जल्दी ही करनी है ।

**श्री सी० माधव रेड्डी** : संशोधनों पर अत्यन्त सावधानीपूर्वक विचार करना होगा—और यदि वे ठीक पाये गए—चाहे यह विरोधी पक्ष अथवा सत्ताधारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया हो परन्तु अगर उपयुक्त है तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

सदन में कई बार पहले भी हम यह कह चुके हैं कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी उपाय किए जाने का हम समर्थन करेंगे । इस विषय पर दो राय हो ही नहीं सकतीं । परन्तु हमारी उत्सुकता यह देखने में है कि आतंकवाद की समाप्ति हो तथा कानून को पारित किया जाये, हमें कतिपय मूलभूत सिद्धांतों को नहीं भूलना

चाहिए। जो कुछ भी हम करें वह कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार हो और हमें देखना होगा कि न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति न उठायी जाये और कानून सोच समझ कर बनाया जाए। इससे मुझे लगता है कि कई त्रुटियां हैं, जिनकी जांच की जानी चाहिए। विशेष रूप में मैं खण्ड 18 का उल्लेख करूंगा जोकि सबसे अधिक विवादास्पद है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, कि जैसा कि सदन को मालूम है कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और पहली दफा विधेयक पुरस्थापित किया जा रहा है और इस विधेयक के तहत केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप में राज्य सरकार से संबंधित कई अधिकारों को हाथ में लिया जा रहा है।

**12.10 म० प०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

जैसा कि हम जानते हैं कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का राज्य सरकार का अपना तंत्र है। कानून एवं व्यवस्था केन्द्र स'कार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। इस विधेयक में कई धाराएं हैं जो राज्य सरकार से संबंधित हैं, राज्य सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जा रही है। राज्य सरकार सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने जा रही है। इस खण्डों में कई बातें राज्य सरकार का विषय हैं और इन पर राज्य सरकार तंत्र ही कार्यवाही कर सकता है। केन्द्र सरकार क्यों राज्य सरकार के साथ इस बारे में समवर्ती अधिकार ग्रहण करने का विचार करती है। मेरी समझ में नहीं आता। क्या आप बिश्वास नहीं करते ?······(व्यवधान) क्या आप अपनी ही राज्य सरकारों पर विश्वास नहीं करते जोकि इस गणराज्य का अंग है ? माना कि आपको चिन्ता है कि एक खास राज्य सरकार अपने यहां आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने की इच्छुक नहीं है तो आपके पास कई विकल्प हैं। अनुच्छेद 257 एवं 365 के अन्तर्गत आप राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं और आप ऐसा पहले भी करते आये हैं तथा संविधान बीच में आड़े नहीं आता है और कोई भी व्यक्ति आपको संविधान के उन अनुच्छेदों की शरण लेने से नहीं रोक सकता।

मेरा कहना है कि इस बारे में कुछ विपक्षी दलों की सत्ताधारी सरकारें बहुत ही उत्तेजित हैं और हम समझते हैं कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए तथा केन्द्र सरकार केवल ये कानून बना देने से संतुष्ट हो जाना चाहिए और उनकी क्रियान्विति राज्य सरकार पर ही छोड़ देनी चाहिए।

एक अन्य बात सजा देने के बारे में भी मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं विधेयक के उद्देश्य से सहमत हूं कि हमें आतंकवादियों और अलगाववादियों को निवारक सजायें देनी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और यह एक अत्यन्त खतरनाक स्थिति है और इस तरह की स्थिति में हमें इस विधेयक की आवश्यकता है निश्चित रूप से यह दो वर्ष के लिए बनाया जा रहा है और मेरे विचार से यह दो वर्ष तक ही लागू रहेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार सदन को यह आश्वासन दे कि इस विधेयक की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया नहीं जायेगा। तथा मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करे कि इस विधेयक से देश में हो रही उचित राजनैतिक गतिविधियों का दमन न हो······इसका उपयोग किया जाना चाहिए (व्यवधान) उन गतिविधियों के लिए नहीं जिनसे अलगाववाद पैदा हो। हमें उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जो अलगाववाद की गतिविधियों में व्यस्त हैं। हमें उन लोगों के प्रति कुछ भी दया या सहानुभूति नहीं है जो मार-धाड़, लूट-पाट, आगजनी तथा देश में आतंकवाद फैलाने, अव्यवस्था पैदा करने आदि में शामिल हो रहे हैं ताकि देश की स्थिरता समाप्त हो जाये।

वास्तव में हमें उनसे कोई लगाव नहीं है। परन्तु इसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं हैं चूंकि पहले भी हमने ऐसा देखा है। हमारे यहां ऐसे कानून हुआ करते थे जिन्हें क्रूर कानून कहा गया है, जिसका कई बार दुरुपयोग हुआ है। स्वाभाविक है कि विरोधी पक्ष के लोगों का डर एकदम उचित है। वे आश्वस्त होना चाहेंगे--ऐसा नहीं है कि वे आपके साथ सहयोग नहीं करना चाहते।

मैं एक औए खण्ड—खण्ड 4 का उल्लेख करूंगा जो सजा देने के संबंध में है। मैं देखता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है जघन्य अपराध, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो तो उसे उम्र कैद अथवा मृत्यु दण्ड दिया जायेगा। परन्तु अगर एक व्यक्ति उसे उकसाता है तो उस वास्तविक अपराधी को जो उस व्यक्ति को भड़काने वाला है, इस व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना, अथवा प्रेरित करता है तो उसे बहुत ही कम सजा दी जाती है। ऐसा क्यों है? अपराध वह व्यक्ति करता है जिसने अपराध करने के लिए उकसाया है जिसने एक खास व्यक्ति को खास मुकाम पर बम रखने के लिए कहा है; यह कार्य उस व्यक्ति ने किया है। परन्तु जिस व्यक्ति ने उकसाया है उसे कम सजा देकर छोड़ दिया जाता है। यह विधेयक में कमी है। मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए। सच तो यह है कि यह सभी भारतीय दण्ड संहिता में नहीं है आई० पी० सी० 120 (ख) में मेरे विचार से लिखा है कि उसे भी बराबर की सजा दी जायेगी। इस विधेयक में विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों के लिए क्यों इतना मत-भेद (भिन्नता) है? अन्य बातों के लिए इसमें भिन्नता नहीं है। मैं चाहूंगा कि विधि मंत्री जी इस पर ध्यान दें। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह इसे वास्तविकता की दृष्टि से देखें और देखें कि इस अधिनियम को एकमत होकर पारित किया जाये और यह भी देखें कि विपक्षी सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, विपक्षी दलों के कुछ संशोधनों को स्वीकार करके विशेष रूप में वह संशोधन, जिसमें हमने उन अधिकारों का बहिष्करण किया था जिन्हें खण्ड 18 के तहत लिया जा रहा है, इसे हटाना होगा अन्यथा राज्य सरकारों की स्थिति अत्यन्त दुविधापूर्ण हो जायेगी। क्योंकि हम नहीं जानते कि सरकार के समक्ष ऐसी कौन-सी परिस्थितियां हैं कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में कार्य करें। हम यह समझने में असमर्थ हैं। मैं यही कहना चाहता हूं।

**श्री चन्द्र प्रताप सिंह** (पडरौना) : महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। विधेयक का स्वागत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा; जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है तथा पिछली सरकारों ने भी इसकी उपेक्षा की थी। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों की वजह से इस विधेयक को सरकार द्वारा तुरन्त लाना जरूरी हो गया था। यह विधेयक तब भी लाया जाना चाहिए था जब नागालैण्ड, मिजोरम तथा त्रिपुरा में आन्दोलन हो रहे थे। उस समय ऐसा क्यों नहीं किया गया क्योंकि सैनिक कर्मी मारे जा रहे थे तथा स्थानीय निवासियों को मारा जा रहा था? आज हम इस विधेयक को पुरःस्थापित कर रहे हैं तथा सदन में सर्वसम्मति एवं सहमति एकता की बात करते हैं। भारतवासी जिन्हें महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी के उपदेशों में विश्वास है वे कभी भी आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। जब सरकार की तरफ से ढिलाई होती है या स्थिति सरकार के बूते से बाहर हो जाती है तो अधिनियम लाया जाता है। भारतवासी कुछ हद तक यह विश्वास करने लग जाते हैं कि सरकार ऐन वक्त पर उनकी तरफ से कार्य नहीं करती है।

मैं उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में से एक या दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा :

"आतंकवादी अधिकतर पंजाब और चण्डीगढ़ में अंधाधुंध मारकाट, आगजनी, सम्पत्ति की लूटपाट और अन्य जघन्य अपराधों के लगे हुए थे। 10 मई, 1985 से आतंकवादियों ने अपने क्रियाकलापों का विस्तार देश के अन्य भागों में किया......"

क्या मैं पूछ सकता हूं--और मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे पायेंगे, परन्तु मैं आशा करता हूं कि वह हमारे प्रश्नों के जवाब बाद में लिखित रूप में देंगे कि अगस्त, 1980 के पश्चात क्या हुआ था जब पंजाब में अनियंत्रित मार-धाड़ एवं आतंकवादी आन्दोलन शुरू हुये थे ? आतंकवादी अधिनियम चार वर्ष पश्चात तथा वह भी हमारी प्रधान मंत्री की हत्या के बाद बनाया गया ? यह क्या हो रहा है ?

आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवृति है— इसका संबंध हिंसा की संस्कृति से है न कि भारतीय संस्कृति से। हमारा मिथ्या आधुनिक समाज प्रचार माध्यम से हिंसा की प्रवृत्ति दिखा रहा है। अगर आप हमारे देश में बनायी गई कुछ फिल्मों को देखें जिसमें निर्माताओं ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हिंसा और अपराध पुलिसवालों के बूते के बाहर की बात है तथा पुलिस वालों का चित्रण इस तरह के मनुष्य के रूप में किया जाता है जोकि अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है और ये अपराधी हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिये आस्था के प्रतीक बन जाते हैं। हमारे देश में किस प्रकार की वीडियो फिल्मों की तस्करी की जा रही है ? अधिकतर हिंसक फिल्मों की। ये फिल्में या अन्य बातें हमारे समाज को नहीं बदलती हैं। हमारे यहां जागृति होनी चाहिए—देश की समस्या के प्रति जागरूकता, इस देश के आदर्शों के प्रति जागरूकता जिन पर पुनः विचार करने की जरूरत है। जब गुवाहाटी में आयुक्त को गोली मारी गई तब क्या वहां पर कानून और व्यवस्था थी ? विभिन्न कार्यवाहियों के दौरान हजारों सैनिक कर्मचारी मारे गए। माननीय मंत्री जी ने चीनी आक्रमण तथा विभिन्न पाकिस्तानी आक्रमणों के उदाहरण को उद्धृत किया है। परन्तु होता क्या है ? जब कभी भी किसी भी राज्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो माननीय सदस्य श्री रेड्डी कहते हैं कि यह राज्य का विषय है। परन्तु जब राज्य फौज को भेजने की बात करता है तो क्या केन्द्र अप्रत्यक्ष रूप में इस राज्य को हाथ में नहीं लेता है ?

**श्री सी० माधव रेड्डी** : सिर्फ राज्य की मदद करने के लिए।

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह** : कानून एवं व्यवस्था चर्चा करने का विषय नहीं है। कानून एवं व्यवस्था हमारे देश के अनुशासन का विषय है। सभ्य मानवता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक तत्व है। हमारी सभ्यता, हमारी परम्परायें हमेशा ही इन नीतियों से जुड़ी हुई हैं। परन्तु आजकल स्थिति एकदम विपरीत है। मेरे विचार से समाज आतंकवाद को भड़का रहा है एवं बढ़ावा दे रहा है। कोई भी व्यक्ति अनियंत्रित मार-धाड़ नहीं चाहता; अंधाधुंध बमबारी नहीं चाहता। अगर हम इस प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने प्रचार माध्यम पर नियंत्रण रखना चाहिए। लोगों को मारने में कौन लोग शामिल हैं। ये इस देश के बेरोजगार व्यक्ति हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है, जोकि उत्तेजित हैं और हमारे उस प्रचार माध्यम से प्रभावित हैं जिसे वे लोग बढ़ावा देते हैं जो अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : हमारी प्रधान मंत्री जी की हत्या एक रोजगार प्राप्त व्यक्ति द्वारा की गई थी।

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह** : प्रो० मधु दण्डवते एक विद्वान प्रोफेसर हैं और यह जानकारी

देने के लिए कि वह एक रोजगार प्राप्त व्यक्ति था, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : कोई निन्दात्मक टिप्पणी नहीं, महोदय वह मुझे विद्वान कह रहे हैं।

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह** : मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे याद करवाया कि श्रीमती गांधी को मारने वाला व्यक्ति रोजगार प्राप्त था। मैंने यह नहीं कहा कि रोजगार प्राप्त व्यक्ति इस तरह की बातों में भाग नहीं लेते। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हजारों बेरोजगार व्यक्ति हैं जोकि आसानी से पैसों के लालच में आ जाते हैं तथा उन व्यक्तियों के चुंगल में फंस जाते हैं जो हिंसा करने के लिए भड़काते हैं। विद्वान विपक्षी नेता ने एक बहुत ही संगत मुद्दा बताया है कि जो व्यक्ति भड़काता है वह सही-सलामत रहता है। किसी और के कहने पर अगर एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो वह इस अधिनियम के तहत आयेगा तथा यहां तक कि उस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता भी लागू होगी। परन्तु उन गैर-सामाजिक तत्वों का क्या होता है जो उन्हें मारने, खून करने, लूटने तथा लूटमार एवं अन्य जघन्य कृत्यों के लिए उकसाते हैं ? उन लोगों को आज समाज का सदस्य माना जाता है क्योंकि हमारी परम्पराओं, राजनैतिक परम्पराओं में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं, परन्तु पश्चिम देश हमारी तरफ झुक रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिकता जीवन यापन का ढंग है तथा भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण अवयव है। सर्वप्रथम सरकार को अन्य उपाय करने दीजिए जिससे हम अपनी पुरानी परम्परागत मान्यताओं को बनाये रखें तभी हम आशा कर सकते हैं कि आतंकवाद समाप्त होगा। आतंकवाद को आरम्भ में ही दबा देना चाहिए।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में एक और बात है, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था—मेरे विचार से यह कहना कि पंजाब और चण्डीगढ़ में अधिकतर जघन्य अपराध हुये हैं—सही नहीं है। हम प्रत्येक सिक्ख को संक्रामित कर रहे हैं। हमने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है और यह स्वाभाविक ही है कि इस देश में प्रत्येक सिक्ख आतंकवादी नहीं है। नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा मिजोरम के लोग क्या हैं ? पंजाब और चण्डीगढ़ के उल्लेख से सिक्खों को महान जाति को संक्रामित करना होगा, जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। मैं चाहूंगा कि जब विधेयक को पुरःस्थापित किया जाता है तो हमें देश के इन विशेष क्षेत्रों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। इससे विधेयक का उद्देश्य एवं ध्येय सिक्खों को यह महसूस करने पर विवश कर देगा कि यह विधेयक उन्हीं के लिए पुरःस्थापित किया गया है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : उन क्षेत्रों में हिन्दू भी रहते हैं। मुसलमान और ईसाई भी रहते हैं।

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह** : मैं कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश में आतंकवाद की स्थिति से सही रूप में निपटाना चाहिए। हम पंजाब तथा चण्डीगढ़ में अंधाधुंध मारधाड़ के बारे में बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी यह पता लगायें कि धनबाद, बागा, बेतिया तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कितने लोग मारे गए हैं।

**एक माननीय सदस्य** : बिहार में कोसी में भी।

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह** : बी० बी० सी०, लन्दन के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शिकागो के बाद नम्बर दो पर है। क्या हम इस बात का इन्तजार करें कि उन क्षेत्रों में भी आतंकवाद की गम्भीर स्थिति पैदा हो जाए या किसी बड़े पदाधिकारी को गोली मार दी जाये

या किसी उच्चाधिकारी पर हमला किया जाएगा, क्या उस क्षेत्र के लिए हम फिर से नया अधिनियम बनायेंगे ? इन्हीं बातों पर हमें विचार करना है ।

महोदय, आतंकवाद की तरफ हमारा ध्यान तब जाता है जब इसके गम्भीर नतीजे सामने आते हैं । अगर हमारा इरादा दृढ़ हो तो आतंकवाद समाप्त हो सकता है । सौभाग्य से हमारी सरकार की यही इच्छा है और हम आशा करते हैं कि प्रगतिशील नेता श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हम इस तरह के और अधिक विधेयक लायेंगे जिन्हें संसद पारित करेगी और हिंसा हमारे देश से समाप्त हो जायेगी।

**श्री जगन्नाथ राव** (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के समक्ष लाये गए इस उपाय का समर्थन करता हूं । यह बिल्कुल ठीक समय पर लाया गया है । पंजाब और चंडीगढ़ से आरम्भ हुई आतंकवादी गतिविधियां दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पहुंच गईं और उनका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय हो गया । निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अनियन्त्रित हत्याओं से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि देश में अस्थिरता लाने और लोगों में आतंक पैदा करने के लिए यह एक गहरी और अन्तर्राष्ट्रीय साजिश है । परन्तु हमारे देशवासियों ने संकट के समय ऐसी परिस्थितियों का बखूबी सामना किया है और देश के सम्मान और उसकी अखण्डता की रक्षा हेतु एक राष्ट्र के रूप में मुकाबला किया है । हमने अतीत में ऐसे कई अवसर देखे हैं जैसी कि विधेयक के प्रस्तावक ने मिसालें दी हैं ।

महोदय, भारत में आतंकवाद के पीछे कोई सिद्धान्त या दर्शन नहीं है । इसका दर्शन क्या है ? यह एक हिंसापूर्ण आन्दोलन है जो कट्टरपंथियों द्वारा भर्ती किए गए दो युवकों ने आरम्भ किया था । अकालियों ने इस आन्दोलन का समर्थन किया था जो बाद में उनके हाथों से निकल गया, वे उस पर नियन्त्रण नहीं रख सके । अब स्थिति उग्रवादियों के नियन्त्रण में है और अकालियों के तथाकथित नेता उग्रवादियों और आतंकवादियों के हाथों में हैं । आतंकवाद भारतीय विचार-धारा में नहीं है । इससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । कहा जाता है कि इसका कारण निराशा है । उनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे ? वे ऐसा क्या चाहते थे जो उन्हें नहीं मिला और वे निराशा के शिकार हो गए ? वास्तव में वे सरकार को दबाने के लिए और एक समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए इसे एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, ताकि देश की एकता भंग हो जाये और देश में अस्थिरता पैदा हो । इसलिए अब इन आतंकवादी गतिविधियों और विध्वंसकारी क्रियाकलापों से सख्ती से निपटने का समय आ गया है । पिछले अगस्त में लोक सभा के पिछले सत्र में हमने आतंकवादी क्रियाकलाप (विशेष न्यायालय) विधेयक पारित किया था । आतंकवादी क्रियाकलापों और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों की परिभाषाएं व्यवहारिक रूप से वही हैं । वे इस विधेयक में दी गई परिभाषाओं के समरूप हैं ।

यद्यपि यह विधेयक इन क्रियाकलापों को और अधिक स्पष्ट करता है । हमने उन क्षेत्रों में विशेष न्यायालय स्थापित किए थे । पूरा पंजाब राज्य विशेष क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उसमें विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । वही प्रक्रिया इस विधेयक में रखी गई है जैसा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकने की व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामले स्थानांतरित करना, बन्द कमरे में मुकदमा चलाना आदि-आदि । ये सब व्यवस्था उसमें है । वह अधिनियम इसी सभा द्वारा पारित किया गया था और ये विशेष न्यायालय काम कर रहे हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद उन मामलों का क्या होगा जो उस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

**श्री ए० के० सेन** : उनको मनोनीत करना पड़ेगा।

**श्री जगन्नाथ राव** : इस विधेयक के खण्ड 22 में रद्द करने की शक्ति दी गई है। मैं विधेयक के प्रस्तावक से यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेष न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन मामले इन मनोनीत न्यायालयों को अपने आप स्थानांतरित हो जाएंगे या आप उन विशेष न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन मनोनीत करेंगे। यह प्रक्रिया संबंधी मामला है।

हमें यह सुनिश्चित करना है कि आतंकवाद का भारत में कोई स्थान हो। भारत ऋषियों और सन्तों का देश है। महात्मा-महान-आत्मा का अहिंसा और शान्ति में विश्वास था, उसका जाति मानव जाति में विश्वास था। उसने लोगों के साथ रंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को नहीं माना। आज हमारे देश को इसकी सैन्य शक्ति के कारण नहीं बल्कि उन नैतिक मूल्यों के कारण शक्तिशाली समझा जाता है जनका हम समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। अतः यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि किसी वर्ग की चाहे कोई भी मांग क्यों न हो, उनके सम्बन्ध में सरकार से बातचीत की जाए, उन्हें मनवाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाए न कि आतंक पैदा करने के लिए हिंसा और आतंकवाद का रास्ता अपनायें। कानून के हाथ बहुत लम्बे हैं परन्तु वे इतने मजबूत भी होने चाहिए कि इन गतिविधियों को दबाया जा सके अतः इस विधेयक का उद्देश्य कानून के हाथ मजबूत करना है और न केवल पंजाब, चंडीगढ़ या दिल्ली बल्कि देश में जहां कही भी आतंकवाद हैं उसे खत्म करने लिए सरकार को पर्याप्त अधिकार देना है।

यह कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारों को छीना जा रहा है और उनके अधिकारों में नाजायज हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। यह केन्द्रीय अधिनियम है और अधिकार राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकारें मनोनीत न्यायालयों की स्थापना करेंगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगी और सब कुछ करेंगी। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं है। हमने पहले भी एक अधिनियम-आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र और विशेष न्यायालय अधिनियम पारित किया था···(**व्यवधान**) यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन भी उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई मामला एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। वह प्रक्रिया पहले से है। आपराधिक मामलों का जहां तक संबंध है निधारित प्रक्रिया से हटने का प्रश्न ही नहीं है। अतः इसमें कुछ भी असाधारण अथवा मनमाना नहीं है। यह उपाय अत्यन्त जरूरी है। सम्भवतः यह पहले आ जाता। परन्तु इसे अब लाया गया तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ता। अतः हमें यह देखना है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जहां कहीं आवश्यक हो इस विधेयक को लागू किया जाना चाहिए और प्रभावी बनाना चाहिए। इससे पहले वाला अधिनियम 1984 का विशेष न्यायालय अधिनियम पहले ही से लागू है। अतः यह प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि शान्ति स्थापना के संबंध में सोचे न कि हिंसा के बारे में क्योंकि यह महात्मा गांधी का देश है जो दुर्भाग्यवश हत्यारे की गोली का शिकार हुए। इसी प्रकार इन्दिरा जी भी हत्यारों की गोली का शिकार हुई। शान्ति के इस देश में आतंकवाद ने कई अमूल्य जीवन नष्ट कर दिए हैं। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि लोगों के मतभेद विवादों का रूप न ले लें और विवाद भयंकर रूप न ले

लें। अतः यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक है और मुझे इस विधेयक के किसी खण्ड पर किसी प्रकार के मतभेद का कारण दिखाई नही देता और विपक्षियों को इस विधेयक का विरोध करने की आवश्यकता भी नहीं है।

विपक्षियों को एक सामान्य आपत्ति यह है कि यह राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा। यदि एक राजनीतिज्ञ—संसद सदस्य या विधायक आतंकवादी या विध्वंसकारी काम करता है तो वह निश्चय ही दण्ड का पात्र है। उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं और न ही वह कानून से ऊपर है, अतः यह कहना निरर्थक है कि यह विधेयक राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध है। राजनीतिक विरोधी ठीक ढंग से एक सम्मानित नागरिक की तरह व्यवहार करें तो कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और जहां तक उनका सम्बन्ध है यह कानून उनके लिए तो न होने के बराबर होगा। केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए प्रत्येक विधेयक के संबंध में विपक्षियों द्वारा यही आपत्ति उठाई जाती है। वे कहते हैं, यह निरंकुश है। निरंकुश क्या है ? इसके साथ ही वे यह आरोप लगाते हैं कि सरकार नरम रुख अपना रही है और सख्त कदम नहीं उठा रही है। जब सरकार कड़ा और आवश्यक उपाय करती है तो वे सरकार की यह कहकर आलोचना करते हैं कि उसने निरंकुश कदम उठाया है। विपक्षी सदस्यों की विशेषता पल में नरम और पल में गर्म है। अतः मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभा इसे सर्व-सम्मति से स्वीकार करेगी। धन्यवाद।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निस्सन्देह यह एक विशेष विधेयक है और यह प्रशंसनीय है कि माननीय विधि मंत्री ने इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया। उन्होंने इस विधेयक की पूरी प्रस्तावना में यही दृष्टिकोण अपनाया है कि इसका उद्देश्य आतंकवाद और विध्वंसकारी तत्वों को खतम करना है और यह किसी राजनीतिक दल अथवा समुदाय के विरुद्ध नहीं है। सिख समुदाय के तो बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। मैं विपक्ष द्वारा सरकार को सहयोग का आश्वासन देने के लिए उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं अपने मित्र श्री सी० पी० एन० सिंह की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह विधेयक लाने में या ऐसा उपाय करने में विलम्ब हुआ है। यह बहुत पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि पांचवे दशक के प्रारम्भ से ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, जहां से मैं आया हूं, विद्रोह उग्रवाद या आतंकवाद या भूमिगत आन्दोलन चलाने के लिए आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, आतंक-वादी तत्व सक्रिय हैं और उनसे इस प्रकार के विधेयक से ही निपटा जा सकता है। इन क्षेत्रों में लोग मारे जा रहे हैं और मारे गए हैं। यह बहुत ही अच्छा रहता यदि ऐसे उपाय उस क्षेत्र में बगावत, जिसे हम विद्रोह या आतंकवाद के नाम से जानते हैं, उसी समय उठाये जाते जब ऐसे प्रयास शुरू किये गए थे। यद्यपि इस विधेयक का मसौदा जल्दी में तैयार किया गया है, और इसमें इधर-उधर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, फिर भी यह अच्छा मसौदा है। यह अच्छी तरह समझ में आता है परन्तु जिस ढंग से इसके उद्देश्य बनाए गए हैं मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूं। उद्देश्यों और कारणों के कथन से ऐसे प्रतीत होता है कि सरकार ने इसकी जरूरत तब समझी जब कुछ बम कश्मीरी गेट अन्तर्राज्यीय डिपो पर अर्थात राजधानी में केन्द्र सर-कार की नाक के नीचे फटे। यह उद्देश्यों के कथन में कहा गया है जो कि निस्सन्देह इस अधिनियम का अंग नही होगा। परन्तु इसमें कुछ त्रुटियां हैं। इससे केवल यह पता चलता है कि जिन्होंने इस विधेयक को तैयार किया है उन्होंने इसमें अपने अनुभव का प्रयोग नहीं किया है। वे कह सकते थे कि इस प्रकार के अपराध या गतिविधियां पिछले कई दशकों से हो रही थीं और अपराध करने

वाले आतंकवादी और अपराधियों को दण्ड नहीं मिल रहा था। और उनसे निपटने के लिए देश के विभिन्न भागों में ये उपाय किए जा सकते हैं।

मैं इस विधेयक के एक या दो पहलुओं तक स्वयं को सीमित रखूंगा। मैं सभा का ध्यान अपने क्षेत्र में हुए अपने अनुभव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अच्छे कानून जैसा कुछ नहीं होता, कानून अच्छे ही होते हैं और अधिकांश मामलों में अच्छी तरह बनाये जाते हैं, विशेष रूप से हमारे जैसे स्वतन्त्र देश में। हमारा लोकतन्त्र निस्सन्देह एक अच्छा लोकतन्त्र है।

मुझे याद है कि एक विदेशी ने, जो हमारे देश में पांच वर्षों के लिए बस गया था, मुझे हमारे लोकतन्त्र की विशेषताओं के बारे में बताया। उस महिला ने हमारे देश की नागरिक से विवाह किया था। वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी।

उसे तलाक लेना पड़ा था परन्तु वह अपने मित्रों से कहती थी कि "मैं अपने देश वापस नहीं जाना चाहती, हमारा देश अमीर है, समृद्ध है, परन्तु वहां स्वतन्त्रता नहीं है। आपकी निर्धनता, पिछड़ेपन, निरक्षरता के बावजूद मैं आपके देश से प्रेम करती हूं क्योंकि यहां पूर्ण स्वतन्त्रता है और आपके देश में पूर्ण लोकतन्त्र है।"

उस देश में जहां पूर्ण लोकतन्त्र हो, सभी कानूनों के उद्देश्य अच्छे होंगे। परन्तु मैं सावधान करना चाहता हूं क्योंकि कानून की अच्छाइयों के बावजूद कानून की कमियों के बावजूद, कानून में जो कुछ अच्छा है, वह उसके क्रियान्वयन में झलकना चाहिए। हलवे का मजा खाने में है। हमने देखा है कि विभिन्न परिस्थितियों में अच्छे कानूनों का भी दुरुपयोग हुआ है, विशेष रूप से तब जब हमें कठिन स्थिति से निपटना पड़ा है और जब हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में आन्दोलन, उत्तेजना पैदा किये जाने और विद्रोह होने के समय उन्हें लागू किया है। मैं अपने क्षेत्र मणिपुर, नागालैण्ड और मिज़ोरम में हुए अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। उन चार यूनिटों को क्या हुआ। उनमें से दो राज्य हैं। मिजोरम अभी संघ शासित क्षेत्र है। अब त्रिपुरा विद्रोह ग्रस्त क्षेत्र में आ रहा है। उन क्षेत्र में इस प्रकार का कानून न होने के कारण ही सेना बुलानी पड़ी, अर्ध सैन्य बल बुलाने पड़े और यहां तक कि राज्य पुलिस बल का बार-बार इस्तेमाल करना पड़ा। उन क्षेत्रों में विशेष सशस्त्र बल (नागालैण्ड और मणिपुर) अधिनियम लागू करने का परिणाम यह हुआ कि सेना के प्रत्येक जवान ने राज्य की सारी नकारात्मक शक्तियां अपने हाथ में ले लीं और जब वह किसी उग्रवादी को या सन्देहास्पद व्यक्ति को अथवा पुलिस और जवान का गलती से किसी व्यक्ति को गोली मारता था तो उससे कुछ नहीं पूछा जा सकता था। अत: जब कानून, अर्थात ऐसे शक्तिशाली कानून लागू किए जाते हैं तो यह महत्व हो जाता है कि लागू करने वाला अभिकरण पूर्ण संयम और सावधानी रखे जो कि पूर्ण अभ्यास और प्रशिक्षण से आ सकती है। यह नया कानून हमारे लोकतन्त्र की जड़ें कमजोर करने वाला नहीं अपितु मजबूत करने वाला सिद्ध होना चाहिए। यह विधेयक जो कानून बनने जा रहा है, दो वर्ष तक लागू रहेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह केवल दो वर्ष तक ही लागू रहेगा। जैसा कि अन्य कुछ सदस्यों ने सन्देह व्यक्त किया है, मुझे भी इस बारे में सन्देह है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों की आवश्यकता स्थायी रूप से अथवा चिरकाल तक रहेगी। परन्तु सरकार ने अपने आशावाद तथा प्रज्ञा से यह दर्शाया है कि यह केवल दो वर्ष तक लागू रहेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दो वर्ष के भीतर आतंकवाद के सभी तत्व दूर हो जाएंगे।

आतंकवाद तथा विद्रोह को दूर करने के दो तरीके हैं जहां कहीं भी कोई आन्दोलन हो,

कोई विद्रोह हो अथवा आतंक हो, चाहे यह राजनीतिक हो अथवा, अन्यथा यदि यह किसी असंतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता बल्कि यह किसी ग्रुप द्वारा होता है तो यह सदा राजनीति से प्रेरित होता है। केवल बात यह है कि हमें ग्रुप आतंकवाद अथवा राजनीतिक आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देना है। उसे छोड़कर बाकी ठीक है। मैंने सुझाव दिया है कि आतंकवाद को और विद्रोही तत्वों को विशेष रूप से उस उग्रवाद को जो सीमान्त क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी और काश्मीर में है, दूर करने के दो ही तरीके हैं। निःसन्देह पंजाब की स्थिति भयानक है और इस पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है तथा हमारे नेता ने हमें सलाह दी है कि पंजाब की मैं चर्चा न करूं इस पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है अतः मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। 1950 में जब नागालैंड विद्रोही बन गया था हमें उम्मीद नहीं थी कि अन्य राज्य भी विद्रोही बन जायेंगे। उनका मुकाबला राजनीतिक समाधान द्वारा किया जाना चाहिए, सैनिक बल द्वारा नहीं। कुछ कमियों के बावजूद वे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र बन गये हैं। इससे केवल यही प्रकट होता है कि जब भी कोई संगठित आन्दोलन पनपता है, हिंसा होती है हमें इस प्रकार के कानूनों का सहारा लेना पड़ता है ताकि अपराधियों का पता लगा कर उन्हें दण्ड दिया जा सके, केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं होते, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उपायों का भी अवलम्बन लेना होता है ताकि ऐसे आन्दोलनों के मूल कारणों का दूर किया जा सके।

ऐसे कुछ उपबन्ध किये गये हैं कि जिन राज्यों में घटनाएं हुई हैं उनसे मित्र राज्यों को मामले भेजे जाएं जहां बेहतर वातावरण है और मामलों पर शान्तिपूर्वक विचार किया जा सकता है। यह बहुत युक्तिसंगत है तथा सरकारी संशोधन द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। कानून के तीन पहलू हैं। कानून बनाने की शक्ति अधिक राज्यों द्वारा आदेश देना। यदि आप नियम और आदेश देने वाली शक्तियों को पारिभाषित नहीं करते तो गम्भीर कठिनाई पैदा हो जायेगी क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है कि पुलिस अधीक्षक कानून बनाता है तथा आदेश देकर लोगों के भिखेपन का लाभ उठाता है जैसे कि उसी के आदेश अंतिम हैं। ऐसा निश्चय ही उन क्षेत्रों में होता है जहां पर विशेष सैनिक शक्ति अधिनियम लागू है। लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास साधन और उत्साह नहीं हैं कि वे अपनी शिकायतों को कानून द्वारा दूर करा सकें।

महोदय, इसलिए आदेश देने वाली शक्तियों को ध्यानपूर्वक पारिभाषित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानून का दुरुपयोग नहीं करेंगी ताकि नये कानून निर्दोष व्यक्तियों को तंग करने के शस्त्र न बन जायें। आम लोग आतंकवादियों तथा उनके विरुद्ध जनशक्ति के बीच में दब जाते हैं तथा प्रशिक्षित उग्रवादी उन पर हमला करके भाग जाते हैं। सभी मामले मार कर भाग जाने वाले होते हैं, जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पास खड़े निर्दोष व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तथा उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता है तथा पुलिस उनके हाथ शस्त्र होने का आरोप भी गढ़ लेती है। वास्तव में कानूनों को क्रियान्वित करने वाली शक्तियों, अर्थात पुलिस को काफी बच कर चलना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह समय की आवश्यकता है। ये उपाय बहुत पहले किये जाने चाहिए थे। हमारी शिकायत केवल यही है कि ऐसे कानून के अभाव में अन्धाधुन्ध हत्याएं की गई हैं। यह कानून न केवल राजनीतिक विद्रोह के साथ निपटने की शक्ति देगा तथा

इससे राष्ट्रीय एकता लायी जा सकेगी तथा देश के सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए वातावरण पैदा हो सकेगा। आतंकवादियों को दृढ़ता से कुचला जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :** चूंकि बहुत से सदस्यों ने अभी बोलना है। अतः मेरा सुझाव है कि मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश न किया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हां, चूंकि बहुत से सदस्यों ने नाम दिये हैं अतः हम मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश बन्द कर सकते हैं।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : मध्याह्न भोजन के लिए सभा उठनी चाहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मध्याह्न भोजन का अवकाश होना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह केवल अधिक सदस्यों को अवसर देने के लिए किया जा रहा है।

**श्री नारायण चौबे :** आप उस पक्ष के सदस्यों की संख्या कम कर दें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उनके लिए समय आबंटित किया गया है। मैं सभा की राय जानना चाहता हूं।

**श्री जी० जी० स्वैल :** कोई मध्याह्न भोजन का अवकाश न रखा जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित नहीं होगी।

**श्री अमल दत्त** (डायमंड हार्बर) : मैं बड़े दुःख के साथ इस विधेयक पर बोल रहा हूं। हम ऐसी स्थिति में हैं कि सरकार ऐसा विधेयक लाकर ये प्रकट कर रही है कि वह श्रेष्ठ कार्य कर रही है। विधेयक का शीर्षक अति आकर्षक है जैसे कि इस विधेयक को पारित करके वह पूरे देश में सभी आतंकवादी क्रियाकलापों को समाप्त कर पायेगी। विधि मंत्री ने विधेयक लाते समय यही बात कही है। परन्तु मुझे उम्मीद थी कि विधि मंत्री जो कि एक प्रसिद्ध वकील भी हैं, कम से कम इस सभा के सदस्यों को यह स्पष्ट करेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता थी, क्या कठिनाई थी, कौन-सी कमी थी जिसे पूरा करने के लिए इसे लाया गया। हमने उनसे ऐसा कुछ नहीं सुना। उनके भाषण के दौरान मैंने उनसे पूछा कि पिछले वर्ष जुलाई में इस सभा द्वारा पारित आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र विशेष न्यायालय विधेयक की क्या स्थिति है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान इस बात का उत्तर नहीं दिया उस अधिनियम से ये विधेयक किस तरह भिन्न है। अब शासक दल के कुछ सदस्यों ने बताया है कि उक्त अधिनियम तथा वर्तमान विधेयक भिन्न नहीं है। इसमें केवल दो नये अपराध जोड़े गये हैं। इसे कई अन्य तरीकों से किया जा सकता था। भारतीय दंड संहिता में नये अपराध पहले से ही सम्मिलित हैं। इतना होते हुए भी यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक को लाये जाने का एकमात्र कारण आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपटना नहीं है अपितु इसका उद्देश्य सरकार के विरुद्ध उठायी जाने वाली आवाज को प्रभावी रूप से समाप्त करना है क्योंकि सरकार को पता चल गया है कि सत्ता में आने से पूर्व उन्होंने जो वचन दिये थे वे उन्हें कभी पूरे नहीं कर पायेंगे। मूल्यों के बारे में सोचा गया था कि बजट के बाद वे धीरे धीरे बढ़ेंगे परन्तु वे बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिससे देश में असंतोष व्याप्त है। निःसन्देह दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। यदि वे उनका पता नहीं लगा

सके तो यह उनकी अक्षमता तथा नपुंसकता है। यदि वे इस विधेयक को इसीलिए लाये हैं, तो इससे स्पष्ट है कि वे आतंकवाद से कभी निपट नहीं पायेंगे, वे इस विधेयक द्वारा भी आतंकवाद से निपट नहीं पायेंगे, क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता में आपके पास सभी शक्तियां विद्यमान हैं। यदि आप दण्ड को और कठोर बनाना चाहते हैं तो ऐसा आप दण्ड संहिता में संशोधन द्वारा भी कर सकते थे। मैं कह सकता हूं कि एकमात्र कारण यही है कि सरकार पूरे देश में कानून और व्यवस्था के प्रश्न को अपने हाथ में लेना चाहती है। यही बात मेरे मित्र श्री माधव रेड्डी ने कही है। अत्यन्त सहज रूप से इस विधेयक में —खण्ड 18—द्वारा केन्द्रीय सरकार को वे सभी शक्तियां दी जा रही हैं जोकि राज्य सरकारों के पास हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : सहज रूप से नहीं अपितु सतर्कतापूर्वक।

**श्री अमल दत्त** : जहां उन्होंने राज्य सरकारों को शक्ति दी है वे विधेयक के खण्ड 7 में हैं। ये पहले ही बड़े अक्षरों में है। यदि आप पैरा 3 को पढ़ें जोकि खण्ड 7 से मनोनीत न्यायालय शीर्षक से शुरू होता है जिसमें छः उप-खण्ड हैं, वे सभी बहुत बड़े अक्षरों में हैं, अतः कोई व्यक्ति, जो जल्दी में विधेयक को पढ़ता है जैसे कि सरकार चाहती थी तथा अभी भी चाहती है—बेशक विधेयक हमें शनिवार को दिया गया था—वास्तव में इसे पढ़ने का पर्याप्त समय नहीं था—विधेयक में कोई भी गलत बात नहीं पाता।

**श्री एच० के० एल० भगत** : आप बड़े अक्षरों में तथा साधारण अक्षरों में भेद करते हैं।

**श्री अमल दत्त** : आप ऐसा करते क्यों हैं। यदि आप उसमें भेद नहीं करते तो आप किसी बात को मोटे अक्षरों में तथा किसी को साधारण अक्षरों में क्यों छापते हैं। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। एकदम देखने से पता चलता है कि राज्य सरकार को शक्तियां दी जा रही हैं। अतः हमसे

**1.00 म० प०**

जो लोग यह तर्क देते हैं कि राज्य सरकारों की शक्तियों का अधिक्रमण न किया जाये वे सन्तुष्ट हो जायेंगे। परन्तु जब कोई भाग चार, धारा 18 को देखे, तो उसमें निहित है :

> "इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी प्रभाव से किया जा सकेगा। मानो ऐसी शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्रत्यक्षतः प्रदत्त की गई हो और उस सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई हो।"

अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजन पहले ही किया गया है। तब यह क्यों कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार इसे करेगी। उन्होंने बड़े अक्षरों में क्यों नहीं लिखा कि केन्द्रीय सरकार न्यायालयों का गठन कर सकती है? केवल हमें धोखा देने के लिए। मैं समझता हूं यही उद्देश्य है। इसे रिकार्ड किया जाये।

**प्रो० मधु दण्डवते** : केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार माना जाना चाहिए।

**श्री अमल दत्त** : जब तक केन्द्रीय सरकार वित्तीय शक्तियों का दावा नहीं करती, मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा।

अतः यह बहुत वैध बात है जिस पर ध्यान दिया जाता चाहिए कि लुक-छिपके दोषपूर्ण तरीके से भारत सरकार शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है तथा ये निश्चय ही कानून और व्यवस्था की सीमा का अतिक्रमण करेगी जोकि राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। जब मंत्री

महोदय द्वारा विधेयक के पुरःस्थापित करते समय मैंने इस मामले को उठाया तो उन्होंने तुरन्त त्रिपुरा का उल्लेख किया। मेरी ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा "त्रिपुरा का शासक दल"। वहां मुख्य मंत्री सदा अधिक शक्तियों के लिए शोर मचाते हैं। इस सभा में हमने इस मामले को उठाना चाहा। कई बार हमने कई तरीकों से, नियम 193 के अधीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगत प्रस्ताव के रूप में यह मामला रखना चाहा परन्तु उसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। तथ्य यह है कि त्रिपुरा सीमान्त राज्य है। इसका तीन चौथाई, भाग जो लगभग 700 किलोमीटर बंगला देश के साथ लगता है, सीमा पार से लोग आकर लूटमार हत्याएं करते हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार जिसका कर्त्तव्य सीमाओं की रक्षा करना, अपने कर्त्तव्यों को निभाती नहीं है। इसी बारे में त्रिपुरा के मुख्य मंत्री शोर मचाते रहे हैं तथा हम सभा में मामला रखने की चेष्टा करते रहे हैं परन्तु सफल नहीं हुए। जब हम कहते हैं उन्होंने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया, वे कहते हैं, यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। कानून और व्यवस्था की समस्या क्या है? कोई आंतरिक समस्या नहीं है। यह समस्या पूरी तरह बाह्य है। केन्द्रीय है। केन्द्रीय सरकार अपने कर्त्तव्य में विफल रही है। वे सदा यही कह देते हैं कि यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। केन्द्रीय सरकार इस तरह से समस्याएं पैदा करती है। यदि किसी दूर दराज के क्षेत्र जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम की कोई शिकायत होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा धीरे-धीरे उसका रूप विशाल होता जाता है। बाद में कह दिया जाता है कि वे आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। आज लाये जा रहे विधेयक में कहा गया है, "जनता के एक वर्ग का पृथक करने की चेष्टा का प्रयास" भारतीय दण्ड संहिता में भी उसी प्रकार की धाराएं हैं उसमें 'समुदाय' 'धर्म' और 'जाति' शब्दों का उपयोग किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी जाति, धर्म अथवा किसी भाषा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध घृणा पैदा करने की चेष्टा करता है, तो ऐसा व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय है। "जनता के किसी वर्ग" से क्या अभिप्राय है? देखिए, यदि कोई श्रमिक आन्दोलन है, यदि मजूरी वृद्धि का कोई आन्दोलन है, अथवा दो श्रमिक संगठनों के बीच कोई संघर्ष है, कुछ श्रमिक संगठन सत्तारूढ़ दल के समर्थक हैं, अथवा शासक दल से सम्बद्ध होते हैं, उस स्थिति में वे कहेंगे कि ये लोग जनता के एक वर्ग को पृथक कर रहे हैं अथवा जनता के एक वर्ग के लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं अतः उन्हें इस अधिनियम के अधीन लाया जा सकता है।

"विध्वंसकारी" शब्द की परिभाषा भी उन्होंने विचित्र ढंग से दी है। मैं समझता हूं कि केन्द्र के विरुद्ध राज्यों के संघर्ष का हम काफी समय से पक्ष लेते रहे हैं। यदि हम सभा के बाहर यह बात कहेंगे तो हम इस अधिनियम के अधीन तुरन्त पकड़े जायेंगे। अब यदि एक कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के विरुद्ध भेदभाव किया जा रहा है, जैसा कि हम सभा में अथवा सभा के बाहर कहते हैं, कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को भारत से पृथक होने का दावा करने के लिए उकसा रहे हो क्योंकि आप कह रहे हो कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ भेद-भाव कर रही है।

**1.06 म० प०**

**[श्री एन० वेंकटरत्नम् पीठासीन हुए]**

अब सुरक्षा कहां है। इसमें सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय दण्ड संहिता में, जो ऐसे अपराधों से सम्बन्धित है, ऐसी सुरक्षा के बारे में बताया गया है। परन्तु इस अधिनियम

में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय जब यह आश्वासन देते हैं कि इसका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, इस बारे में हम केवल इतना ही चाहते हैं कि अधिनियम में ही सम्मिलित किया जाये कि राजनीतिक आन्दोलनों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा कर दिया जाता है तब हम आश्वस्त हो सकते हैं तथा विधेयक के उन अंशों को छोड़कर, जिनमें राज्यों के अधिकारों को अधिगृहित करने की व्यवस्था है, विधेयक के अन्य भागों का हम समर्थन कर सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124(क) ऐसी ही एक धारा है जिसमें कहा गया है :

> "124-क. यदि कोई बोल कर या लिख कर, शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमान पैदा करेगा, या विद्वेष पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा आदि।"

स्पष्टीकरण में उन्होंने बताया है :

> "घृणा, अवमान या अप्रति को प्रदीप्त किए बिना, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किये बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उसको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं।",

भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड 124(क) में यह स्पष्टीकरण रखना क्यों आवश्यक समझा गया ? क्योंकि इन सुरक्षा उपायों के बिना, 'अन्यथा' शब्द के प्रयोग से खण्ड 124(क) के देखते हुए सरकार की काफी आलोचना होती।

खण्ड 124(क) के उन्हीं शब्दों का प्रयोग यहां "आतंकवाद" और "विध्वंसकारी" की परिभाषा करने में किया जा रहा है परन्तु सुरक्षा सम्बन्धी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। भारतीय दण्ड संहिता के इस खण्ड का प्रारूप तैयार करने वाले लोग जानते थे कि इस देश में इस लोकतान्त्रिक आन्दोलन को कुछ छूट देने के लिए इस सुरक्षा उपाय को सम्मिलित करना आवश्यक है। और अब उसी सुरक्षा उपाय से वंचित किया जा रहा है। महोदय, यह एक गम्भीर मामला है और सरकार को हमारी आलोचना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, मध्याह्न भोजन अवकाश भी होगा या नहीं ?

**सभापति महोदय** : मुझे बताया गया है कि आज मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा। क्या यह फैसला सभा में नहीं हुआ ?

**(व्यवधान)**

**प्रो० मधु दण्डवते** : हम तो मध्याह्न भोजन के लिए जा रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : हम मध्याह्न भोजन करने जा रहे हैं परन्तु मध्याह्न अवकाश नहीं है।

**(व्यवधान)**

**श्री ए० के० सेन** : हम यदि मध्याह्न भोजन नहीं करेंगे तो आतंकवादियों से अधिक अच्छी तरह निपट सकेंगे।

**(व्यवधान)**

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, भूखा आदमी अधिक आतंक फैलायेगा।

**सभापति महोदय** : मध्याह्न भोजन तो है परन्तु मध्याह्न अवकाश नहीं है।

**श्री अमल दत्त** : महोदय, सरकार एक लम्बे समय से असाधारण शक्तियां अपने हाल में लेती आ रही है। हमने 1984 में पारित आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम का उल्लेख किया है। इसके बाद 1984 में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया। यह दूसरा संशोधन था। इसके द्वारा नजरबन्दी की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गई है और किसी भी व्यक्ति को सलाहकार समिति के समक्ष लाए बिना एक वर्ष तक नजर बन्द रखा जा सकता है। एक वर्ष के बाद ही उसे सलाहकार समिति के समक्ष पेश करना जरूरी होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक नजरबन्द रखा जा सकता है।

आयुध अधिनियम में 1981, 1983 में लगातार और अब हाल ही में इस सत्र में 1985 में संशोधन किया गया है। हमारे पास पंजाब (विक्षुब्ध क्षेत्र) अधिनियम है और विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 है जिसमें 1983 या 1984 में संशोधन किया गया है।

सरकार के पास अधिनियमों की भरमार है। उन्हें अब यह याद नहीं रहेगा कि आतंकवाद से निपटने के लिये उनके पास कितने अधिनियम हैं। इसलिए हम चाहते थे कि गृह मंत्री बोलें। वह बता सकते थे कि इतने अधिक कानूनों से वह क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्या वह वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी कानून को काम में लाएंगे? विशेष न्यायालय विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में एक उद्देश्य मामलों पर शीघ्र विचारण को सुनिश्चित करना था। मुझे पता चला है कि इस अधिनियम के अधीन एक हजार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें से कुछ एक वर्ष के लिए नजरबन्द रखे गए हैं। उन लोगों पर अभी मुकदमा चलाया जाना है। उनके मुकदमे अभी आरम्भ नहीं हुए है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल दस न्यायालय गठित किए गए हैं और उन्हें पंजाब से सम्बन्धित तीन-चौथाई मामले सौंपे गए हैं और शेष एक-चौथाई मामले सेशन न्यायालय देख रहे हैं। इन न्यायालयों ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है। पहले ही उनके पास मामलों का ढेर लगा है। और एक साल हो गया है परन्तु मुकदमे अभी शुरू नहीं हुए हैं। जब मुकदमे अभी शुरू नहीं हुए हैं। जब मुकदमे शुरू होंगे तो उन्हें निपटाने में वर्षों लगेंगे। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है।

गृह मंत्री यहां नहीं हैं और मेरे विचार में अन्य कोई सुयोग्य मंत्री भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं नहीं जानता कि हमारे यहां बोलने का क्या लाभ है।

**श्री ललित माकन** (दक्षिण दिल्ली) : गृह राज्य मंत्री यहां हैं।

**श्री अमल दत्त** : जब न्यायालयों की स्थापना होती है तो यह सब होना अनिवार्य है। सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र न्याय दिलाने के लिये काफी न्यायालय हों। इसके बजाय उन्होंने इस अधिनियम की तरह ही कर दिया है। उन्होंने अधिनियम में व्यवस्था की है कि सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त मुकदमे कहीं भी चलाए जा सकते हैं। अतः अब मुकदमे पहले वाले अधिनियम के अन्तर्गत जेल में आरम्भ होने जा रहे हैं क्योंकि वही सुरक्षित स्थान है। चूंकि मुकदमा जेल में चलाया जाएगा। इसलिए साक्षी कौन है, पता ही नहीं चलेगा। इन लोगों पर यह कैसा मुकदमा होगा?

यदि आप उचित ढंग से मुकदमा नहीं चला सकते तो उन्हें एक या दो वर्षों के लिए निवारण नजरबन्दी में रखना ही उचित होगा, यद्यपि मैं निवारण नजरबन्दी के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि आप किसी भी हालत में निष्पक्ष और शीघ्र मुकदमा नहीं चला सकते। मैं आपको दिखा सकता हूं कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आपने मुकदमे चलाना आरम्भ नहीं किया है, वे सभी विचारणाधान हैं और नजरबन्द हैं। यह उचित नहीं है क्योंकि मुकदमे सुरक्षित स्थानों पर चलाए जाएंगे और वकील तथा साक्षी कौन हैं, यह बताया ही नहीं जाएगा। अतः साक्षी को छिपाने के लिये कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। वह नकाब या और कुछ पहन सकता है ताकि बाद में यह पता ही न चले कि वह कौन था। क्या यह मुकदमे एक मजाक नहीं है? क्या हम इस सरकार के कदम से न्यायिक प्रणाली की खिल्ली नहीं उड़वा रहे हैं ? चूंकि आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकते और आप न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते तो यही उचित है कि आप वही कीजिए जो पहले से करते आ रहे थे अर्थात् पूरी न्याय प्रणाली को हास्यास्पद बनाने और उसे नष्ट करने की बजाए उन्हें नजरबन्द ही रखें।

आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की बात का हम सब समर्थन करते हैं। परन्तु क्या वे गम्भीरता से प्रयास कर रहे हैं? उन्होंने सभी प्रकार के अधिनियम बना लिए हैं और उन्हें जो अधिकार चाहिए थे, संसद ने दे दिए हैं। हम आज उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे उन शक्तियों का उचित ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वे निर्दोष और गलत लोगों पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे सही आदमियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये उग्रवादी मुठ्ठी भर ही हैं। केवल हम ही नहीं अपितु आप स्वयं भी कहते हैं कि इसके पीछे मुठ्ठीभर लोग हैं। परन्तु न तो आप उन्हें गिरफ्तार कर सके हैं और न ही उनका पता लगा सके हैं कि वे भारत में हैं या बाहर से कार्यवाही कर रहे हैं वे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी ने विधेयक पुरःस्थापित किया था। उन्होंने स्वयं कहा था :

"हम नहीं जानते वे कहां हैं।"

(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : व्यवधान डालने वाली कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही की जाएंगी।

(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाइये।

**श्री अमल दत्त** : मुझे बोलने दीजिए। इस अधिनियम में भी आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की भांति यह व्यवस्था की गई है कि इस न्यायालय मनोनीत न्यायालय से सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि हम जानते है कि उच्चत्तम न्यायालय में मुकदमा शीघ्र नहीं चलने वाला। सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था किये जाने पर क्या आपत्ति है? आखिर मनोनीत न्यायालय भी तो राज्य में काम करेंगे। वह अपील उच्च न्यायालय में क्यों नहीं की जानी चाहिए? सीधे उच्चतम न्यायालय में क्यों की जाए? यदि ये मामले उच्चतम न्यायालय में जाते हैं तो पहली बात तो यही होगी

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी। उच्चतम न्यायालय अपना काम नहीं कर सकेगा क्योंकि पहले ही उसके पास काम अधिक है।

इसी कारण से इस खण्ड विशेष में संशोधन किया जाये। अपील उच्चतम न्यायालय में करने की बजाए उच्च न्यायालय में की जाए।

बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1918-19 में जब आज जैसे हालात पैदा हो गए थे तो उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 पारित किया गया था। उन्होंने भी उस अधिनियम में तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में विशेष प्रकार के अपराधों के संबंध में मुकदमे चलाने के लिए विशेष न्यायालयों का उपबंध किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सम्पूर्ण भारत ने इस अधिनियम का विरोध किया। उसका नाम 'रौलट ऐक्ट' था और हम उसे 'ब्लैक ऐक्ट' कहा करते थे। उस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि इस प्रकार के अपराधों, जिन्हें वे अनुसूचित अपराध कहते थे, से संबंधित मुकदमे सुनने वाली पीठ में उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश होंगे और यदि उच्च न्यायालय के तीन कार्यरत न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होंगे तो दो कार्यरत न्यायधीश और एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश होगा। परन्तु आज हम एक सेशन जज को उससे कहीं अधिक अधिकार दे रहे हैं। उस ब्लैक ऐक्ट में जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस राज्य के एडवोकेट जनरल द्वारा आवेदन करने पर किसी मामले की सुनवाई आरम्भ करते थे वहीं इस अधिनिय के अन्तर्गत मनोनीत न्यायालय लोक-अभियोजक के आवेदन पर ही मुकदमे की सुनवाई करेगा। हम इस स्तर पर उतर आए हैं। ब्रिटिश काल में महात्मा गांधी ने रौलट ऐक्ट, जिसे हम 'ब्लैक ऐक्ट' कहते थे, के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व किया था क्योंकि वह न्याय के सामान्य सिद्धांत से हटकर था। उस अधिनियम में अनुसूची में उल्लिखित कतिपय अपराधों विशेष रूप से राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिकार दिए गए थे। परन्तु इसमें न केवल राज्य के विरुद्ध अपराधों के मुकदमों को सुनने का बल्कि इसमें उल्लिखित अन्य कई अपराधों के मुकदमों को सुनने का अधिकार सेशन जज को दिया जा रहा है जो पुलिस रिपोर्ट अथवा विशेष लोक अभियोजक द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र पर ही मामले की सुनवाई करेगा। हम इस स्तर पर उतर आए हैं। और संवैधानिक गारंटी का क्या महत्व रहा? अनुच्छेद 21 में व्यवस्था है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो न्याय प्रदान करने की सामान्य प्रक्रिया से हटकर हो, या जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हटकर हो। जनता पार्टी के शासन काल में एक विशेष न्यायालय विधेयक लाने का विचार था, जिसे उच्चतम न्यायालय को उसकी राय जानने के लिए भेजा गया था। उच्चतम न्यायालय ने उसे हानिकर कह कर अस्वीकार कर दिया। मेरे विचार में यह निर्णय न्यायमूर्ति सिंघल ने दिया था। न्यायमूर्ति सिंघल ने केन्द्र सरकार द्वारा न्यायाधीश मनोनीत करना हानिकर बताया क्योंकि अभियोजक न्यायाधीश को मनोनीत कर रहा था। उस विधेयक को पारित नहीं किया गया······

**एक माननीय सदस्य** : यह विसम्मत निर्णय था।

**श्री पी० चिदाम्बरम** (शिवगंगा) : बहुमत ने उसे उचित ठहराया था परन्तु कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत रखे थे। मेरे विचार में विद्वान सदस्य बहुमत के निर्णय में से नहीं पढ़ रहे हैं।

**श्री अमल दत्त** : अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है कि कोई प्रक्रिया निर्धारित कर देने मात्र से अनुच्छेद 21 के आदेश का पालन नहीं हो जाता।

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए न कि काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी। यह बात उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में कही थी जो मेनका गांधी के मामले के रूप में प्रसिद्ध है। न्यायमूर्ति भगवती द्वारा उन्हीं मामलों में दिया गया निर्णय इस प्रकार है :

> "क्या प्रक्रिया निर्धारित कर देना मात्र ही काफी है ? अथवा प्रक्रिया किसी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली भी होनी जरूरी है ? स्पष्ट रूप से प्रक्रिया मनमानी, पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन नहीं हो सकती। यह स्वयं विद्वान महान्यायवादी ने स्वीकार किया है कि वह यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई भी प्रक्रिया मनमानी, दमनकारी अथवा न्यायहीन हो सकती है, चाहे वह कानून द्वारा ही स्थापित क्यों न की गई हो।"

इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 21, जिसके अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि प्रक्रिया अवश्य ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी न कि मनमानी और दमनकारी। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त सुरक्षा को यह कानून बनाकर छीना जा रहा है। इसका अर्थ है कि यह कानून बनाकर अनुच्छेद 21, जिसके अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए न कि मनमानी और दमनकारी, द्वारा प्रदत्त इस सुरक्षा को छीना जा रहा है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि इसमें निर्धारित प्रक्रिया दमनकारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुकदमा जेल में चलाया जा सकता है और व्यक्ति वकील भी न कर सके। साक्षी चाहें तो अपना परिचय भी न दें। वे नकाब भी पहन सकते हैं ताकि लोगों को यह पता ही न चले कि उनके विरुद्ध कौन गवाही दे रहा है। उनसे जिरह भी नहीं की जा सकती क्योंकि साक्षी अधिनियम का कुछ स्थानों पर निरसन किया गया है। अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था है कि ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए और चूंकि इसमें यह संभावना है कि इसका प्रभाव इस सुरक्षा-उपाय पर पड़ता है इसलिए इसे पारित करने से पहले उच्चतम न्यायालय की उसकी राय जानने के लिए भेजा जाना चाहिए। अन्यथा सरकार को इसे सभा के सामने लाना चाहिए था, जैसा कि उसने आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने के मामले में जुलाई, 1984 में किया था। उन्होंने संसद के सत्र के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी किया था। निःसन्देह हमने इसका विरोध कर दिया था क्योंकि उन्होंने संसद के सत्र शुरू होने से दो दिन पूर्व अध्यादेश प्रख्यापित किया था। अब सत्रावसान की अवधि के दौरान वे इसे ला सकते थे और उच्चतम न्यायालय की राय ले सकते थे और फिर उच्चतम न्यायालय की राय के साथ सभा में पेश कर सकते थे। सरकार को वह प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। वह यह प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि वे जो भी मनमानी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं वे प्राप्त कर रहे हैं, इस आशा से कि भविष्य में उसे अपने राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकें। मैं कामना करता हूं कि सरकार आतंकवादियों से निपटने में सफल हो। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित करके वे आतंकवादियों से निपटने के मामले में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सरकार के पास पहले ही अन्य कानूनों द्वारा पर्याप्त शक्तियां हैं। अगर वे उन शक्तियों के आधार पर आतंकवादियों को समाप्त नहीं कर पाई है तो वह इस विधेयक के माध्यम से भी इस कार्य में सफल नही होगी। मेरी यही टिप्पणियां हैं।

**श्री एस० बी० सिदनाल** (बेलगाम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह यह विधेयक उस समय लाई है जबकि आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों से समाज में आतंक फैला रखा है और देश और सारे समाज

की शांति को भंग कर रखा है।

हमारा देश महात्मा गांधी, बुद्ध आदि का देश है, और आज स्थिति यह है कि इन आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण, रेल में चलने वाला, हवाई जहाज में यात्रा करने वाला और दुकानदारी में लगे लोग अपने आपको सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री अमल दत्त ने पूछा है : क्या आप इस कानून द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को समाप्त कर सकते हैं। इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। कानून निवारक है न कि उसका इलाज।

मैं कहना चाहता हूं कि जो सजा दी जानी है, वह पूरी तरह से न्यायसंगत है, लेकिन अवप्रेरक को इससे अधिक सजा दी जानी चाहिए क्योंकि समाज में ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए वही मुख्य लोग हैं। जब हम समाचारपत्र पढ़ते हैं कि इन्हीं अवप्रेरकों द्वारा 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतर नौजवानों के दिमाग को ऐसे विचारों से भरकर उन्हें बहकाया जाता है। हालांकि दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता में अवप्रेरकों के लिए दण्ड का विधान है, लेकिन इससे इच्छित परिणाम नही निकले हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि अवप्रेरकों को अधिक सजा दी जानी चाहिए।

श्रीमन्, एक अपराधी जो कि एक या दो व्यक्तियों की हत्या करता है, उसे मृत्यु-दण्ड की सजा दी जाती है। इन आतंकवादियों द्वारा जो कई एक हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें भारी दण्ड दिया जाना चाहिए, अतः विधेयक में दिये गए उपबंध न्यायसंगत हैं। बेगुनाह नागरिक और बच्चे उनके शिकार होते हैं। इसलिए अवप्रेरकों को भी भारी सजा दी जानी चाहिए। कानून अपनी जगह है, लेकिन इसको लागू करना, अधिक प्रभावशाली होना चाहिए।

श्रीमन्, ऐसे कानून को पेश करने का उद्देश्य अपराधों में कमी लाना और न्यायप्रिय समाज की रचना करना है। आतंकवादियों ने इस देश में अव्यवस्थित परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक नागरिक के मन में भय पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे विचार से यह विधेयक उचित है और जो अपराध किसी प्रयोजन को लेकर जानबूझकर किये जाते हैं उनके साथ कड़ाई से निपटना चाहिए।

आजकल मुकदमे चल रहे हैं। न्यायालय मनोनीत किये जाते हैं। वहां डर की वजह से साक्षी सही ढंग से सामने नहीं आते। मेरे विचार से, ऐसी स्थिति में, हमें अधिक वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना होगा अन्यथा वहां कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। विधेयक में भी कहा गया है कि तोड़-फोड़ के लिए वैज्ञानिक ढंग अपनाया जाता है। अतः उसी राज्य से छानबीन भी वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए। आजकल छानबीन पुराने ढंग से की जाती है और कई अपराधी साक्ष्य के अभाव में बच जाते हैं। साक्ष्य अधिनियम में यह कथन है कि चाहे नौ अपराधी कानून के शिकंजे से निकल जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। श्रीमन्, अगर हम वैज्ञानिक ढंग से जांच नहीं करेंगे तो सारे के सारे कानून के शिकंजे से निकल जायेंगे। इसलिए, जांच अधिक वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए अन्यथा फिर कोई बेगुनाह शिकार हो जाएगा और असली अपराधी कानून के शिकंजे से निकल जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मनोनीत न्यायालयों के प्रति पर्याप्त स्पष्टता है और कानून का यह उद्देश्य पूर्ण होगा कि इस प्रकार के आतंकवादियों और तोड़-फोड़ करने वाले आतंवादियों पर नियंत्रण पाया जा सके।

तीसरे, साक्षियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में, मैं कुछ कहना चाहूंगा। साक्ष्यों को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी विषय को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम अपने अनुभव से देखते हैं कि आम न्यायालयों में भी, हत्या या अन्य मामलों में, एक व्यक्ति, जो कि न्यायालय के सामने साक्ष्य देने आता है, उसे तंग किया जाता है या कई मामलों में उसकी हत्या कर दी जाती है। डर की वजह से असली साक्षी सामने आयेगा ही नहीं। हम असली हत्यारे को सजा नहीं दे पायेंगे। इसलिए अगर बन्द कमरे में भी मुकदमा चलाया जाए तो भी साक्षी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती। कानून और समाज द्वारा उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। अन्यथा कोई भी कानून प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता और अपराधियों की संख्या को प्रभावकारी ढंग से कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः साक्षियों को अवश्य सुरक्षा दी जानी चाहिए। मुकदमों पर विचारण भी शीघ्रता से किया जाना चाहिए। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बावजूद, प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। इसे जल्द किया जाना चाहिए, और यह निवारक होना चाहिए। दण्ड ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे अपराधी डर कर भविष्य में अपराध न करे।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के उद्देश्य अच्छे हैं। इससे देश में न्यायप्रिय समाज की संरचना होगी। संबंधित प्राधिकारियों को विधेयक के उपबंधों को लागू करना चाहिए। यह कहा गया है कि कम समय में ही आतंकवादी और तोड़फोड़ कार्यवाहियों को समाप्त किया जायेगा। लेकिन मेरा शक यह है कि कोई भी कानून अस्थायी प्रवृति का नहीं होना चाहिए, हम यह अन्दाज नहीं लगा सकते कि एक विशेष समय के बाद अपराधी अपनी गतिविधियां बिल्कुल समाप्त कर देंगे। इसलिए जो 2 वर्ष की बात कही गई है उसे लम्बी अवधि तक जारी रखा जाना चाहिए। अन्यथा इस विधान का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे कुछ समय तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। हम नहीं जानते कि ऐसी वारदातें फिर कब होंगी। इन सभी वर्षों के दौरान हम इन्हें देखते रहे हैं। देश में साम्प्रदायिक गतिविधिया हमेशा ही होती रही हैं। अगर इस कानून को जारी रखा जाता है तो हम इस उद्देश्य से किसी भी क्षेत्र को, इस अधिनियम के अन्तर्गत विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। धारा 3 में कहा गया है :

> "जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक उत्पन्न करने या जनता के किसी वर्ग को पृथक करने······"

इसका अर्थ है यह स्थायी प्रकृति का है। जो भी क्षेत्र भविष्य में विक्षुब्ध घोषित किया जाएगा उस पर यह धारा लागू होगी। भविष्य में किसी भी जगह पर वैज्ञानिक तरीके से किसी बम से हमला किया जा सकता है। इसलिए, समय को सीमित नहीं किया जा सकता है। 2 वर्ष बहुत सीमित समय है, और यह अपर्याप्त है। इस समय को उस अवधि तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक हम आतंकवाद और विघटनकारी कार्यवाहियों को समाप्त नहीं कर देते।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री चिरंजी लाल शर्मा** (करनाल) : सभापति महोदय, आरंभ में मैं माननीय प्रधान मंत्री और उनकी सरकार को आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए पेश किये गये इस विधान के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्रीमन्, सत्ता दल के एक सदस्य ने टिप्पणी की थी कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता— इसे काफी देर से पेश किया गया है। यह ठीक ही कहा गया है कि न होने से देर से होना बेहतर है। सरकार राष्ट्र की नब्ज पहचानती है, इसीलिए वह यह विधान लायी है।

मैं पश्चिम बंगाल से विपक्ष के माननीय सदस्य का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। ऐसा लगता है कि वे न्यायालय में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और यह भूल गए थे कि वह संसद सदस्य हैं जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं न कि अपने मुवक्किलों का। एक वकील को न्यायालय में एक दोषी का बचाव करना होता है। लेकिन एक संसदविद् के नाते, उन्हें दूसरी हैसियत में कार्य करना होता है। मुझे मात्र उनकी कुछ बातें सुनने से हुआ कि सरकार की नीयत में कहीं खोट है। वे यह बात भूल गये कि इस शान्त देश में बड़े पैमाने में इन नृशंसों द्वारा गड़बड़ पैदा करने का सुनियोजित और नियमित प्रयास किया जा रहा है। सारे देश में इन आतंकवादियों द्वारा ये दुर्घटनाएं की गई हैं, जिससे कि हमारी शांति को खतरा पैदा हुआ है। अब लोगों की सुरक्षा और स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस विधान को लाना आवश्यक समझा।

मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ रहा था। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने और विपक्ष के माननीय सदस्य ने यह टिप्पणी की थी कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह तथ्यों को गलत बयान करना है और विधान का गलत अर्थ लगाना है। मैं नहीं जानता कि इसमें मात्र पंजाब और चण्डीगढ़ का जिक्र होने से यह किसी समुदाय विशेष को निर्दिष्ट करता है।

मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन से संबंधित उद्धरण देना चाहता हूं :

> "आतंकवादी, अधिकतर पंजाब और चण्डीगढ़ में अंधाधुंध मारकाट, आगजनी, सम्पत्ति की लूटपाट और अन्य जघन्य अपराधों में लगे हुए थे। 10 मई, 1985 से आतंकवादियों ने अपने क्रियाकलापों का विस्तार देश के अन्य भागों पर अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थात पर कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत-सी जानें गई हैं और अनेक व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई हैं।"

मैं माननीय मित्र द्वारा दिये गए इस तर्क, कि यह किसी समुदाय को अलग-थलग करने के लिए है. को नहीं समझ पाया, यह इसका गलत अर्थ लगाना है, यह सिखों, मुसलमानों, हिन्दुओं या ईसाइयों के विरुद्ध नहीं है, जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उससे निपटना ही होगा। सभापति महोदय, आतंकवाद के विरुद्ध ऐसा कोई कानून, विधान आदि नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता में भी आतंकवाद की परिभाषा नहीं दी गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्षों बाद, यह विधान लाया गया है और वह भी तब जब स्थितियां ऐसी पैदा हो गई थीं।

श्रीमन्, मेरे विद्वान मित्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-क का जिक्र कर रहे थे। सभापति महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से उनसे यह पूछने का दुःसाहस कर सकता हूं कि किसी अधिनियम में कोई उपबंध ऐसा है, जिसमें 'आतंकवादी' या 'आतंकवाद' शब्द की परिभाषा दी गई हो ? कहीं भी नहीं। अतः सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से विचार कर आवश्यक समझा कि यह विधान पेश किया जाए और इसके लिए हमें भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। श्रीमन्, विधेयक की पहली ही धारा में, यह कहा गया है कि :—

> "(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह निम्नलिखित को भी लागू होता है :
>
> (क) भारत के बाहर के नागरिक;
>
> (ख) सरकारी सेवा में व्यक्ति, जहां कहीं भी हों; और
>
> (ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर व्यक्ति, जहां कहीं भी वे हों।"

श्रीमन मेरे मित्र ने तर्क दिया है कि इसे जल्दबाजी में पेश किया गया है, ऐसा नहीं है। मैं विश्वास से जिम्मेदारी समझते हुए कह सकता हूं कि कि यह विधेयक बहुत व्यापक है। यह व्यापक विधेयक है, यहां तक कि इसमें वे भारतीय भी आते हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं। हाल ही में, आपने समाचार पत्रों में यह पढ़ा होगा कि वह विदेशों में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के विरुद्ध षडयंत्र रचे जा रहे हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। बहुत से वक्ताओं को अपना भाषण देना है।

**श्री चिरंजी लाल शर्मा** : जब भी मैं बोल रहा होता हूं, यह घंटी मेरे भाषण में बाधा डालती है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे बोलने के पांच मिनट बाद ही यह घण्टी बजा दी जाती है।

कल ही हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि इस वर्ष 12 मार्च को विदेशों में रहे कुछ आतंकवादी कनाडा के दो जिलों कोलंबिया और बेनकोवेर जो आतंकवादियों का प्रशिक्षण कैम्प बन गया है, से ब्रिटिश बंदूकों को अलग-अलग हिस्से करके ले जा रहे थे। पांच दिन के बाद, उस बंदूक के अन्य पुर्जे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा रहे थे। उन्हें लंदन ले जाया जा रहा था। हीथ्रो में उन्हें पकड़ लिया गया और वापस कनाडा भेज दिया गया। इस तरह विदेशों में षड़यंत्र रचे जाते हैं। इन्हें एक मिशन पूरा करने हेतु लंदन से पैरिस ले जाया जा रहा था।

मैं अमरीका सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने ठीक समय पर कदम उठाया है। जो बात अस्पष्ट थी वह स्पष्ट हो गई। भेद खुल चुका था। उन्हें इन आतंकवादियों को, जिनके हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध बड़े नापाक इरादे थे, पकड़ने में सफलता मिली है। हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री, श्री भजनलाल अपनी आंख का आपरेशन करवाने न्यू ओरलिन्स में गए हुए थे। वह अस्पताल में थे। उनकी आंख का आपरेशन होने के बाद, वह होटल में चले गए। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक नहीं बल्कि 5-6 आतंकवादी अपने आपको होटल के आसपास छिपाए हुए थे और उनमें से एक तो होटल के डाइनिंग रूम तक पहुंच गया था। सौभाग्य से उस दिन श्री भजनलाल ने अपने ही कमरे में खाना खाने की सोची। इस तरह आतंकवादी जो विदेशों में रह रहे भारतीय ही हैं, इस तरह के षड़यंत्र रच रहे हैं। इसलिए इस विधेयक के खण्ड 1 में बिलकुल ठीक शब्द इस्तेमाल किये गये हैं।

मेरे मित्र ने खण्ड 13 के सम्बन्ध में, जिसमें सरकारी गवाहों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है, आपत्ति उठाई हैं। तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे बड़े अपराधियों के विरुद्ध चाहे वे आतंकवादी हों, आनन्दमार्गी अथवा उग्रवादी या जो भी नाम इन लोगों को आप दें, गवाही देने खुलकर सामने नहीं आएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन को कीमती समझता है और मैं विधि मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने गवाहों की सुरक्षा के लिए ऐसा उपबंध बनाया, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आतंकवादियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए सामने नहीं आयेगा।

एक उपबंध यह भी बनाया गया है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही गुप्त रूप से चलेगी। जब तक कानून में ऐसे उपबंध नहीं बनाए जाते, तब तक वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। विभिन्न विषयों के संबंध में भी कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। मैं इन सब बातों पर विस्तार में चर्चा करना नहीं चाहता। नहीं तो मैं विपक्ष के अपने माननीय साथियों के एक-एक प्रश्न का उत्तर

देना चाहूंगा। मुझे समय बहुत कम दिया गया है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों के विरुद्ध जनता को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह उपबंध दो वर्ष का ही क्यों रखा गया है। इस सम्बन्ध में दीर्घावधि उपाय किए जाने चाहिए। हमें इसे स्थायी रूप देना चाहिए ताकि आतंकवादी अथवा वे व्यक्ति जो राष्ट्र का बहुत अहित कर रहे हैं, जान लें कि उनके विरुद्ध कानून बना है और वे सजा से बच नहीं सकते। मेरा विधि मंत्री से विनम्र निवेदन है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और आतंकवादियों से निपटने के लिए दीर्घावधि उपाय किये जाने चाहिए।

आतंकवादी अपने आपको बड़े तीसमार खां समझते हैं और उनको केवल डंडे से ही ठीक किया जा सकता है न कि उनके आगे झुकने से। मान लीजिए किसी घर में चोरी होती है और संबंधित व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में जाता है। रिपोर्ट लिख ली जाती है और सब इंसपेक्टर दोषी व्यक्ति को ढूंढ़ निकालने के बाद उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है, उसे रसगुल्ले खाने चाय पीने के लिए कहता है। क्या वह उस चोर से डकैती और चोरी के सामान का पता लगा पाएगा? नहीं। उसे चुराई गई संपत्ति का पता लगाने के लिए कदम उठाने होंगे।

अमेरिका, इटली, पश्चिम जर्मनी अथवा इंग्लैंड जैसे देशों में आपको आतंकवाद देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में इस तरह का आतंकवाद नहीं था जो पिछले एक-दो वर्षों से है। अब तक हमारे समक्ष पंजाब की समस्या थी। यह विवाद दो राज्यों के बीच आपसी हितों को लेकर पैदा हुआ। पंजाब और हरियाणा के बीच कुछ भोगों के सम्बन्ध में विवाद था। लेकिन इस आतंकवाद को हमारे देश के समूचे उत्तरी मांग में फैलाने की क्या वजह है? महोदय, इस आतंकवाद के पीछे जिनका हाथ है मैं उन देशों का नाम ले सकता हूं। आतंकवादियों के पास से जो बम और अन्य शस्त्र बरामद हुए हैं उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें विदेशी शक्तियां अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। महोदय, आप देखेंगे कि वे पुलिस और सेना की वर्दी में घूमते हैं। इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि वह सैनिक हैं या पुलिस कर्मचारी अथवा आतंकवादी या बड़े सिपाही के वेश में बड़ा अपराधी। आम आदमी के लिए यह जान पाना बहुत कठिन है। आप सैर के लिए या पार्क में घूमने अथवा सिनेमाघर या बस-अड्डा या रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकलते समय अपने आपको अत्यंत असुरक्षित महसूस करते हैं। यहां तक कि आपके घर के सदस्य ऐसा महसूस करते हैं कि निश्चित नहीं कि घर से बाहर निकला आदमी सुरक्षित घर लौट भी पाएगा या नहीं।

प्रो० मधु दंडवते कल विधेयक पेश करते समय विधि मंत्री को यह आश्वासन दे रहे थे कि विपक्ष इस विधान में सहयोग देगा। वे चाहते हैं कि जिस तरह दल-बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था उसी तरह यह विधान भी पारित किया जाए। हमें उनकी ईमानदारी पर संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह के तर्क दिये गये, वे उनके सुझाव के विरुद्ध थे। मैं नहीं जानता कि उनकी कथनी और करनी एक है। अथवा उसमें कोई फर्क है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के संबंध में कोई विवाद नहीं उठना चाहिए। इस पर सभा को अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं और उसे एकमत से पारित किया जाना चाहिए। आपको अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करने चाहिए। लेकिन इस पर मतदान करते समय आपको अपनी अन्तर आत्मा की बात माननी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : सभापति जी, 10 मई की शाम को जहां ट्रांजिस्टरों से कुछ

और सुनाई देता था, वहां उस उनसे मौत की आवाज सुनाई दे रही थी। 11 तारीख के रोज आतंकवाद का बड़ा उग्र रूप सामने आया, आतंकवाद ने एक उग्र रूप धारण कर लिया था। सोचा था कि अब सरकार के प्रयत्नों से यह समस्या सुलझ रही है। लेकिन सरकार की उदारता को कमजोरी समझा गया। सरकार ने बंद लोगों को छोड़ा, उनसे सुलह की बात की। छात्र संघ पर से पाबंदी हटा ली गई। उन्होंने इसे सरकार की कमजोरी समझा। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह गांधी की भूमि है, यह बौद्ध की भूमि है। इस भूमि पर आतंकवाद पनप नहीं सकता। इसमें आतंकवाद के बीज नहीं बोये जा सकते। इस जमीन में हिंसा और आतंकवाद को बोने वालों ने यह नहीं समझा कि ये चीजें यहां के वातावरण में नहीं बोई जा सकती हैं।

ऐसा मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने इसकी एक सुनियोजित योजना बनाई थी। एक स्टेशन पर नहीं, बल्कि एक साथ बीस रेलवे स्टेशनों पर बम ब्लास्ट किये गये। उनकी निर्दोष लोगों को मारने की योजना थी। क्या निर्दोष लोगों को मारने से खालिस्तान बन सकता है?

इसलिए आज जो बिल हमारे सामने लाया गया है यह एक बड़ा कम्प्रीहैंसिव बिल है। इसमें सारी बातें इन्क्लुड कर दी गई हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को दो साल के लिए ही क्यों लाये हैं? इसको दो साल के लिए लाने का क्या कारण है? अगर आप इस देश में आतंकवाद को पसंद नहीं करते हैं तो इसको लम्बी अवधि के लिए लाया जाना चाहिए था। हमने अपनी आजादी की लड़ाई अहिंसा के आधार पर लड़ी। महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी। जब आप इस देश से आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो फिर यह बिल दो साल के लिए ही क्यों लाया गया है? यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इससे जम्मू-कश्मीर को क्यों अलग कर दिया गया। आप वह वजह बताते जिससे आपने जम्मू-कश्मीर को इससे अलग कर दिया।

हम सारी घटनाओं में जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस धरती पर हमने अहिंसा और सत्य के द्वारा अपनी लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत से लड़कर आजादी प्राप्त की उस धरती पर आतंकवाद के फैलाने वाले पैदा हों। हम आतंकवाद में विश्वास नहीं करते। उधर से बोलने वाले वक्ता श्री माधव रेड्डी ने पहले एक बात कही कि वे इस बिल का पूर्ण समर्थन करते हैं लेकिन बाद में परन्तु और लेकिन शब्द लगा दिये। मैं आपसे कहता हूं कि आप इन शब्दों को निकाल दीजिए। ये शब्द ठीक नहीं लगते हैं। आपने इस बिल की पूरे दिल से ताईद की है फिर ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर): एन्टी डिफेक्शन बिल के समय हमने कहा था कि हम इस बिल की पूरी ताईद करते हैं लेकिन उस पर हमने एक अमेंडमेंट रखा था। उस बिल का पूरी ट्रेजरी बेंच ने समर्थन किया था लेकिन हमने जो अमेंडमेंट रखा था उसको प्रधान मंत्री जी ने मंजूर किया। क्या किसी बिल पर कोई अमेंडमेंट रखना उसका विरोध करना है? हम तो ऐसा अमेंडमेंट रखना चाहते हैं जिससे यह बिल ज्यादा मजबूत बन सके। आप हमारे अमेंडमेंट रखने के हक को न लीजिये।

**श्री मूल चन्द डागा**: प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बुद्धि की प्रशंसा करता हूं और किसी सब्जेक्ट को रखने और सुन्दर ढंग से रखने की भी प्रशंसा करता हूं। लेकिन अब जो कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में आप रख रहे हैं उससे कुछ और झलकता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं और

**2.00 म० प०**

इस बात की मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं दण्डवते साहब, अगर मैं आपकी जुबान में बोलना सीखता तो मुझे भी कुछ लाभ होता, लेकिन मैं वह नहीं चाहता। सवाल यह था कि आतंकवाद की जड़ें खत्म की जाएं, उन्हें निकाल दिया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमान कि यहां आतंकवाद के बीज बोए ही नहीं जा सकते। आपने भी जब कभी उदारता बरती तो लोगों ने समझा कि आतंकवाद को मदद दे रहे हैं, न ही आतंकवाद को कोई पसंद करता है। अभी उधर से आर्गूमेंट दे रहे थे कि कोर्ट में नाम नहीं लिया जाता है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में 60 प्रतिशत केसेस इसलिए चले जाते हैं कि गवाह नहीं आते हैं। आज टेररिज्म की क्या स्थिति है, एक बड़े वकील के घर में क्या निकला है, दिल्ली के मेम्बरों की गर्दन तो शर्म से नीची होती है। इस तरह की घटनाएं जहां हो रही हों, इनको देखते हुए यह कानून विल्कुल ठीक समय पर आ गया है और माकूल समय पर आया है। समय का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं, रूल्स लेड-आन के सबार्डिनेट लेजिसलेशन को पावर्स दिए हैं, लेकिन आपने कहा :—

**2.01 म० प०**

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**[अनुवाद]**

उप-विधान में बताए गए नियमानुसार नियम और आदेश सभा पटल पर रखे जाने चाहिए जबकि अपने प्रत्यायोजित विधान में आपने कहा कि नियम सभा पटल पर रखे जाएंगे। लेकिन आपने आदेश पारित करने का अधिकार अधिकारियों को दिया है और वे आदेश भी सभा पटल पर रखे जाने चाहिए। लेकिन उसका जिक्र नियमों में नहीं किया गया है।

मैं इसलिए यह बात कहना चाहता था कि आपने बिन हरीडली पेश किया है। मान लीजिए एक टेक्नीकल अफेंस हो जाता है और आप चाहते हैं कि पांच साल की सजा होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट सारे बयान लेने के बात इस नतीजे पर पहुंचता है कि गुनाह करने वाले का इंटेंशन नहीं था, उसके दिमाग में यह नहीं था, यह गलती से उससे हो गया है और उसको पूरा मेटिसफेक्शन हो जाता है, लेकिन आपके कानून के अनुसार उसको 5 साल की सजा मिलनी चाहिए, अशोक सेन साहब, अगर आप कोर्ट में होते तो कहते नहीं, इक्विटी कंसेंसस; उस समय आप यही कहते। इसलिए जो कहा—

उसे न्यूनतम 5 वर्ष का दंड मिलेगा।

**[हिन्दी]**

लेकिन एक बात है, टेक्नीकल अफेंस हो जाता है और 5 साल की सजा देने के बारे में मैंने अमेंडमेंट दिया है, वह इसलिए दिया है कि आप सोचें, अफेंस आफ जस्टिस हो जाए तो मजिस्ट्रेट अपने मेटिस्फेक्शन पर सजा कम भी दे सके।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाडमेर) : टेक्नीकल अफेंस क्या हो सकता है ?

**श्री मूल चन्द डागा** : वह यह हो सकता है कि मान लीजिए मेरा इरादा नहीं है वहां

जाकर आतंकवाद का या विघटनकारी काम करने का, मैं उधर से निकल रहा हूं, और जब निकल रहा हूं, उस समय कैमरा मैन ने फोटो ले लिया और मेरा फोटो आ गया :—

[अनुवाद]

मैं उसमें शामिल नहीं था ।

[हिन्दी]

लेकिन अगर गवाह कह देते हैं कि वह आदमी था, मजिस्ट्रेट के दिमाग में आता है कि यह आदमी इनोसेंट है, इसने कुसूर नहीं किया :—

[अनुवाद]

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : उसे रिहा किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

कभी-कभी ऐसे टेक्नीकल अफेंसेंस हो जाते हैं । यह कहा गया है कि उसे 5 साल की सजा मिलनी चाहिए । अगर कोई बूढ़ा आदमी है 75 वर्ष का, उसे भी 5 साल की सजा दे दो, उससे क्या फायदा । यह भी आपको देखना चाहिए ।

[अनुवाद]

इसे मजिस्ट्रेट की मर्जी पर छोड़ दीजिए ।

**श्री जगदीश अवस्थी** (बिल्होर) : अपवाद उद्धृत नहीं किए जाने चाहिए ।

[हिन्दी]

**श्री मूल चन्द डागा** : मुझे जो बात कहनी थी, वह मैंने आपके सामने रख दी है । यह तो आपका डिस्क्रीशन है । निर्णय तो आप ही को लेना है । आपने कहा है कि :—

[अनुवाद]

वह जमानत पर रिहा हो जाता है । किस आधार पर ? आपने कहा "कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया और इसकी भी संभावना नहीं कि जमानत पर होने के समय वह कोई अपराध करेगा ।" इन दोनों बातों पर विचार किया जाना चाहिए । मैं कहता हूं कि आप इस पहलू पर विचार करें । ऐसा न हो दोनों ही बातें उसमें हों ही । मैंने अपना विचार बता दिया है, अपना संशोधन पेश करते समय मैं उनका जिक्र करूंगा । यदि आप उसे स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा रहने दीजिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी मैंने आपके आने से पहले कुछ बातें कहीं हैं । आपने सुनी होगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपकी सब बातें सुन रहा हूं ।

**श्री मूल चन्द डागा** : मैंने यह कहा था कि हिन्दुस्तान की धरती पर यह गांधी जी का देश है । यहां पर आतंकवाद के बीज बोए नहीं जा सकते । श्री मधु दंडवते जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों में भी यह निर्णय ले लिया है, कि हम आतंकवाद को पसन्द नहीं करते, यह जो

आतंकवाद का बिल है, यह एक राय से पास होगा । जो सुझाव आप लोग देना चाहते हैं, वह तो जरूरी दीजियेगा । लेकिन एक स्वर से इस बिल को पास करें । अखबारों में भी वही खबर फैले कि इस आतंकवाद के बिल को एक राय से पास किया क्योंकि यह गांधी जी और भगवान बुद्ध का देश है ।

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं और मेरा दल हर तरह से आतंकवाद का पूर्णतः विरोध करते हैं ।

महोदय, मैंने ऐसा केवल हिंसा और अहिंसा के नैतिक दृष्टिकोण से नहीं कहा । सारे विश्व में आतंकवाद से कभी राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सका है । यद्यपि उन लोगों ने भी जिन्होंने हिंसा को परिवर्तन और क्रांति का माध्यम माना है, आतंकवाद और हिंसात्मक क्रांति में भेद किया है । आतंकवाद से हिंसक क्रांति भी नहीं लाई जा सकती । इससे केवल लोगों में आतंक पैदा किया जा सकता है और भय के वातावरण से सामाजिक अथवा राजनैतिक परिवर्तन या क्रांति नहीं लाई जा सकती ।

जहां तक मेरा संबंध है, हम एक कदम आगे हैं । हम इस देश में गांधी जी के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं और उन्हीं के आधार पर देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं और यह परिवर्तन केवल मतदान द्वारा ही नहीं अपितु संसदीय कार्यवाहियों के अतिरिक्त शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक संघर्ष के माध्यम से भी लाना चाहते हैं । गांधी जी ने 'कोई कर नहीं आंदोलन' व्यर्थ में ही नहीं चलाया था । बारदोली का सबक हम कभी नहीं भुला पाएंगे । डांडी मार्च, शांतिपूर्वक हड़ताल के सबक हम कभी नहीं भूल पाएंगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि ये तरीके असंसदीय हैं किन्तु यह संघर्ष के शांतिपूर्ण तरीके हैं और जो लोग गांधीवादी तरीके से परिवर्तन लाने में विश्वास रखते हैं, उन्होंने गैर संसदीय, अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण तरीकों को भी स्वीकार किया है और हम उनके लिए वचनबद्ध हैं । संघर्ष के अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण और गैर-संसदीय तरीकों के प्रति हमारी अटल वचनबद्धता के कारण हम आतंकवाद का पूर्णतः विरोध करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी अथवा मध्यमार्गी या किसी अन्य दल या सांप्रदायिक दल के हैं, एक बात निश्चित है कि आतंकवाद के इस रास्ते का हम पूर्णतः विरोध करते हैं । इसलिए मैं आतंकवाद के प्रति विचारधारा संबंधी इस विरोध को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

यह स्पष्ट करने के बाद, मैं यह भी कहूंगा कि हमारे इस समय बहुत से कानून ऐसे हैं जिनके अंतर्गत आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटा जा सकता था । लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि निर्णय स्वयं सरकार ले । विपक्षियों को यह जानकारी नहीं होगी कि क्या कोई कानून विशेष आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी है या नहीं । शस्त्र चलाने वालों को ही पता होता है कि शस्त्र शक्तिशाली है अथवा उसमें कुछ कमियां हैं । लेकिन जिन लोगों के हाथ में देश का प्रशासन है उन्हें हमें बताना चाहिए कि वर्तमान कानून कहां असफल रहे हैं, या वे अपर्याप्त हैं, क्या उन्होंने उनका पूरा उपयोग किया है । अगर उन्होंने निष्कर्ष निकाल ही लिया है—मैं उनके उद्देश्य को चुनौती नहीं देता—कि वर्तमान कानून आतंकवाद की ताकतों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वे ऐसा विधान पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं जिससे उद्देश्य की पूर्ति होती हो । परन्तु हमें देखना चाहिए कि जब हम इस विधान, जोकि एक अधिनियम बन जाएगा, के द्वारा कुछ शक्तियां देते हैं तो बाद में यह नहीं कहा जाए कि यह अधिनियम भी अपर्याप्त है । मैंने पिछली

बार आंकड़े दिए थे। मैंने लोक-सभा की कार्यवाही देखी है। मैंने भूततूर्व ग्रह मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी द्वारा दिए गए उत्तर को भी देखा है। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि फरवरी, 1984 के अंत तक 220 निरपराध लोग पंजाब में आतंकवादियों द्वारा मारे गये थे और एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया। पिछली बार श्री एस० बी० चह्वाण ने भी कुछ आंकड़े दिये थे परन्तु उन्होंने 1985 के आंकड़ों को भी शामिल कर लिया था और ऐसा चित्र प्रस्तुत किया था मानो कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में ऐसा कह कर आप विधि मंत्री और गृह मंत्री को कुछ करने के लिए उकसा रहे हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं कि वे कार्यवाही करने की आदत बनायें प्रतिक्रिया व्यक्त करने की नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार अधिकतर प्रतिक्रिया ही व्यक्त करती है; वह कभी कार्यवाही नहीं करती। उस मायने में यह प्रतिक्रियावादी है। अतः मैं चाहता हूं कि वे समय पर कार्यवाही करें। समय पर की गयी रोक थाम की कार्यवाहियों से स्थिति से बचा जा सकता है। इस घटना की ओर जानबूझकर मैंने आपका ध्यान दिलाया। उनके शस्त्रागार में बहुत से हथियार हैं यहां तक कि वर्तमान कानूनों में भी। इतना होने पर भी वे फरवरी, 1984 के अंत तक 220 व्यक्तियों को मारने के संबंध में एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चला सके। अगर ऐसा वर्तमान कानून में हो सकता है तो मुझे आशंका है कि तब भी हो सकता है जब हम उन्हें अधिक शक्तियां दे देंगे। जब कभी भी नया कानून अधिनियम बनता है, अगर नतीजा यही निकलता है, तो यह भी निरर्थक हो जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में वह इस मुद्दे का उत्तर देंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** : वास्तव में, उन्होंने अपना उत्तर पहले से ही तैयार कर रखा है, क्योंकि वह हमारे एक अच्छे मित्र हैं, अतः वह हमारी शंकाओं तथा संदेहों को जानते हैं।

मैं एक बात और बताना चाहूंगा और वह है इस विधेयक पर विरोधी पक्ष का रवैया। मेरे मित्र श्री डागा ने अभी-अभी यह कहा है कि श्री माधव रेड्डी ने यह विचार व्यक्त किया है कि विपक्षी दल इस विधेयक का समर्थन करेगा परन्तु 18 (ग) इस तरह का खण्ड है जिससे राज्य के कतिपय अधिकार छिन जायेंगे और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा अगर आप समर्थन करें तो टीका टिप्पणी मत करिये। लोकतंत्र की सुन्दरता इसी में है कि सत्ता धारी पक्ष के लोग विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। अपनी सम्पूर्ण सक्षमता के बाद वे कुछ खामियां छोड़ जाते हैं। वे स्वयं भी उनका पता नहीं लगा सकते। हम जो लोग विपक्षी दल में बैठते हैं हमारा कर्तव्य सिर्फ यहां आकर हर रोज 70 रुपये कमाना नहीं है, अपितु हमारा कर्तव्य है यहां पर विपक्षी दल के सदस्यों की भांति बैठना तथा सत्ताधारी पक्ष पर सतर्कतापूर्ण निगाह रखना और राष्ट्र तथा समाज के हित में अगर हम कोई खामियां या कमियां पाते हैं तो ऐसी हालत में हमें उन्हें बताना चाहिए तथा सरकारी सत्ताधारी पक्ष को विरोधी दलों द्वारा पेश किए गए रचनात्मक प्रस्तावों तथा संशोधनों पर अनुकूल रवैया अपनाना चाहिए।

उदाहरण के लिए देश में दलबदल की बुराई को लीजिए। मैंने स्वयं 1980 में दल-बदल के खिलाफ एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया था। मुझे बताया गया था कि यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। सौभाग्य से 1984 में समय इसके अनुकूल हो गया। दल-बदल विधेयक

लाया गया। प्रधान मंत्री ने विरोधी दलों के सदस्यों को बुलाया तथा हमने चर्चा की, वाद-विवाद किया। उन्होंने एक प्रारूप रखा। हमने कहा "देश में दल-बदल पर रोक लगाने के विचार का हम पूरे हृदय से समर्थन करते हैं। अगर हम गांधी जी के जन्म दिवस पर इसे लागू करें तो महात्मा गांधी की याद में यह उनके लिए सबसे अच्छी श्रृद्धांजलि होगी।" परन्तु हमने पूरे दिल से इसका समर्थन किया और हमने साबित कर दिया है कि हमने समर्थन बिना सोचे समझे नहीं दिया था।

**अध्यक्ष महोदय** : बिना सोचे समझे समर्थन करना हमेशा ही खतरनाक होता है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, यह बहुत ही खतरनाक होता है। चाहे यह अन्धापन हो या वर्णान्धता दोनों ही खतरनाक हैं। अतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने तैयार किए गए विधेयक के प्रारूप पर सदन के नेताओं से चर्चा की तो हमने उनसे इसकी जांच करने और उसे देखने के लिए कहा। हमने उनसे कहा था कि "अपने दल के सदस्यों को अनुशासित करने के लिए भारत के संविधान का प्रयोग मत करिए, कांग्रेस दल, जनता दल, सी० पी० आई० (एम) के संविधान का प्रयोग करिए। अपने सदस्यों को अनुशासित करने के लिए भारत के संविधान का प्रयोग मत करिए। संविधान अच्छे कार्य के लिए है।" अगर सदन में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से दल-बदल होता है और सरकार गिर जाती है तो इस तरह की बुराई को रोकना है और इसलिए हमने कहा, "आप विधेयक के प्रारूप में से उस विशेष खण्ड को हटाइये जोकि सदन के बाहर सदस्यों की अनुशासनहीनता के कारण उनको दण्ड देने से संबंधित है।" महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि जब सत्ताधारी दल में लोकतंत्र हो तो देश में भी लोकतंत्र होता है। मैं बहुत ही प्रसन्न था कि प्रधान मंत्री जी के साथ विपक्षी दल की बैठक में जब मैंने अपने संशोधन को प्रस्तुत किया तो उस समय उसे स्वीकार नहीं किया गया परन्तु जब उसी को कांग्रेस (आई) की आम सभा में रखा गया तो कांग्रेस (आई) के अठारह सदस्यों में से, जिन्होंने उस बैठक में बोला था, सोलह सदस्यों का कहना था कि यह संशोधन एकदम सही है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने कहा, "हम इसे स्वीकार कर रहे हैं।" हमने कहा कि संशोधी विधेयक पर सभी एकमत थे और हमने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया।

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा सहयोग था।

**प्रो० मधु दण्डवते** : विरोधी दलों द्वारा पेश किए गए रचनात्मक संशोधनों पर इसी तरह की प्रतिक्रिया दिखाना ही अच्छा होता है। अतः विधि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो कोई भी संशोधन हमारी तरफ से रखा जाए उसे पूर्ण रूप में रखा जाये। आखिरकार हम यहां पर विधान को मजबूत कराने के लिए हैं। आपने जल्दी में विधान पेश किया है। मैं जानता हूं कि आपके पास विशेषज्ञ कानून विशेषज्ञ तथा विद्वान लोग हैं। हमारे विधि मंत्री स्वयं भी विधि विशेषज्ञ हैं परन्तु कभी-कभी चिराग तले भी अन्धेरा होता है और इसलिए लोगों को इस अन्धेरे से कठिनाई होती है तथा फिर हमें बताना पड़ता है कि इसमें एक खामी है, इसे हटाइए। हमारी तरह कुछ आम आदमी, जोकि विधि के जानकार नहीं हैं, कभी-कभी विशेषज्ञों एवं कानून के पंडितों में भी ज्यादा अच्छी सलाह देते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु अन्धेरे में प्रकाश का बिन्दु भी है, मध्य में।

**प्रो० मधु दण्डवते** : जी हां, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ परिवर्तन करने होंगे। जब मैं संशोधनों को पेश करूंगा उस समय मैं दुबारा नहीं बोलूंगा। अगर उस समय मैं

प्रत्येक संशोधन पर बोलने लगूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। अतः मेरी राय में, मैं कुछ उन बातों को भी लूंगा जिनका सुझाव एक संशोधन द्वारा दिया गया है। सर्वप्रथम, इसमें कहा गया है कि यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि अनुच्छेद 370 है इसलिए आप जम्मू और कश्मीर की समस्याओं को नहीं ले सकते। परन्तु इसके साथ ही सातवीं अनुसूची, तीसरी सूची है, अर्थात समवर्ती विषय हैं। इनके आधार पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर जम्मू तथा कश्मीर विधान सभा भी उस दण्ड विधि, समवर्ती सूची तथा बहुत-सी अन्य बातें, जिन पर हम निर्णय ले सकते हैं स्वीकार करती है, और अगर वह भी समान निर्णय ले, तो ऐसी हालत में कानून जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होगा। एक सदस्य, जो-कि उस ओर से पहले वक्ता की भांति बोल रहे थे, का कहना था कि ऐसा लगता है जैसे इसे विशेष रूप में पंजाब तथा चण्डीगढ़ के लिए बनाया गया हो। ऐसा नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : यह सिक्खों के लिए भी नहीं है जैसा कि उन्होंने बताया है। उन्हें अपने विचार सही करने दीजिए। विधयक के समूचे पाठ में पंजाब अथवा चण्डीगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : मुझे आशा है कि विधि मंत्री इस बात पर ध्यान दे रहे हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : विधेयक को तैयार करने का कार्य सरकार बड़ी सावधानी से करती है। परन्तु उद्देश्यों एवं कारणों के कथन को तैयार करते समय वह इतनी सावधान नहीं रहती क्योंकि वह समझती है कि उद्देश्यों एवं कारणों के कथन को कोई नहीं पढ़ता तथा सत्ताधारी पक्ष के व्यक्ति ने, जिसने आलोचना की है, सम्भवतः उद्देश्यों एवं कारणों का कथन ही पढ़ा है...... तथा विधेयक का पूरा पाठ नहीं पढ़ा। कुछ लोग विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन को नहीं पढ़ते सिर्फ विधेयक को ही पढ़ते हैं और कुछ विधेयक पढ़कर उद्देश्यों और कारणों का कथन ही पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ उद्देश्यों ओर कारणों का कथन ही पढ़ा है। मेरे विचार में किसी एक विशेष राज्य का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रो० स्वैल यहां पर बैठे हुए हैं तथा वे आपको जानकारी देंगे। मुझे नहीं मालूम है कि क्या अभी वह इस विषय पर बोलने वाले हैं या नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी विद्रोही हैं। वहां पर बहुत-सी कठिनाइयां हैं। पंजाब में, देश के अन्य भागों में, अहमदाबाद में जब कभी भी साम्प्रदायिक दंगे होते हैं देश के सभी भागों में आतंकवाद की लहर है : और उन्हें रोका जाना है। अतः हम किसी एक समुदाय, किसी क्षेत्र या किसी विशेष राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां कहीं आतंकवाद भड़केगा तो उसे उन विधायी उपायों द्वारा समाप्त किया जाएगा जिसकी शक्ति हम सरकार को दे रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए और इसी दृष्टिकोण से हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

प्रो० सेन लोकतांत्रिक प्रवृति वाले बहुत ही उदार विधि मंत्री हैं। हम उन्हें वर्षों से जानते हैं। वह नेहरू गांधी जी की परम्पराओं में रहे हैं—गांधी से मेरा मतलब महात्मा गांधी से है। गलतफहमी न हो। इस तरह की परम्पराओं में वे बड़े हुये हैं। इसलिये जब कभी वे कोई शक्ति लेना चाहते हैं। तो वह नहीं चाहते कि उस शक्ति को लम्बे समय के लिए लिया जाये। और मुझे प्रसन्नता है कि खण्ड (तीन) खण्ड 1 में यह कहा गया है :

"यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इसके प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।"

कुछ लोग इससे अप्रसन्न हैं। उनका कहना है कि इसे कम से कम अपने कार्यकाल तक तो जारी रखना चाहिये।

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : नहीं, आपमें थोड़ी परिहास की भावना होनी चाहिए। और आपमें है। मैं इसे जानता हूं। मैंने आपके भाषण सुने हैं।

अतः कुछ लोगों का कहना है सिर्फ दो वर्ष के लिये ही क्यों। मेरे विचार में दो वर्ष की अवधि रखना बहुत ही समझदारीपूर्ण कार्य है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आतंकवाद खत्म करने की हमारी दृढ़ इच्छा है तो हम दो वर्षों के अन्दर देश से आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं और तीसरे वर्ष में हमें इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अतः मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने दो वर्ष की समय सीमा ही रखी है।

एक और पहलू है जिस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने पृष्ठ संख्या 3, खण्ड 4 तथा उपखण्ड (2) के बारे में भी एक ओर संशोधन दिया है :

"उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "विध्वंसकारी क्रियाकलाप" के कार्य द्वारा या भाषण या गाने या गाथा या पद्य या शब्दों द्वारा या किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, लेख, रिकार्ड, टेप, वीडियो कैसेट, आरेख, चित्रण, व्यपदेशन द्वारा या किसी भी अन्य रीति से की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है।"

सभी कुछ आ गया है, एक बहुत छोटी-सी बात रह गई है। मेरे विचार में जब आप इस तरह के विधेयक के मसौदे तैयार करें और मंत्री महोदय भी मुझसे सहमत होंगे—तो चित्रकारी, गाने, कैसेट, इत्यादि बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत यदि आप मोटे तौर पर इतना कहें······

"किसी कार्यवाही अथवा भाषण अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से······कार्यवाही की गई।"

बेचारे कवियों, कलाकारों या गानों को बीच में आने की क्या आवश्यकता है, उनकी अपनी परम्परायें हैं। जिन लोगों ने कवितायें, आदि लिखी हैं। उनकी बहुत ही सुन्दर परम्परायें, हैं उन्हें अनावश्यक ही इसमें क्यों घसीटा जाये। यदि आप कहते हैं कि सभी संचार माध्यमों से तो मेरे विचार से इससे उद्देश्य पूरा हो जायेगा। मेरे विचार में यह एक छोटा सा संशोधन है जिसका मैं सुझाव दे रहा हूं। किन्तु मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि इसके पीछे उनकी कुछ भावनाएं हैं और मैं कवियों और उन सबको, जिन्होंने गाने तैयार किये हैं या चित्रकार हैं अथवा कलाकार हैं, उनको इसमें नहीं घसीटना चाहता, अतः यह सशोधन किया जाना चाहिये।

महोदय, मैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा। पृष्ठ 4 खण्ड 4(3) में कहा गया है :

"उपधारा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कार्य द्वारा या भाषण या गाने या गाथा······।"

यह आनुषंगिक परिवर्तन है और मेरे विचार से यही परिवर्तन यहां भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि यह बड़ा अटपटा लगता है कि सरकार इन सभी बातों को यहां ला रही है।

महोदय, मैं कुछ समय और लूंगा। मुझे कुछ ठोस सुझाव देने हैं।

पृष्ठ 4, खण्ड 5(2)(ज) में मैंने एक संशोधन अर्थात् संशोधन सं० 110 का सुझाव दिया था। मूल शब्द इस प्रकार हैं :

"भारत के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की भारत के भीतर गतिविधियों पर नियंत्रण।"

मैं खासतौर से "भारत के बाहर से आने वालों" के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इसे इस तरह रखा जाए "भारत के भीतर विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नियंत्रण।" मैंने उसमें "विदेशी नागरिक" का खास तौर से उल्लेख किया है। मेरे ख्याल से इसमें यह सुधार किया जाएगा।

**प्रो० एन० जी० रंगा :** अगर वे केवल विदेशी नागरिक न होकर भारतीय हुए तो ?

**प्रो० मधु दण्डवते :** आपका मतलब भारतीय मूल के व्यक्तियों से है ?

**अध्यक्ष महोदय :** वह भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते :** आपके और मेरे विचार अगर समायोजित किये जाएं तो बेहतर बात हो जाएगी। अगर आप प्रो० रंगा और दण्डवते की बात को समायोजित कर दें तो बढ़िया बात होगी। मुझे इस पर जरा भी आपत्ति नहीं है।

पृष्ठ 5 पर कुछ ऐसी बात का उल्लेख है जो खतरनाक है और इसको हटाया जाना चाहिए। खण्ड 5(2)(त) में कहा गया है :—

अधिवेशनों, जमावों, मेलों और जलसों का "प्रतिषेध या विनियमन," मेरे विचार से इसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। जहां तक अधिवेशनों, जमावों, मेलों और जलसों के प्रतिरोध या विनियमन का संबंध है, इस देश के सामान्य कानूनों के अन्तर्गत जो सामान्य शक्तियां आपको प्राप्त हैं वे बहुत अधिक हैं। मैं नहीं समझता कि प्रशासन का कोई अधिकारी आपसे यह कहेगा उन्हें जो शक्यिां प्राप्त हैं वे असफल रही हैं और यह बात प्रकाश में लाई जानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए।

इसके बाद, इसमें शाब्दिक परिवर्तन हैं। मेरे विचार में यह केवल अच्छी और बुरी अंग्रेजी का सवाल ही है। यह मैं आप पर छोड़ देता हूं। मैं भाषा में सुधार नहीं करना चाहता। वास्तव में, वह तो आक्सफोर्ड अंग्रेजी जानते हैं और मैं केवल बम्बइया अंग्रेजी।

**श्री ए० के० सेन :** अंग्रेजी एक ही है।

**प्रो० मधु दण्डवते :** राम मनोहर लोहिया के एक अनुयायी अंग्रेजी के बहुत खिलाफ थे। मैंने उनसे कहा :

"समझौता कर लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी के इतने खिलाफ हैं तो आप देवनागरी लिपि में अंग्रेजी लिख सकते हैं, यह बढ़िया बात रहेगी।"

वह अंग्रेजी आखिरकार अंग्रेजी तो होगी ही।

मैं चाहता हूं कि पृष्ठ 6 पर इस विशेष पैरा अर्थात खण्ड (5)(3)(छ) का लोप किया जाए। इसमें कहा गया है कि :

"किसी व्यक्ति द्वारा, किसी नियम या उसके अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी से भिन्न है, दंड प्रतिच्छादित करने के लिए प्रयत्नों का भी प्रतिबंध किया जा सकेगा।"

मैं नहीं समझता कि इस संबंध में अच्छी तरह से विचार किया गया है। आप पतियों, पत्नियों, आदि को इसमें क्यों लाते हो। इसे हटाया जा सकता है। मेरे ख्याल से यह जरूरी नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे ख्याल से यह उन पति-पत्नियों पर लागू होता है जो संसद सदस्य हैं या संसद सदस्य रह चुके हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : अगर किसी महिला ने इसका प्रारूप तैयार किया है तो वह ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति के खिलाफ होगी। अगर इसे किसी आदमी ने तैयार किया है तो वह ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी के खिलाफ होगा। इन दो में से किसी एक ने यह प्रारूप तैयार किया है तभी तो पतियों, पत्नियों को इसमें लाया गया है। इसको हटाया जाए।

**श्री बृजमोहन महन्ती** (पुरी) : शब्द इस प्रकार हैं "पति या पत्नी से भिन्न"······उन्हें संरक्षण दिया गया है।

(व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, एक मामले में मैं इस प्रारूप को और सुदृढ़ बनाना चाहता हूं।

पृष्ठ 9 पर, खण्ड 12 के उपखण्ड (2) में कहा गया है :

"जहां किसी अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से······"

मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा "जुर्माने सहित 5,000 रुपए तक"। इस पर विस्तार में जाने की जरूरत है। इस पर आप स्वयं हिसाब लगा सकते हैं।

मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं जिसके बारे में पहले विचार-विमर्श किया जा चुका है। मेरे विचार में यह एक राजनैतिक दृष्टिकोण है। मैं चाहता हूं कि पृष्ठ 12 पर इस विशेष संशोधन के संबंध में माननीय मंत्री समूचे विपक्ष से समझौता करें। वह मेरा संशोधन संख्या 115 है। मैं पृष्ठ 12 पर दिए गए मूल खण्ड 18 को पढ़ता हूं :—

"इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी प्रभाव से किया जा सकेगा मानो ऐसी शक्ति केन्द्रीय

सरकार को प्रत्यक्षत: प्रदान की गई हो और उस सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकार को प्रत्योजित की गई हो ।"

इससे न केवल जटिलता पैदा होगी बल्कि राजनैनिक तौर पर भी यह दुखदायी सिद्ध होगा । मैं इसको इस तरह से बनाना चाहता हूं । इसके पीछे कुछ राजनैतिक पृष्ठभूमि है । हममें से जो लोग भारतीय संविधान को संघीय संविधान समझते हैं वे चाहते हैं कि मजबूत राज्यों द्वारा मजबूत किया गया मजबूत केन्द्र हो । हम चाहते हैं कि शासन व्यवस्था के संघीय स्वरूप तथा संघीय स्वायत्तता को बनाए रखा जाए । खण्ड 18 के उपखण्ड (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं :

"इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहमति से किया जाए ।"

(व्यवधान)

वे डा० अम्बेदकर के संघीय संविधान की बात करते हैं । लेकिन राज्यों तथा संविधान के संघीय स्वरूप को लेकर भीतर ही भीतर इतना विरोध हो रहा है कि मेरे सुझाव देते ही उसके प्रति अपनी अनिच्छा और अरुचि जाहिर की गई ।

**श्री दिनेश सिंह** (प्रतापगढ़) : लेकिन भारत राज्यों का महासंघ नहीं है । यह राज्यों से मिलकर बना है ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : जी हां, यह राज्यों से मिलकर बना है और अगर आप संविधान को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि डा० अम्बेदकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "संघात्मक और एकात्मक स्वरूप का यह एक अनूठा संगम है ।" यही तो भारतीय संविधान की खूबी है । यह राज्यों से मिल कर बना है लेकिन साथ ही साथ हमने संविधान की अनेक संघीय विशेषताओं को बनाए रखा है । मेरे विचार से इस विशेषता को और मजबूत किया जाना चाहिए । अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इस विधेयक में संशोधन करने की जरूरत है । खासतौर तब जब राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप किया जा रहा है । यहां बैठे अधिकांश दल अंशत: सत्तारूढ़ दल और अंशत: विपक्षी दल के हैं । यहां शतप्रतिशत सत्तारूढ़ दल नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इस कानून के अन्तर्गत इस खण्ड का उल्लेख कर रहे हैं, किसी और कानून के अन्तर्गत नहीं । केन्द्र अपनी शक्ति का प्रयोग केवल इस कानून के अन्तर्गत ही करेगा ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मैं केवल इस कानून के अन्तर्गत आने वाले उपबन्धों की बात कर रहा हूं । खण्डों का इसी कानून से संबंध है । लेकिन यहां भी मैं चाहता हूं कि सहमति से संबंधित इस संशोधन विशेष को स्वीकृति दी जाए । मैं आपको बताऊं कि अगर हम वास्तव में राज्यों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उन्हें लगे कि उनकी स्वायत्तता या शक्ति का सम्मान करते हैं तो वे स्वयं आपके हाथ मजबूत करने के लिए आयेंगे । अतः राज्यों की जनता की इस भावना की कद्र की जानी चाहिये ।

मैंने अभी-अभी कहा कि यहां उपस्थित कांग्रेस आई सभी दलों में अंशतः सत्तारूढ़ दल तथा अंशतः विपक्षी दल हैं ।

**एक माननीय सदस्य** : वे हमारे अंग हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : जी हां, हम सभी भारत के हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम सभी एक-दूसरे के हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : अतः इस पहलू का बहुत महत्व है और हम इस पर अधिक जोर देना चाहते हैं। केन्द्रीय विधि मंत्री से हमारा अनुरोध है कि वह इस सुझाव पर, जिस पर सारा विपक्ष एकमत है, ध्यानपूर्वक विचार करें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई भी इसका विरोध कर सकता है। समूचा विपक्ष, राज्य के संघीय स्वरूप का बनाए रखने के पक्ष में है। अतः विधेयक में "राज्य की सहमति" संबंधी शर्त शामिल की जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका यह मतलब होगा कि आप वास्तव में हमारे द्वारा पेश किए गए विभिन्न संशोधनों के विचारों से समझौता करते हैं और यह सम्भव होगा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। अगर हम किसी संशोधन विशेष पर मतदान करते हैं तो यह मत सोचिए कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी गई है उसमें हम आपसे जरा भी पीछे हैं। वैसे भी संशोधन पेश करना और उसके लिए दबाव डालना इस बात का मापदंड नहीं है कि आप पूरे मन से विधेयक का समर्थन करते हैं अथवा नहीं। गलतियां सुधारना विपक्ष का काम है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप पेश किए गए इन रचनात्मक सुझावों पर विचार करेंगे।

आइए इस विधेयक को उन संशोधनों सहित सर्वसम्मति से स्वीकार करें जिसका हमने प्रस्ताव किया है।

**श्री गिरधारी लाल डोगरा** (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के कुछ उपबन्धों के बारे में अनेक आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। मेरे विचार में ये इस कारण नहीं हैं कि उपबन्ध दोषपूर्ण हैं परन्तु इस कारण हैं कि विपक्षी सदस्यों के दिलों में आशंकाएं हैं। मेरे विचार में इस सदन में पेश किया गया यह विधेयक जरूरी है और इसके उपबंध पिछले अधिनियमों के प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। माननीय सदस्य श्री अमल दत्ता इसका उल्लेख कर ही चुके हैं।

सरकार ने इस कानून को बनाने के बारे में इसलिए सोचा होगा क्योंकि पिछले सभी अधिनियम अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। इसीलिए तो माननीय विधि मंत्री ने सदन की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व इस विधेयक की इतनी विस्तृत व्याख्या की है।

माननीय मंत्री ने सुबह ही सदन को बताया है कि सरकार इन शक्तियों का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं करेगी।

**2.36 म० प०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य आतंकवाद को समाप्त करना है। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। हमें अपने दिलों में किसी तरह की आशंकाएं नहीं रखनी चाहिए।

देश के किन्हीं भागों में इसको लेकर थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है लेकिन माननीय मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य वहां हस्तक्षेप करना नहीं है। राजनैतिक समस्याएं राजनैतिक कार्यों द्वारा हल होंगी। जहां भी हितों में टकराव होगा उसका राजनैतिक हल निकाल लिया जाएगा।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, आतंकवाद और विध्वंसकारी क्रियाकलापों को समाप्त करना है।

जहां तक इस विधेयक के खण्ड 1 उपखण्ड (2) का सम्बन्ध है, इसमें एक अपवाद रखा गया है। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि जहां तक आतंकवादी कार्यकलापों का संबंध है, यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होगा।

मालूम नहीं ऐसा उपबन्ध क्यों किया गया है। प्रो० मधु दण्डवते ने बताया है कि संविधान में अनुच्छेद 370 है और उसके अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। यह एक अलग विवाद है।

अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत भारत के संविधान को जम्मू तथा कश्मीर पर लागू करने का आदेश है और उस आदेश के माध्यम से हम देखते हैं कि केन्द्र को समान परिस्थितियों में समान कानून बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं।

अगर आप सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 1 और 5 को देखें तो आपको पता चलेगा कि समान कानून बनाने के लिए केन्द्र को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं।

अगर समवर्ती शक्तियों के प्रयोग के बारे में अनुसूची सात के भाग तीन को देखें तो पता चलेगा कि प्रविष्टि एक का संबंध दण्ड विधि से है और इससे केन्द्र को समान कानून बनाने की पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं।

"अवशिष्ट शक्तियां" शीर्ष के अन्तर्गत राज्यों द्वारा केन्द्र को प्रत्यायोगित शक्तियों को और प्रयुक्ति आदेश (अप्लीकेशन आर्डर) के अन्तर्गत केन्द्र के पास पहले से हो जो शक्तियां हैं,, उनको और अनुसूची सात की संघ सूची की प्रविष्टि 1, 5 और 79 द्वारा केन्द्र को दी गई शक्तियों तथा समवर्ती सूची में दण्ड विधि से संबंधित प्रविष्टि 1 की शक्ति को मद्देनजर रखते हुए हम देख सकते हैं कि इस तरह के कानून बनाने के लिए केन्द्र को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं।

अतः, मुझे नहीं मालूम कि इसे अपवाद क्यों बनाया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में जिन्होंने गड़बड़ी पैदा की थीं उन सबके प्रशिक्षण शिविर जम्मू तथा कश्मीर में शुरू किये गये थे। वास्तव में ज्यादातर हथियार जो पंजाब में आये थे वे जम्मू-कश्मीर राज्य क्षेत्र से होकर लाये गए थे। अधिकांश लोग जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है तथा जिन्हें पंजाब सरकार तलाश कर रही थीं उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर में शरण ली। प्रशिक्षण पाने के लिए ये लोग जम्मू तथा काश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान गये हैं।

विधेयक की धारा 18 के बारे में यह कहा गया है कि यह शक्ति केन्द्र द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि जम्मू तथा कश्मीर के तत्कालीन मुख्य मंत्री ही थे जो आतंकवाद की केन्द्र शक्ति भिंडरांवाले तथा अन्य लोगों के बीच मध्यसंथता या सम्पर्क कर रहे थे ? अतः वह कैसे कह सकते हैं कि यह शक्ति केन्द्र को नहीं दी जानी चाहिए ? सामान्य तौर पर यह शक्ति केन्द्र द्वारा इस्तेमाल में नहीं लायी जायेगी परन्तु आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्र को कार्यवाही करनी पड़ सकती है। वास्तव में इस विधेयक की धारा 18 गत अनुभव के आधार पर है।

माननीय विधि मंत्री महोदय ने प्रातःकाल कहा था कि हमें आतंवाद को भारत की भूमि

से उखाड़कर फेंकना है। लेकिन जब जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के प्रश्न को लेकर हम इसे अपवाद बनाते हो तो क्या हम जम्मू तथा कश्मीर की भूमि को भारत की भूमि नहीं समझते? हमें वहां से भी आतंकवाद समाप्त करना है। या क्या आप जम्मू तथा कश्मीर को भारत का लबादा या परिधान बनाना चाहते हैं? इसलिए आप इस पर ध्यान दें और यह निश्चित करें कि यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू हो। अन्यथा, इसका राजनैतिक प्रभाव क्या होगा? विरोधी पक्ष सदन में कुछ भी कहे, बाहर यह कहा जाता है कि केन्द्र जम्मू तथा काश्मीर के मामले में उचित व्यवहार नहीं करता है। लोग यह सोचते हैं कि आप अन्यमनस्कता से काम कर रहे हैं। इससे हमारे सामने समस्या पैदा हो जाती है, यह हमारे लिए कठिनाइयां पैदा करता है। हमारे लिए ऐसे अन्य मनस्क उपायों पर, जहां तक जम्मू तथा काश्मीर का संबंध है, बचाव करना मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं मालूम सरकार ने ऐसा क्यों किया है। जम्मू तथा कश्मीर सरकार भी वहां पर कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं चाहती है। जम्मू तथा कश्मीर के लोग भी आतंकवाद के विरुद्ध हैं। वे भी भारतीय हैं, वे हमेशा भारत के साथ रहे हैं। यहां तक कि डा० फारूख अब्दुल्ला ने भी अपने भाषण में, जो हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, जमायत-ए-इस्लामी तथा जमायत-ए-तुल्बा की बहुत कटु आलोचना की थी; उन्होंने कहा है कि ये काश्मीर को सम्पूर्ण भारत से अलग करने की कोशिश कर रही हैं; यह आरोप उन्होंने लगाया है; और उन्होंने कहा है कि जम्मू तथा कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ हैं वह अटल है। मुझे नहीं मालूम केन्द्रीय सरकार इस उपाय को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू करने से क्यों हिचक रही है। संवैधानिक शक्ति आपके पास है, वास्तव में इसकी जरूरत है, कानून के तौर पर भी यह आवश्यक है। प्रत्येक बात इस बात की चेतावनी देती है कि इसे जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिए। अधिकतर लोग जो पंजाब में सक्रिय थे या सक्रिय हैं वे जम्मू तथा कश्मीर से गये हैं और जम्मू तथा कश्मीर से होकर जा रहे हैं। उन अपहरणकर्त्ताओं में भी कुछ पंजाब से थे और वे जम्मू के रास्ते से श्रीनगर गये थे और कुछ अन्य जम्मू तथा काश्मीर से थे और वे विमान को लाहौर ले गये थे जहां उन पर मुकदमा चल रहा है।

अतः, मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू होना चाहिए। इस विधेयक को सदन द्वारा स्वीकृत करना चाहिए और हमें यह देखना है कि ये सब बुराइयां समूल नष्ट हो जाएं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक विध्वंसकारी गतिविधि एक आतंकवादी गतिविधि नहीं भी हो सकती परन्तु प्रत्येक आतंकवादी गतिविधि विध्वंसकारी गतिविधि हो सकती है। इस मामले पर जम्मू तथा काश्मीर को अलग रखना मेरी समझ से बाहर है। वे कहते हैं कि, जहां तक आतंकवादी गतिविधि अधिनियम का संबंध है, वह जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होगा। विध्वंसकारी गतिविधि क्या है?

आप विध्वंसकारी गतिविधि की व्याख्या किस प्रकार करेंगे? आप धारा 3 को देखिये। बमों का प्रयोग, विस्फोटकों का प्रयोग तथा उस पर आधारित कोई गतिविधि और आप लोगों को आतंकित करें, आप लोगों की हत्या करें, आप लोगों को चोट पहुंचाये—यह है परिभाषा। धारा 3 में स्वयं परिभाषा दी गई हैं और यह संघ सूची के सातवें परिशिष्ट की 5वीं प्रविष्टि के के अन्तर्गत आती है। अतः आपके माध्यम से विधि मंत्री तथा सभा से मेरा सुझाव है कि इस उपबन्ध का लोप कर दिया जाए—पृष्ठ 1 में लाइन 13 और 14 का लोप किया जाये ताकि यह जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू हो सके। मेरे विचार में यह एक बहुत ही उपयोगी उपाय है। यह हमारे गत तीन वर्षों के अनुभव तथा वास्तव में चल रही स्थिति पर आधारित है। चाहे

मुकदमे की कार्यवाही बन्द कमरे में होगी, चाहे साक्षियों के नाम नहीं बताये जायेंगे 'इत्यादि' महोदय, असाधारण स्थिति में हमें असाधारण कानून बनाने होंगे। हमें असाधारण प्रक्रियायें बनानी होंगी। अतः इस पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें ऐसी आशंकायें क्यों हैं। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। यह एक बहुत ही अनोखी स्थिति है। परन्तु देश में घटना इस तरह से घट रही हैं कि विरोधी पक्ष तथा कांग्रेस दल को एक साथ कार्य करना होगा और उन्हें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं सभा से आग्रह करता हूं कि हम इस विधेयक को पारित करें तथा जहां तक इस विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने का संबंध है मैं विधि मंत्री से संशोधन को मंजूर करने का भी निवेदन करूंगा।

**श्री ए० चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम) : मैं दुःखी मन से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। शुरू में मैं यह कह सकता हूं कि विधेयक के विषय तथा इसको प्रस्तुत करने के ढंग से पूरी तरह से सहमत हूं। परन्तु इस बात से मुझे दुःख अधिक हो रहा है कि एक ऐसा देश जो हमेशा शान्ति तथा अहिंसा का समर्थक रहा है जिसने सारे विश्व में सबसे अधिक शान्तिदूत दिये हैं, जो अहिंसा के द्वारा विदेशी राज्य से अपने आपको मुक्त करा सका तथा जो धर्म निर्पेक्षता के लिए वचनबद्ध रहा है और अपने सभी लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा दिलाने के लिए वचनबद्ध है उसे इस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है; जो इस देश की एकता तथा अखण्डता की बात तो दूर इसके अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगा रही है। मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता हूं और मुझे यह कहने में गर्व है कि मेरा संबंध एक ऐसे देश से है जहां अल्पसंख्यकों व कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की जाती है और सभी 70 करोड़ लोगों को भाई और बहन के नाते से देखा जाता है। परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा देश जो सदा शान्ति का समर्थक रहा है उसे अपने अन्दर से ही अपने ही लोगों द्वारा उग्रवादी आक्रमणों का सामना करना पड़ा है।

जैसा कि मैंने कहा है, मैं विधेयक के विषय से पूर्णतया सहमत हूं। फिर भी मैं विधेयक की कुछ विशेष बातों की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं प्रो० दण्डवते से सहमत हूं जब वे कहते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर को भी किसी कानून के अन्तर्गत किसी प्रकार से लाया जाये ताकि उस राज्य में भी आतंकवादी गतिजिधियों को रोका जा सके। धारा 1 (3) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस विधेयक की अवधि केवल 2 वर्षों के लिए है। यह सरकार की मंशा को दर्शाता है। सरकार की मंशा इसे अनिश्चित काल के लिए जारी रखकर लोगों को परेशान करने की नहीं है। सरकार की मंशा केवल आतंकवादी गतिविधियों को दबाने की है ताकि इस देश के मासूम लोग शान्ति से रह सकें।

खण्ड 3(3) तथा 4(1) के बारे में यह सुझाव देना चाहूंगा कि खंड 3 (3) में कहा गया है "जो कोई किसी आतंकवादी कार्य करने या आतंकवादी कार्य करने की तैयारी विषयक कार्य करने का षड़यंत्र करेगा, उसे करने का प्रयत्न करेगा, उसका पक्ष समर्थन करेगा, उसका दुष्प्रेरण करेगा, उसकी सलाह देगा या उसका उद्दीपन करेगा या ऐसे कार्यों का किया जाना जान-बूझकर सुकर बनाएगा———" मुझे यहां पर शक है। मैं यह जानना चाहूंगा क्या जो लोग जान-बूझकर आतंकवादियों की सहायता करेंगे उन्हें इस धारा के दायरे में लाया जायेगा। अगर नहीं तो मेरा सुझाव है कि इन शब्दों को भी जोड़ा जाये, "वे सभी जो जानबूझकर आतंकवादियों को

शरण देंगे।" यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आतंकवादियों को शरण दी जाती है तो उनका पता लगाकर आतंकवाद को रोकना कठिन है।

अब, मैं खंड 5(3)(छ) पर आता हूं, जहां यह कहा गया है :

> "किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी से भिन्न है, दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए प्रयत्नों का भी प्रतिषेध किया जा सकेगा।"

यह नियम बनाया गया है ताकि केवल पति और पत्नी ही आपस में इससे बच सकते हैं और अन्य व्यक्ति इस कानून से नहीं बच सकते। मेरा सुझाव है कि अगर खंड 5 (3)(छ) को खंड 3(3) के साथ पढ़ा जाये "जानबूझकर सुकर बनायेगा" तो यह उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित करने में सक्षम होगा जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, तब यह पर्याप्त है। अगर नहीं तो मैं सुझाव दूंगा कि जो आतंकवादियों को शरण देते हैं उन्हें भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

महोदय, खंड 5 जो नियम बनाने की शक्ति के बारे में है उसकी बहुत आलोचना की गई है। मुझे खुशी है कि विधि मंत्री स्वयं एक संशोधन लाये हैं जिसमें उन अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है जिनके ये शक्तियां प्राप्त होंगी। परन्तु किसी ने भी नियम 21 का हवाला नहीं दिया है। यहां तक कि प्रो० दंडवते ने भी, जो यह दावा करते हैं। कि उन्होंने सारा विधेयक, उद्देश्यों तथा कारणों को बताने वाले विवरण सहित पढ़ा है, इस नियम पर टिप्पणी की है। नियम 21 में बताया गया है :—

> "इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में ही रखा आएगा..."

मुझे यह पक्का विश्वास है कि विरोध पक्ष के मेरे मित्रों ने सुगमता से इस नियम का उल्लेख छोड़ दिया है क्योंकि इस सदन के लिए यहीं पर एक मौका है। जब वह नियम बनाने वाले प्राधिकरण के प्रत्येक नियम पर विचार कर सकती है। अगले सत्र में जब ये नियम रखे जायेंगे तो हमें उनकी जांच करने का मौका मिलेगा क्या ज्यादतियां की गई हैं अथवा नहीं; क्या सरकार निष्पक्ष रही है अथवा पक्षपात बरता गया है यह एक बहुत बड़ा मौका इस सम्माननीय सदन को दिया गया है और मैं यह समझता हूं किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार इस विधेयक द्वारा नहीं छीना गया है। अतः मैं विधि मंत्री को ऐसे नियम का प्रावधान करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

मेरे विद्वान् दोस्त, श्री अमल दत्ता ने बड़े ही व्यंगात्मक रूप में कहा है कि इस विधेयक की तुलना रौलेट ऐक्ट अथवा ब्लैक ऐक्ट से की जा सकती है। मुझे बहुत खेद है कि हमारी यादें इतनी पुरानी नहीं हैं कि हम यह भूल जायें कि वे कानून विदेशी शासकों द्वारा हमारे देशभक्तों, जिन्होंने देश को स्वतंत्र दिलाई, पर मुकदमा चलाने के लिए लाये गये थे। परन्तु यहां पर मामला क्या है? यहां इस देश के देशद्रोही मासूम लोगों को जान से मार रहे हैं और सरकार देशद्रोहियों से मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए यह विधेयक लायी है। इसकी तुलना ब्लैक ऐक्ट अथवा रोलेट ऐक्ट से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने विद्वान मित्र को यह बताना चाहता हूं कि हम कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हैं; सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं परन्तु

हम सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते ।

प्रो० दण्डवते ने चिल्लाकर कहा कि पहले से बहुत से कानून विद्यमान हैं तथा इस विधेयक की कतई आवश्यकता नहीं है । इस विधेयक को इसलिए लाया गया है क्योंकि विद्यमान कानून स्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं ।

अब भाग तीन, धारा 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत "अभिहित न्यायालय" के बारे में श्री अमल दत्त ने कहा है कि यह पूरी धारा बड़े अक्षरों में छापी गई है । यह इसलिए है, क्योंकि यह राज्य सरकारों से संबंधित है । अतः उनके अनुसार यह आवश्यक कार्य है । मुझे खेद है कि यह अभिप्राय गलती से लिया गया है । भाग तीन का संबंध 'अभिहित न्यायालयों' से है । इसके द्वारा हम सामान्य न्यायालय में मुकदमों की प्रक्रिया से हट रहे हैं । हम संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं । हम इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायालयों का गठन कर रहे हैं । इस बात को प्रमुखता देने के लिए ही इस भाग को मोटे अक्षरों में छापा गया है । भाग तीन का पूरा बल इसी बात पर है कि हम इन 'अभिहित न्यायालयों' का गठन कर रहे हैं । यह बात नहीं है कि राज्य सरकारों को कोई शक्ति नहीं दी जा रही है ।

अन्त में मैं विपक्ष के कुछ मित्रों से, जिन्होंने कहा है कि पूरी धारा 18 का लोप किया जाये, कहना चाहता हूं । हम सभी जानते हैं कि कानून की व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है । उसके साथ देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के अपने दायित्व से केन्द्रीय सरकार भी विमुख नहीं हो सकती है । इस बारे में कोई स्थिर विभाजन नहीं है । यदि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो वहां तुरन्त असन्तोष फैल जायेगा तथा केन्द्र को वहां कार्यवाही करनी पड़ेगी । अतः मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि परिस्थिति की गम्भीरता पर ध्यान देते हुए धारा 18 को हटाने का आग्रह नहीं करें । विपक्ष के माननीय सदस्य विधेयक की भावना से सहमत हैं तथा वे आतंकवादी क्रिलाकलापों पर रोक लगाना चाहते हैं । अतः उन्हें धारा 18 को हटाने का आग्रह नहीं करना चाहिए । आइए हम सर्वसम्मति से विधेयक को पारित करें तथा 70 करोड़ लोगों में खुशी का संचार करें जिन्होंने इस महान सभा पर विश्वास व्यक्त किया है । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं कानून मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इस मामले में गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आतंकवादी शक्तियों से निपटने की अधिकतर जिम्मेदारी उनकी है । यह जो बिल पेश किया गया है और सरकार इसके जरिए अधिक अधिकार लेना चाहती है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, जो भी अधिकार आतंकवादी और विध्वंसकारी शक्तियों को दबाने के लिए सदन से मागेंगे, सदन उनको देने को तैयार है, लेकिन मैं खासकर के आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । यह जो ऐक्ट पास होगा, कानून बनेगा, इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और पुलिस की होगी और राज्य सरकारें और पुलिस जब तक इसको ठीक तरह से, ईमानदारी के साथ, सोच-समझकर नहीं लागू करेंगी तो मुझे डर है उपाध्यक्ष जी कि इससे लाभ होने के बजाए नुकसान अधिक हो सकता है । अभी प्रो० दण्डवते जी कह रहे थे कि पंजाब में आतंकवाद और विध्वंसकारी शक्तियों को पकड़ने में, मुकदमा चलाने में, उनको प्रासीक्यूट करने में कोताही बरती गई । पंजाब में पुलिस जिस प्रकार से है और जो उसकी मनो-

**3.00 म० प०**

वृत्ति है, वह हम सब जानते हैं। उसके पहले काश्मीर में कुछ देशद्रोह की घटनाएं हुई थीं। उस मामले में केन्द सरकार के गृह मंत्री को पत्र लिखना पड़ा था काश्मीर की सरकार को कि इन देशद्रोही तत्वों के खिलाप कार्यवाही की जाए। लेकिन जो कार्यवाही की गई और जो कुछ हुआ, वह हम जानते हैं। इसी प्रकार से पुलिस का जो रवैया है, पुलिस जिस प्रकार से काम करती है और उसकी जो साम्प्रदागिक, जातिय, क्षेत्रीय तथा भाषा की मनोवृत्ति है, उसका नमूना हम इस देश में देख चुके हैं। आसाम में भी देख चुके हैं। बहुत सारे अधिकारों को लागू करने का हक पुलिस को दिया। उसका नतीजा हमारे सामने है। अभी बम्बई में, भिवन्डी में साम्प्रदायिक दंगे हुए। शिव सेना के मुख्य श्री बाल ठाकरे ने कुछ बातें कहीं। उन बातों को लेकर दंगे हुए। भिवन्डी में एक आतंक का वातावरण फैलाया गया और वह भी एक खास समुदाय के खिलाफ। उसका नतीजा क्या हुआ। उनको मारा गया, उनकी जायदादें जलाई गई और उन्हीं के ज्यादा आदमियों को जेल भेजा गया। मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों की सम्पत्ति जलाई गई और मुसलमानों को ही ज्यादा जेल में भेजा गया। शिव सेना के बाल ठाकरे साहब और अन्य लोग बाहर घूमते रहे। आज अहमदाबाद में क्या हो रहा है। अहमदाबाद में एक आतंक और खौफ का वातावरण फैलाने के लिए कार्यवाही हो रही है। गृह मंत्री जी जानते हैं कि किन लोगों को ज्यादा मारा गया है और किन लोगों की सम्पत्ति का ज्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर है, मुसलमान ज्यादा मारे गए हैं। दंडवते साहब इस वक्त नहीं हैं लेकिन बनातवाला साहब बतायेंगे कि वहां क्या हुआ। मुसलमान ज्यादा मारे गए हैं और बुरी तरह से उनकी सम्पत्ति को नष्ट किया गया है। जेलों में ज्यादा कौन बन्द हैं। मुसलमान ही बन्द हैं। मुरादाबाद, मेरठ और जमशेदपुर में जहां भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, मुसलमानों या जो माइनोरिटीज में हैं, उनके खिलाफ हुए हैं। पुलिस ने अपनी एक मनोवृत्ति बनाकर काम किया है। बड़ौदा में भी ऐसा ही होता रहा है। इसको आप कैसे रोकेंगे। यह एन्टी टेरीरिस्ट बिल अगर पास होने के बाद उन्हीं लोगों पर लागू किया जायेगा तो फिर क्या होगा। मैं एक खास बात की तरफ गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में एमरजेंसी के वक्त डिफेंस आफ इंडिया रूल्स लागू हुआ। उस डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के एफ० आई० आर० फोटो स्टेट काफी के साथ प्रिन्टेड थे। किसी का भी नाम भरकर दे दिया जाता था और डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट के दस्तखत ले लिए जाते थे। उसको हम लोगों ने देख लिया। डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट तो सिर्फ डाटेड लाइन पर दस्तखत करते हैं। उनके पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिससे वे पता लगा सकें। बहुत से मामलों में अपना माइन्ड अप्लाई नहीं करते और देखते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों को बन्द कर दिया जायेगा तो मुझे दुख है कि टैरोरिस्ट्स को कम करने की बजाय यह बिल लोगों में गुस्सा पैदा कर सकता है। गुस्सा पैदा करने से और भी आतंकवादी बढ़ सकते हैं। जो मुख्य आतंकवादी हैं या जो गैंग हैं, उनको फायदा हो सकता है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं गृह मंत्री जी को कि इसके इस्तेमाल में बहुत ही सूझबूझ से काम लेंगे। बहुत ही ठीक ढंग से पुलिस की मनोवृत्ति पर आपको काबू पाना होगा। वह बिल केवल पंजाब के टैररिस्ट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बिल पूरे देश में लागू होगा और जैसा कि मैंने बताया इससे ज्यादातर ऐसे लोग प्रभावित होंगे जो माइनौरिटी में हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनौरिटी के लोग हैं।

आसाम में क्या हुआ—आसाम में वहां की पुलिस ने बंगालियों को, चाहे वे हिन्दू रहे हों या मुसलमान रहे हों, उनको उसने कुचला। आज पंजाब की पुलिस भी क्या कर रही है। पंजाब

की पुलिस आज एक वर्ग के द्वारा डौमीनेटिड है और दूसरे वर्ग के खिलाफ है और उसी के हिसाब से वहां काम हो रहे हैं। इसलिए जब यह ऐक्ट पास भी हो जाएगा तो भी आप टैररिस्ट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पायेंगे। इसके लिए आपको शासन को ठीक करना होगा। इस ऐक्ट के पास होने के बाद दिल्ली में तो कार्यवाही की जा सकती है चण्डीगढ़ में भी शायद कार्यवाही की जा सकती है लेकिन आपको इस ऐक्ट के तहत पंजाब में कार्यवाही करने में दिक्कत आयेगी, परेशानी होगी क्योंकि वहां पुलिस की मनोवृत्ति कुछ दूसरी प्रकार की है, उसी प्रकार की मनोवृत्ति गुजरात पुलिस की भी है, उसी प्रकार की मनोवृत्ति यू० पी० पुलिस की भी है, उसी प्रकार आसाम की स्थिति है, जिस प्रकार कि दूसरी जगहों पर है। इसलिए आपको इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, बहुत चौकस होकर कार्यवाही करनी होगी। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, मुझे आपकी नीयत पर शुबाह नहीं है और आपकी गृह मंत्री की हैसियत से और एक व्यक्ति की हैसियत से मैं आपकी इज्जत करता हूं। लेकिन आप स्थिति को पंजाब में और दूसरी जगह कैसे टैकल करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वह आपका काम है। मेरा काम सिर्फ इन खतरों के बारे में आपको सावधान करना था, वह मैंने कर दिया।

[अनुवाद]

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : महोदय, विभिन्न राज्यों में तथा दिल्ली में तथा दिल्ली तथा उसके आस-पास हाल की कार्यवाहियों में 84 से अधिक निर्दोष व्यक्ति मारे गये तथा सैंकड़ों व्यक्ति जख्मी हुए। इससे एक बात स्पष्ट है कि यह नियोजित कार्यवाही है जिसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक समाधान को व्यर्थ करना है।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी ऐसी आतंकवादी कार्यवाहियों के विरुद्ध रही हैं तथा भारत को अस्थिर बनाने के उद्देश्य से आतंकवाद को सदन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं स्पष्ट बात कहना चाहती हूं कि आतंकवादी क्रियाकलाप मात्र ही शुरू नहीं हुए हैं परन्तु इसका इतने व्यापक रूप से विस्तार हुआ है। मेरी पार्टी ने पंजाब में भी इस तरह के आतंकवाद का सामना किया तथा हमारे कुछ कामरेडों ने अपनी बलि भी दी है अतः हम कह सकते हैं कि हमने आतंकवाद के विरुद्ध केवल शाब्दिक ही नहीं व्यवहारिक युद्ध भी किया है।

उसके साथ ही पंजाबियों के वैध अधिकारो के लिए भी हमने संघर्ष किया है और मैं समझती हूं वह अभी भी वैध है। इसकी मैं और व्याख्या नहीं करना चाहूंगी। इस पर कुछ सर्व-सम्मत निर्णय हुआ था जिस पर हम अभी भी दृढ़ हैं। परन्तु मैं एक बात कहना चाहती हूं। मैं आज अथवा कल के समाचार पत्रों में पढ़कर बहुत विचलित हुई हूं कि जिन युवकों की इस प्रकार की कार्यवाहियों उनका इससे पहले का कोई अपराधिक रिकार्डर नहीं है। समाचार पत्रों ने पुलिस के स्रोत का हवाला देकर यह बात लिखी है। मैं समझती हूं इस तथ्य से प्रकट होता है कि ये कार्यवाहियां ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जा रही हैं जिन्हें अपराधी नहीं कहा जा सकता। अतः इस समस्या पर ध्यान देते समय हमें याद रखना चाहिए कि एक ओर प्रशासनिक एवं कानूनी कदम आवश्यक है तो दूसरी ओर निरन्तर समझाने बुझाने की गम्भीर राजनीतिक इच्छा भी आवश्यक है। अतः मै बनाना चाहती हूं कि जब तक इन आतंकवादियों को सिख जनसंख्या से अलग अलग करने के निश्यित प्रयास नहीं किये जाने, जिसके लिए हमें बहुत कुछ करता है तब तक केवल कानून से ही इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है कि दिल्ली तथा आसपास में हुई हिंसा के इस क्रम में, कहीं भी कोई बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की गई

तथा उससे कुछ सीमा तक सहायता मिली है। फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि राजनैतिक अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

जहां तक इस विधेयक पर हमारी गम्भीर शंकाओं का सम्बन्ध है, इस मामले को मैं थोड़ा बाद में लूंगी। परन्तु उसके साथ ही मैं समझती हूं कि श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए अपने वक्तव्य में औपचारिक रूप से उन आतंकवादी कार्यवाहियों की निन्दा न किया जाना भी खतरनाक बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्री जोगेन्द्र सिंह भिन्द्रावाले के पिता हैं।

**श्री जी० जी० स्वैल** : न केवल निन्दा ही की अपितु उन्होंने आतंकवादियों की प्रशंसा भी की है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : बिल्कुल ठीक है और यह एक पृथक मामला है। कहने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की निन्दा करने से इनकार कर दिया। दूसरे बेअन्त की पत्नी तथा सतवन्त के सम्बन्धियों को शहीद आदि को उपाधि देना अत्यन्त खतरनाक बात है।

**श्री जी० जी० स्वैल** : केवल ढोल ही नहीं पीटा जाता है अपितु धर्म की निन्दा भी की जाती है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : ठीक है। आप और भी दृढ़ शब्दों का उपयोग कर सकते हैं और मैं तो सहानुभूति ही रखूंगी।

**(व्यवधान)**

मैं यह भी कहना चाहती हूं उन अकालियों द्वारा कुछ सीमा तक हिंसा की स्पष्ट निन्दा करना आवश्यक है—ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं।

अतः इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। राष्ट्र की सहमति की सम्भावना है कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। इसीलिए मैं समझती हूं कि इस विधेयक पर जल्दबाजी करने के बजाए यदि इसे तैयार करने में सभी को संबद्ध कर लिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। इसी उद्देश्य से मैंने जनमत प्राप्त करने संबंधी संशोधन प्रस्तुत किया है। निश्चय ही मैं समझती हूं कि विधि मंत्री उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वह इसे स्वीकार करते तो मुझे बहुत खुशी होती। फिर भी मैं समझती हूं कि इसकी संभावना है।

विधेयक के बारे में आप देखते हैं कि इसे शीघ्रता से तैयार किया गया है। परन्तु मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि हमारे संशोधन भी शीघ्रता से तैयार किये गए हैं क्योंकि चार घंटों के भीतर इसे करना असम्भव है। आपने मसौदा तैयार करने पर इतना समय लिया। मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगी कि हमारे सैद्धान्तिक संशोधन को स्वीकार करें और यह सुनिश्चित करें कि हमारी बात उसमें आ जाए। परन्तु यदि वह इसे स्वीकार नहीं करते तो हमें इस पर विस्तार करना पड़ेगा। विधेयक पर अभी तक किसी समाचार पत्र ने सम्पादकीय नहीं लिखा है। फिर भी मैंने देखा कि बहुत से समाचार पत्रों जो वामपंथी नहीं हैं, ने कहा है कि यह विधेयक सरकार को व्यापक शक्तियां देता है। टाइम्स आफ इंडिया के शीर्षकों में कहा गया है कि व्यापक शक्तियों वाला विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। "दि टैलीग्राफ" ने लिखा है; "आतंकवादियों से निपटने के लिए सरकार ने व्यापक शक्तियां मांगी हैं "फ्री प्रेस जर्नल" तथा "डक्कन हैलेर्ड" ने भी "व्यापक शक्तियों" शब्द का प्रयोग किया है। कार्यकारिणी के हाथ में व्यापक शक्तियां ऐसी बात है जिसे हम प्रश्न चिन्ह उठाये बिना स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमें

इसका कुछ अनुभव है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन भी व्यापक शक्तियां ली गई थीं। उस पर वादविवाद के समय हमने कहा था, "इसके द्वारा जो शक्तियां आप ले रहे हैं उनका उपयोग सामान्य श्रमिक संगठनों की कार्यवाहियों के विरुद्ध किया जा सकता है। तत्कालीन गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया था कि ऐसा कभी नहीं किया जायेगा। मुझे याद है, हमने कहा था, "कृपया विधेयक में लिख दें कि इसका उपयोग श्रमिक संगठनों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।" तत्कालीन विधि मंत्री ने कहा था आप इतने सन्देहशील क्यों हैं, हम कह रहे हैं कि इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। हमारा अनुभव क्या रहा है ? जैसे ही 'ओसुका' विधेयक पारित हुआ उसका सर्वप्रथम उपयोग कामिको की एक हड़ताल के सिलसिले में अखिल भारतीय श्रमिक संगठन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के विरुद्ध किया गया। कहा गया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है कि "आसुका" पारित किया गया था। परन्तु वास्तविक क्रियान्विति में हमारा भय और चिन्ता सही निकली। क्या कोई इससे इनकार कर सकता है ?

**प्रो० मधु दण्डवते** : 'आसुका' के अधीन जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : और 'आसुका' के अधीन कई वर्गों के बहुत से लोग, जिनमें जयप्रकाश नारायण तथा हम लोगों को, जिन्होंने उस समय आपात स्थिति का समर्थन किया था, भी गिरफ्तार किया गया। मुझे याद है मैं बच गई थी, परन्तु अन्य बहुत से लोग बच नहीं पाए।

**प्रो० मधु दण्डवते** : तब आपको आपातस्थिति का समर्थन करने के लिए दण्ड दिया गया था।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : हो सकता है। 'नासा' पर वाद-विवाद में बहुत से लोगों ने वाद-विवाद में उस प्रकार भाग नहीं लिया जैसे हमने लिया था परन्तु बाद में हम 'नासा' के शिकार हो गए। कौन जानता है इस आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप विधेयक का कौन शिकार होता है तथा कौन बच पाता है।

इसीलिए मैं आतंकवादी शब्द की परिभाषा पर विशेष बल देती हूं। उसकी परिभाषा पर हमने बहुत से संशोधन दिये हैं। मैं यह तो नहीं कहती कि हमारे संशोधन अत्यन्त व्यवस्थित हैं परन्तु मेरे द्वारा तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिए गये संशोधनों के पीछे सैद्धान्तिक विचार कौन-सा हैं। यह है इस धारा का दुरुपयोग किया जाना।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त करें।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : कुछ मिनट में मैं समाप्त करती हूं। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में मैं इस ऐतिहासिक विधेयक पर बोल रही हूं, जैसा कि विधि मंत्री ने कहा था। आपको मुझे 2-3 मिनट और देने चाहिए राष्ट्रीय संकट में पांच मिनट ज्यादा नहीं होने चाहिए।

**प्रो० मधु दण्डवते** : अच्छी बात कही है।

**श्री जी० जी० स्वैल** : आप स्वयं अपनी बात का खंडन कर रही हैं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : यदि आपको इसमें रुचि है तो मेरी बात को सुनिए। यदि नहीं तो मैं बैठ जाऊंगी।

मैं खण्ड 3 में कुछ हद तक संशोधन करना क्यों चाहती हूं ? इसकी रचना अत्यन्त लचीली है जिसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं।

"....अथवा जनता के किसी वर्ग या जनता के किसी वर्ग को पृथक करना।" आदि? उसके बदले स्पष्ट रूप से यह क्यों नहीं कहते "वे व्यक्ति जो विभिन्न जातियों अथवा धर्मों के बीच सौहार्द भंग करते हैं।" हमारा यह दृष्टिकोण है। हो भी क्यों न? इससे उद्देश्य पूरा हो जायेगा परन्तु इसका अर्थ इतना व्यापक नहीं रहेगा। अब हम निम्न शब्दों के प्रयोग पर आते हैं..."खतरनाक किस्म की ऐसी वस्तुएं, जिनसे..." और फिर,

> "या किसी स्पलाई या सेवाओं में बाधा, जो कि समुदाय के लोगों के लिए आवश्यक है..."

पश्चिमी बंगाल से निर्वाचित हमारे कांग्रेसी संसद सदस्य इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में आप पायेंगे कि जो दल राज्य में विपक्षी दल होता है, आमतौर पर उसी दल की सरकार केन्द्र में होती है। उनके सदस्यों ने वहां बन्द का आयोजन किया। संचार व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिए चलती हुई बसों पर खतरनाक वस्तुएं फैंकी गई। अगर कल हम उनको आतंकवादी अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ना शुरू कर दें तो क्या आप इसे पसन्द करेंगे? और न ही हम चाहेंगे कि हमें देश के अन्य भागों में चलाये जा रहे मूल्य वृद्धि-विरोधी आन्दोलन के दौरान किये जा रहे बन्द, स्पलाई में बाधा आदि के लिए गिरफ्तार किया जाए। यहां सैद्धान्तिक संशोधन क्षेत्र को कम करना है। वर्ग-द्वेष के लिए क्या प्रावधान है? इसे भी आसानी से साम्प्रदायिक या धार्मिक बातों से जोड़ा जा सकता है। इसे बहुत आसानी से चित्रित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, ये परिभाषएं हमें भयभीत करती हैं, क्योंकि हमें विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत इन परिभाषाओं से उत्पीड़ित होना पड़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते ने राज्य सरकारों का एक मुद्दा उठाया है और राज्य सरकारों की सहमति लेने संबंधी उनका संशोधन काफी प्रासंगिक है। जब तक आप राज्य सरकारों का सहयोग नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आप वहां लोगों को पकड़ नहीं पायेंगे। ये अभिहित न्यायालय और कुछ नहीं विशेष न्यायालय ही हैं। आपके पास विशेष न्यायालय हैं। दिक्कत क्या है? उच्चतम न्यायालय के बजाय उच्च न्यायालयों को अपील की शक्ति क्यों नहीं दी गई है? अतः इस प्रकार के बड़े सैद्धान्तिक संशोधन करने होंगे। यदि विधि मंत्री अब भी इन पर विचार करें, तो यह सबके लिए लाभदायक हो सकते हैं।

इसके वर्तमान रूप में हमें गंभीर आशंका है कि इस विधेयक का दुरुपयोग किया जायेगा। श्री ए० के० सेन या श्री चव्हाण इसे लागू नहीं करेंगे। यह सम्भव नहीं है। नौकरशाही और पुलिस ही इसे लागू करेगी। अतः, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो संशोधन हमने पेश किये हैं उन पर विचार करें और ऐसी सारी, समस्त शक्तियां अपने हाथ में न लें जो भविष्य में उनके लिए सहायक न रहें।

**श्री पी० कुलनदईवेलू** (गोबिचेट्टिपालयम) : जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने शुक्रवार को ठीक ही कहा कि हमें अभूतपूर्व खतरे का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि हमारी सम्पत्ति, हमारा जीवन खतरे में हैं। इसलिए देश में आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए हमने यह विधेयक ठीक ही पेश किया है। आप अच्छी प्रकार जानते ही होंगे कि आज देश एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है, अनेक विवाद और समस्या की जटलता इससे पैदा हो रही है। और जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, उनसे कटुता, निराशा और अशांति पैदा हो रही है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न स्थानों के विभिन्न स्तरों पर मनमुटाव और असंतोष पैदा होता

है। मैं कहना चाहूंगा कि भारत इस संकट से उभर सकता है और ऐसा करने की उसमें क्षमता है।

हालांकि, हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इन सब गतिविधियों को दबाने के लिए हर सम्भव कदम उठा रहे हैं, लेकिन सारा श्रेय वर्तमान सरकार को जाता है जो कि अपनी सारी सीमाओं के बावजूद, देश में उग्रवादियों की कार्यवाहियों और इसे संकट में डालने की कार्यवाहियों के होते हुए भी भड़की नहीं है। और श्री राजीव गांधी को भी यह श्रेय जाता है, जिन्होंने जीवन को गम्भीर संकट में होते हुए भी अपना धैर्य नहीं खोया। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक आतंकवादियों और विद्रोहियों की गतिविधियों का संबंध है; आतंकवादी आन्दोलन विद्रोही गति-विधियों से भिन्न होता है। मुझे खुशी है कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, आइरिश रिपब्लिकन आर्मी, और ऐसे ही अन्य ग्रुप जैसे बाडेर मेनोफ आफ वेस्ट जर्मनी, जापान की लाल सेना, सभी विफल रहे हैं, बुरी तरह से विफल रहे हैं।

मुझे खुशी है कि सरकार आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए यह विधेयक लाई है। हमारे विधि मंत्री, जो कि विधिविद हैं, ने यह विधेयक पेश किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता का ही दूसरा रूप है। आपने, भारत में इतने विधेयक होने के बावजूद यह विधेयक पेश किया है। अत: आतंकवादियों और उग्रवादियों से निपटने के लिए प्रत्येक कानून लागू किया जा सकता है। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश उन्होंने कहा है कि वर्तमान सभी कानूनों के बावजूद, खण्ड 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की शक्तियां अपने हाथों में ले रही है। यह राज्य सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए शक्ति है। आपने एक सरकारिया आयोग नियुक्त किया है। किस उद्देश्य के लिए ? वास्तव में उस आयोग का कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना है। आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार ने की है। यही उद्देश्य राज्य सरकार की शक्तियां न लेने से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह राज्य सरकारों की शक्तियों का उल्लंघन करना है।

आप आतंकवादियों और उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून ला रहे हैं और जहां तक मैं समझ पाया हूं और खण्ड 18 के अधीन आप राज्य सरकार की कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति को अपने हाथ में ले रहे हैं। फिर राज्य की स्थिति क्या होगी ? यह राज्य सरकार के अंतर्गत नगर पालिका बन जाएगी। यह साधारण गांव के एक डाकखाने की तरह बन जाएगी। उन्हें क्या अधिकार है ? अगर आप खण्ड 18 के साथ यह विधेयक पेश करेंगे तो राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं रह जाएगी। अत: मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह या तो शक्तियां वापिस न लें या खण्ड 18 को वापिस ले लें या ऐसा सुझाव या संशोधन पेश करें कि केन्द्रीय सरकार जब इन शक्तियों का प्रयोग करे तो वे राज्य सरकारों से सलाह कर ले या उनकी इच्छा से ही इनका प्रयोग करें। तभी यह सही होगा। अन्यथा इस विधेयक के बहाने, गुप्तचर लोग कानून और व्यवस्था की बात कहकर राज्य के किसी भी भाग में जा सकते हैं और कार्यवाही कर सकते हैं। कृपया हमें गलत न समझें—हालांकि हम अन्ना डी० एम० के० सदस्यों का कांग्रेस से गठबंधन है—लेकिन हमें यह कहने का पूरा अधिकार है और इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है, और अनुरोध करने का पूरा हक है कि इस विधेयक के इस उपबंध में संशोधन किया जाए।

इस अधिनियम के द्वारा साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य का अधिकार वापस ले लिया

गया है ताकि साक्षी की पहचान को सार्वजनिक न किया जा सके। इसका क्या अर्थ है? मैंने 11 वर्षों तक वकालत की प्रैक्टिस की है। मुझे पता है असल में मुकदमा चलाने वाले लोग क्या करते हैं। उनके पास साक्षियों का ठेर होता है। अगर किसी मुकदमे (मामले) की जांच नहीं हो पाती, वह इन तैयार साक्षियों को सामने कर देंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिखायेंगे और बाद में मुकदमा चलाया जायेगा।

**प्रो० मधु दण्डवते :** बम्बई में एक संस्थान है जो साक्षियों को प्रशिक्षण देता है।

**श्री पी० कुलनवईवेलू :** सरकार का कर्त्तव्य है कि वह लोगों और साक्षियों को सुरक्षा प्रदान करे। जब ऐसा मामला है तो इससे भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण करना है। आप लोगों के मूल अधिकारों को वापिस ले रहे हैं। अनुच्छेद 14 और 19 के अन्तर्गत आप इन शक्तियों को वापिस ले रहे हैं। मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में संशोधन लाएं। आप अपील की शक्ति को भी वापस ले रहे हैं। अभिहित न्यायालय हैं। अभिहित न्यायालय के निर्णय के बाद, आप केवल उच्चतम न्यायालय में ही अपील कर सकते हैं। इस प्रकार आप अन्य सभी न्यायालयों की अवहेलना कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आपका अन्य न्यायालयों पर भरोसा नहीं रहेगा। आप केन्द्रीय विधि मंत्री हैं। आप न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वे न्यायाधीश पीठासीन हैं। उनके मजिस्ट्रेट न्यायालय आदि हैं, लेकिन अभिहित न्यायालय से अपील उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। अन्य न्यायालयों का क्या होगा? तब आप क्या अन्य न्यायालयों को समाप्त करने जा रहे हैं? क्या आपका इन न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं है?

**श्री ए० के० सेन :** आप चाहते हैं कि अपील में कई वर्षों का समय लग जाए।

**श्री पी० कुलनवईवेलू :** शुक्रवार को आपने कहा था कि जल्द मुकदमे समाप्त हों, इसलिए अभिहित न्यायालय स्थापित किये गये हैं। जल्द न्याय दिलाने का अर्थ क्या है, हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसका अर्थ है कि ये वर्षों तक चलते रहेंगे। यह जल्द न्याय दिलाना है। यहां तक कि आपराधिक मामले भी वर्षों तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़े रहते हैं। पिछले दिनों, आपने सभा में कहा था कि लाखों मामले विचाराधीन हैं। जब ऐसी हालत है तो आप फिर भी उच्चतम न्यायालय को और शक्तियां दे रहे हैं। और इस विधेयक के अन्तर्गत अभिहित न्यायालयों से मुकदमे सीधे उच्चतम न्यायालय में जायेंगे; अपील की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के पास रहेगी। इससे लम्बित मामलों की संख्या अधिक हो जाएगी। और देर से दिया गया न्याय न दिये गये न्याय के समान है। जब ऐसी स्थिति हो तो मैं खण्ड 18 और 13(ग) का विरोध करता हूं। मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकारों की शक्तियां वापस न ले। आप हमेशा दिमाग में गैर-कांग्रेस (आई) राज्यों को भी ध्यान रखते हैं। आपके ध्यान में पश्चिम बंगाल या अन्य राज्य सरकारें होंगी, न कि तमिलनाडु क्योंकि आपके लिए तमिलनाडु हमेशा ही सुरक्षित राज्य रहा है। राजनैतिक स्तर में भी, यह आपके लिए सुरक्षित राज्य है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विधेयक में कुछ संशोधन करें, क्योंकि हम इस देश में सभी संगठित हैं और चाहते हैं उग्रवाद और आतंकवाद की गतिविधियों को समाप्त किया जाए।

**गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) :** मेरे माननीय सहयोगी श्री ए० के० सेन द्वारा पेश किए गए आतंकवाद और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक पर चर्चा के बीच मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं।

कई बातें कही गई हैं। एक बात जिस पर हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए वह यह है कि हमें समस्या के राजनैतिक हल और कुछ आतंकवाद द्वारा की जा रही आतंकवादी कार्यवाहियों को मिलाना नहीं चाहिए? और इस बारे में भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक आतंकवाद क्रियाकलापों का संबंध है, सरकार जहां तक हो सका है स्थिति को टालने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब स्थिति ने दूसरा ही नोढ़ ले लिया है। समस्या अब बड़े पैमाने पर फैल रही है। सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं? और किसी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है जिसमें विभिन्न समुदायों के बीच स्थाई रूप से दरार पैदा कर दी जाए। सौभाग्य से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के लोगों ने बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया है। मैं इस अवमर पर उन सब लोगों को मुबारकवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हिंसा से इनका उत्तर नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने हिंसा से जवाब नहीं दिया इसलिए कोशिश की जा रही है कि······

**श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या आपको हिंसा का पूर्वानुमान था।

**श्री एस० बी० चह्वाण** : जी हां। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। हर कोई जानता है, हम जानते थे कि निश्चय ही इसकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन सौभाग्यवश लोगों ने काफी परिपक्वता का परिचय दिया है और वे देशद्रोही और अन्य ऐसे तत्वों, जो इन कार्यवाहियों में संलग्न हैं, के जाल में नहीं फंसे।

मैं भी समझता हूं कि यह एक अच्छा शकुन है कि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों की समाज के सभी वर्गों ने निन्दा की है, जिनमें सिख बुद्धिजीवी और सिख नेता भी शामिल हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों को अलग-अलग होना ही पड़ेगा। और जहां कहीं हम राजनैतिक क्षेत्र में ऐसी स्थिति पैदा होती है, वहां हम इनका मुकाबला करेंगे। उसके बारे मे भी मैं, ऐसी स्थिति में विस्तार से नहीं कहना चाहता।

एक माननीय सदस्य, जो शायद इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, ने एक प्रश्न उठाया था कि जब कुछ लोगों में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो अचानक ही हमें अब इस प्रकार के उपाय क्यों करने पड़े हैं? ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस तथ्य को समझना चाहिए कि सारी स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। यह स्थिति वैसी ही हो गई है जब पूर्वोत्तर राज्यों में इसी प्रकार को छुट-पुट घटनाएं हो रही थीं। 1983 में कुछ प्रकार के अपराधों को करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब इस विधेयक में कुछ परिवर्तन है। अपराधियों के विरुद्ध आमंत्रित न्यायालयों में मुकदमे चलाये जायेंगे और इस विधेयक में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

1983 के अधिनियम में वस्तुत: अपराधों के विचारण के लिए अलग से एजेन्सी बनाने की व्यवस्था थी, पर उसमें कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं थी। अब इस विधेयक में कड़ी सजा निर्धारित की गई है। अत: माननीय सदस्यों को देश में उस समय कुछ क्षेत्रों में व्याप्त स्थिति और कतिपय क्षेत्रों में अब जो स्थिति व्याप्त है उसके बीच ने अन्तर को समझना चाहिए।

**3.39 म० प०**

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

निर्दिष्ट न्यायालय स्थापित करने तथा राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में बहुत कुछ

कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि हम राज्य सरकारों के प्रति एक प्रकार का अविश्वास दिखा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस विधान के द्वारा उस प्रकार की कोई कोशिश की जा रही है। वस्तुतः किसी राज्य विशेष के प्रति ऐसी भावना रखने का प्रश्न नहीं है, पर किसी भी राज्य में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं और अपराध किए जा सकते हैं। इन आतंकवादियों का कोई विशेष क्षेत्राधिकार नहीं है, कि वे एक राज्य विशेष में अपराध करेंगे और दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। ये शक्तियों ग्रहण करना इसलिए आवश्यक समझा गया कि यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं और वे इस तरह की हैं कि इन शक्तियों से केन्द्रीय सरकार उन पर दबाव डाल सकती है तो निश्चित रूप से हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा हम ऐसे अपराधियों के विरुद्ध शक्तियों का प्रयोग कर सकें जिसने एक विशेष क्षेत्र में अपराध किया हो सीमा वाले क्षेत्र में या किसी विभिन्न क्षेत्र में भाग गया हो। हम उनको पकड़ सकते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। अन्य संशोधनों का उत्तर जो माननीय सदस्यों द्वारा पेश किए गए है माननीय विधि मंत्री देंगे मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने उदाहरण उद्धृत किए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कुछ राज्य सरकारों ने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। और प्रायः यह कहा जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार को जो शक्तियां दी गई थीं उसे राजनैतिक गतिविधियों को दबाने के लिए, श्रमिकों के आन्दोलन को दबाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। मैं नहीं समझता कि इस आतंकवादी-रोधी विधेयक में कोई इस प्रकार की बात है। वस्तुतः हमारे ध्यान में केवल आतंकवादी है और हम उनके रवैये तथा उद्देश्यों का विफल करना चाहते हैं जिसके द्वारा वे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विघटनकारी और अराजकता की परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। और हमारे देश से कुछ क्षेत्रों को अलग करने की के सहारे अपने मांग उद्देश्य में सफल हो जाना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य प्रतीत होता है परन्तु अभी भी वे इसमें लगे हुए हैं और हमें इस पर नियंत्रण करना है और हमारा यह मुख्य उद्देश्य है। मैं नहीं समझता कि किसी अन्य गतिविधि, चाहे वह राजनैतिक गतिविधि हो या राजनैतिक दलों की गतिविधि हो या कोई श्रमिक आंदोलन हो, उन्हें दबाने के के लिए इसे नहीं लाया गया है। इस प्रकार की कोई भी बात हमारे ध्यान में नहीं है। रा० सु० अ० के अन्तर्गत भी, मैं नहीं जानता कि क्या मेरी तरफ से यह कहना उचित है, परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस तथ्य को मानेंगे कि इसमें अधिकांश शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई थीं। निश्चित रूप से किसी भी माननीय सदस्य का यह विचार नहीं है कि हमने रा० सु० अ० के अन्तर्गत उन्हें जो शक्तियां दी हैं हमें उन्हें इसके अन्तर्गत ऐसी शक्ति नहीं देनी चाहिए। ऐसा निरपेक्ष विचार ठीक नहीं है। अन्ततः राज्य सरकारों के माध्यम से ही केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करती है। हम राज्य सरकारों पर अविश्वास नहीं कर सकते। अभी तक जिस तरह से वे कार्य करते रहे हैं हमें उन पर पूरा विश्वास है और कम से कम मैं कह सकता हूं······

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : इसका मतलब आप हमारे संशोधनों को स्वीकार कर रहे हैं।

**श्री एस० बी० चह्वाण** : देखिए, मैं संभवतः कुछ कह नहीं सकता। आपके संशोधनों के बारे में माननीय विधि मंत्री जी आपको बता सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री जैनुल बशर द्वारा एक दूसरा मुद्दा उठाया गया था क्या यह बहुत वैध

और महत्वपूर्ण उपबन्ध है लेकिन अन्ततः सारी बात इस पर निर्भर करती है कि इन शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्रयोग कितने कारगार ढंग से किया जाता है विशेष-कर हमारे पुलिस ढांचे को देखते हुए। मैं इस विचार से सहमत नहीं कि पुलिस की पूरी व्यवस्था और जिस तरह से वे कानून और व्यवस्था को लागू करते हैं उसकी निन्दी की जाए, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि उन्हें कुछ नई दिशा देनी होगी, नए प्रशिक्षण देने होंगे ताकि विभिन्न स्थितियों, सांप्रदायिक झगड़ों से निपटा जा सके। उन्होंने यहां इसका विशेष तौर से उल्लेख किया है। शायद माननीय सदस्य को उस तथ्य की जानकारी होगी कि हमने सभी राज्य सरकारों को परिपत्र भेजे थे जिसमें कि पुलिस की नई बटालियन सृजन करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था जो दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से निभा सकें।

**श्री जैनुल बशर** : कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

**श्री एस० बी० चह्वाण** : यह मामला समझाने बुझाने का है। मैं नहीं समझता कि जो कुछ हमने अभी तक किया है उसकी अपेक्षा और कुछ कर सकते हैं। हम सभी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुला सकते हैं और उन्हें स्थिति की गंभीरता बता सकते हैं और यह काम करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है जहां एक सम्प्रदाय विशेष की पूरी जनसंख्या प्रशासन में अविश्वास प्रकट करती है जो अन्त में कानून और व्यवस्था को लागू करने जा रही है तो मैं समझता हूं कि किसी प्रशासन के लिए यह एक बड़ा अशुभ दिन होगा। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि राज्य सरकारें स्थिति को समझेंगी और इस तरह बल तैयार करेंगी जिसमें सभी समुदाओं का प्रतिनिधित्व हो ताकि वहां के लोगों में विश्वास पैदा किया जा सके, जहां इस तरह की समस्याएं होती हैं तथा जहां कानून और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से भूमिका अदा करनी होती है। पुलिस प्रणाली में नवीकरण, उसे नए उपकरण उपलब्ध कराना तथा कुछ किस्म के अत्याधुनिक उपकरण भी मुहैया करना बहुत आवश्यक है। यदि हम स्थिति ऐसी बनाने में सफल होते हैं जहां न केवल मौजूद मशीनरी को बल्कि रिजर्व को काम पर लगाया जा सके तो यह ज्यादा अच्छा होगा। हमारे पास रिजर्व नहीं रह गए हैं यहां तक कि प्रशिक्षण के लिए रिजर्व कार्मिकों को यहां-वहां तैनात किया जा रहा है। मैं नियमित पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० को भी तैनात किया जाता है। हमारे साधनों पर उस सीमा तक भार पड़ रहा है कि सेवाकाल के प्रशिक्षण के मामलों में भी नियमित अंतराल में प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही है। यह ठीक कहा गया है कि हमें इसे नया रूप देना होगा। हमें इस विषय में प्रभावी कदम उठाने होंगे। कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को अब सभी शक्तियां दे दी गई हैं। यह कहने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास शक्तियां नहीं थीं और इसलिए हम यह कार्रवाई या वह कार्रवाई नहीं कर सके।

**अध्यक्ष महोदय** : गृह मंत्री जी, केवल जैनुल बशर ही नहीं बल्कि प्रो० मधु दण्डवते भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि क्या आप उनकी बात को शामिल करने जा रहे हैं या नहीं।

**श्री एस० बी० चह्वाण** : श्री जैनुल बशर और प्रो० मधु दण्डवते दोनों द्वारा उठाया गया मुद्दा......

**अध्यक्ष महोदय** : इसको जानने के लिए मैं भी इच्छुक हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्योंकि वह उस तरफ देख कर बोल रहे थे, आपने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें आपके संशोधन करने के लिए कहा, क्योंकि आप पीठासीन हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए मैंने यह मुद्दा रखा है ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : आप कहें कि मैं अधिक सुन्दर हूं इसलिए मेरी तरफ देखिये ।

**श्री एस० बी० चह्वाण** : सलाह के लिए धन्यवाद । अतः उनकी बात हमने नोट करली है । कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को नये प्रकार का प्रशिक्षण देना होगा, नई दिशा देनी होगी, उसे समस्याओं की उनके सही संदर्भ में समझाना होगा, नए किस्म के उपकरण देने होंगे जिससे कि वे उन समस्याओं के साथ प्रभावी ढंग से निपट सकें जिनका वे सामना करेंगे । इस मुद्दे पर ध्यान दिया गया है । मैं नहीं समझता कि इस विषय पर मुझे कुछ और बोलना चाहिए । बाकी मुद्दों का, जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाया है, जबाव माननीय विधि मंत्री जी देंगे ।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका उपयोग राजनैतिक आंदोलन, ट्रेड-यूनियन आंदोलन तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नहीं किया जाएगा । लेकिन पहले भी यह आश्वासन दिया गया था जब 'मिसा' और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाए गए थे । क्या इस आश्वासन को विधेयक में शासिल करने में कोई कठिनाई है । मैं समझता हूं कि इस आश्वासन को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर विचार हो चुका है ।

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्टसगंज) : क्या आप संशोधन पेश कर रहे हैं ?

**श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** (नवदीप) : सरकार स्वयं ही संशोधन पेश कर सकती है ।

**श्री जी० जी० स्वैल** (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय, हमें इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए । असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए यह एक असाधारण कानून है । हम असाधारण सत्र में इस सदन में बैठे हुए हैं क्योंकि इस सत्र को बढ़ाया गया है । देश में और इस देश की सीमा के आर पार, इस सदन के बरामदे के बाहर असाधारण स्थिति से निपटने के लिए इस असाधारण विधेयक को स्वीकार करने के लिए हम असाधारण सत्र में बैठे हुए हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : केवल अध्यक्ष पीठ असाधारण नहीं हैं ।

**श्री जी० जी० स्वैल** : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।अब यह कहने के बाद सबसे पहले मैं सदन के इस तरफ से एक और सदन की दूसरी तरफ से सदस्यों ने भी आशंका व्यक्त की है इस कानून का दुरुपयोग, इसके बारे में कहूंगा । अधिक से अधिक मैं यह कह सकता हूं कि यह अनुमान है, यह कल्पना है ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : अनुभव के आधार पर ।

**श्री जी० जी० स्वैल** : हम यह भूल रहे हैं कि यह असाधारण स्थिति है और हम दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में कई निर्दोष लोगों की जो जानें गई उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हमने कुछ दिन पहले बहुत से आंसू बहाए थे ।

मैं यह कहना चाहता हूं और अपनी बात में दर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे देश की स्थिति विदेशी आक्रमण के समय की स्थिति से अधिक खतरनाक है । इस देश पर चार बार आक्रमण किया जा चुका है ।

ऐसा समय कभी नहीं आया था जबकि विदेशी आक्रमण ने इस देश के प्रधान मंत्री की जान ली हो।

वास्तव में खतरा बहुत बना हुआ है क्योंकि विदेशी आक्रणम का डर अभी भी बना हुआ है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : 1962 की लड़ाई के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू टूट गए थे।

**श्री जी० जी० स्वैल** : उनकी हत्या नहीं हुई थी। उनका वध नहीं किया गया था। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं यह है कि देश के लिए खतरा बना हुआ है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई व्यक्ति यहां है जो यह कहेगा कि बाहरी खतरा नहीं है। खतरा केवल पाकिस्तान से बाहरी खतरा नहीं है। पाकिस्तान से हमें हमेशा खतरा रहा है लेकिन हमारे देश के लिए बाहरी खतरे बढ़ गये हैं।

इस देश के निकट भविष्य में श्रीलंका से आक्रमण हो सकता है। मैं नहीं जानता हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि क्या स्थिति श्रीलंका में सरकारी प्राधिकारी के नियंत्रण में है, क्या श्रीलंका में उग्रवादियों के डर से वे काम नहीं करते हैं। क्या श्रीलंका में विदेशी एजेन्सियां उस देश की नीति निर्धारित करके हस्तक्षेप कर रही हैं? हम सब जानते हैं कि हिन्द महासागर की ओर से खतरा है और विदेशी खतरे के साथ देश में आंतरिक तोड़-फोड़ की गतिविधि जुड़ी हुई है जो पहले बाहरी आक्रमण के समय नहीं थी।

मैं इस सदन और इस देश को बताना चाहता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं उससे सावधान रहें।

इस देश में निश्चय ही तोड़-फोड़ की आन्तरिक गतिविधियों ने फिर से सिर उठाया है। यदि इस सदन में या सदन के उस तरफ ऐसा कोई व्यक्ति है जो यह कहता है कि इस तरह का कोई खतरा नहीं है, तो वह खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : यह सरकार की असफलता है।

**श्री जी० जी० स्वैल** : आंतरिक विनाश का खतरा बना हुआ है और यह आंतरिक विनाश बाहर की एजेन्सियों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में हमने अपने प्रधान मंत्री की अमरीका में हत्या के षडयंत्र के पर्दाफाश के बारे में बात की थी और अमरीका की फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने और विवरण एकत्रित किए हैं। ये आतंकवादी लोग राष्ट्र विरोधी तत्वों अलगाववादी तत्वों का एक छोटा सा अंश मात्र है। न्यूयार्क में इसका पर्दा फाश हुआ है इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के पास देश में आणविक संयत्रों को उड़ा देने सहित तोड़फोड़ की गतिविधियों की एक सुनियोजित योजना थी और इसलिए यह असाधारण स्थिति है तथा असाधारण स्थिति को असाधारण उपायों की आवश्यकता है। सभा में बैठे अपने मित्रों के भाषण सुनते हुए मैं सोच रहा था कि क्या उन्हें इसका पता है अथवा जिनकी तरह आप कुछेक उपाय किसी न किसी प्रकार का हो कुछेक राजनीतिक विवशताओं के कारण बताते चले जाते हैं। मैंने श्री अमल दत्त का भाषण सुना और उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाये जिनमे उनका कहना था कि कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप इस देश में बढ़ते हुए रोष को देखते हुए इस विधेयक को लाया गया है और सरकार इस प्रकार की स्थिति से अपने को बचाना चाहती है। उनका तो यही कहना था और मैं यह कहता हूं कि इस प्रकार का तर्क दुराग्रह के सिवाय कुछ नहीं है।

**प्रो० मधु दंडवते** : आतंकवाद की वृद्धि।

(**व्यवधान**)

**श्री जी० जी० स्वैल** : और इसके बारे में यह सरकार बहुत ही स्पष्टवादी रही है। उसका कहना है कि हमारे पारित करने के बाद इस विधेयक की अवधि केवल दो वर्ष की रहेगी और उसके बाद यह निष्क्रिय हो जाएगा। वह इसके नवीकरण या इसकी अवधि बढ़ाने अथवा इस प्रकार की अन्य किसी बात का उल्लेख ही नहीं करते हैं। क्या श्री अमल दत्त यह सोचते हैं कि दो वर्ष के भीतर यह सरकार भंग हो जाएगी ? यदि वह ऐसा सोचते हैं तो उन्हें भ्रम है। इस सरकार ने एक संकेत दिया है और ईमानदारी दिखाई है कि असाधारण स्थिति से निपटने के लिए इसकी अवधि केवल दो वर्ष की रखी गई है। मुझे आशा है कि दो वर्ष के अन्त में जब हम इस देश के आन्तरिक खतरे की रीढ़ को तोड़ देंगे तो इस विधि की और अधिक आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से निवेदन करता हूं······

**प्रो० मधु दण्डवते** : विपक्ष में बैठे एक से अधिक वक्ताओं ने इस बात को सराहा है कि इस कानून को हमने केवल दो वर्ष के लिए बनाया है।

**श्री जी० जी० स्वैल** : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस दो वर्ष की अवधि के लिए अपने सारे संकोच और सभी सन्देहों को भुला कर आपको इस विधेयक को पूरे जोर-शोर से समर्थन देना चाहिए। हमें एकजुट होकर इस आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए। मेरा कहने का यही मतलब है। (**व्यवधान**) मेरा मतलब है कि आपकी जो भी धारणायें हों। कुछ सदस्यों ने बहुत-सी आपत्तियां व्यक्त की हैं। मैं कहता हूं कि बिना किसी संकोच के विचार व्यक्त कीजिए। खतरा बना हुआ है।

मेरे विचार में श्रीमती गीता मुखर्जी ने मूल अधिकारों की चर्चा की है। क्या वे 100 निर्दोष व्यक्ति जिन्दा रहने का मूल अधिकार नहीं रखते थे जो कि कायरतापूर्ण ढंग से रखे गये ट्रांजिस्टर बमों से मारे गये ?

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मैंने स्वयं उन क्रियाकलापों की निन्दा की है।

**श्री जी० जी० स्वैल** : क्या उन्हें जीने का कोई मूल अधिकार नहीं था ? उन्हें उनके जीवित रहने के अधिकार से वंचित किया गया। क्यों ? (**व्यवधान**) मैं यही कहना चाहता हूं। उन्हें जीवित रहने के उनके मूल अधिकार से इसलिए वंचित किया गया है क्योंकि असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। और जैसा कि मैं कह चुका हूं यह एक असाधारण विधेयक है। मेरे विचार से मैं यही अपील करना चाहता हूं।

मैं अपने मित्रों द्वारा उठाये गए एक या दो मुद्दों के बारे में बोलना चाहूंगा। प्रो० मधु दण्डवते ने एक यह बात इठाई थी कि इस प्रकार के विधेयक में हम विस्तार में नहीं जा सकते क्योंकि हमें गीतों, नृत्यों और इसी प्रकार की बातों का उल्लेख नहीं करना पड़ता है······ (**व्यवधान**)

**प्रो० मधु दण्डवते** : नृत्य उसमें से निकाल दिया गया है।

**श्री जी० जी० स्वैल** : इस विधेयक में यह कहा गया है :

"विध्वंसकारी क्रियाकलाप से कार्य द्वारा या भाषण या गाने या गाथा या पद्य या शब्दों द्वारा या किसी पुस्तिक, पुस्तिका, कागजपत्र, लेख, रिकार्ड, टेप, वीडियो, कैसेट,

आरेख, चित्रण, व्यपदेशन द्वारा या किसी भी अन्य रीति से की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है—"

मेरे विचार में प्रो० मधु दण्डवते बड़े ही विद्वान सदस्य हैं : वह जानते हैं···

**प्रो० मधु दण्डवते** : फिर बदनामी ।

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु मैं कार्यवाही वृत्तांत में जाने दूंगा ।

**श्री जी० जी० स्वैल** : तब मैं कहूंगा कि वह अज्ञानी हैं और मैं उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं । मैं आशा करता हूं कि उन्हें इतना तो पता होगा ही कि पंजाब की क्या स्थिति

**4.00 म० प०**

है । हमारे पास अकालियों की नई तदर्थ समिति के शीर्षस्थ नेताओं के असामान्य भाषण हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि यह विधेयक सिखों के विरुद्ध नहीं है, यह तो आतंकवादियों और विध्वंसकारियों के विरुद्ध है और उस स्थिति में कोई आतंकवादी और विध्वंसकारी एक मुस्लिम, एक ईसाई भी हो सकता है और अब कई वर्षों से आतंकवादी और विध्वंसकारी देश के मेरे अपने भाग में भी पनप रहे हैं—नागा, त्रिपुरा में टी० एन० वी० या मिजो नेशनल फ्रन्ट···

**अध्यक्ष महोदय** : सच्चे अर्थ में कोई भी धार्मिक व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता और यह आतंवादियों के विरुद्ध है ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : देश के उस भाग के लिए सरकार ने कानून बनाया ही नहीं है ।

**श्री जी० जी० स्वैल** : मेरा कहना यह है कि ये लोग गत 20 वर्षों से या इससे भी अधिक समय से आतंकवादी या विध्वंसकारी रहे हैं ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : आप उनको समाप्त करने में सफल क्यों नहीं रहे हैं ?

**श्री जी० जी० स्वैल** : इसके कई कारण हैं जिनमें से एक है भूप्रदेश और एक है सीमा। इनमें से अधिकांश लोग सीमा पर से कार्य संचालन करते हैं । ये कारण हैं ।

परन्तु चूंकि इस प्रकार की बात देश के सीमा प्रान्तों में ही घटती हैं तो सरकार ने हर सावधानी बरती है और उनको रोका है और इसीलिए खतरा उस आयाम तक नहीं पहुंच पाया जितना कि वह आज है । वहां पर जो कुछ हुआ वह आज हो रहा है···**(व्यवधान)** आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : उनकी सूचनार्थ सशस्त्र पुलिस नक्सलवादियों पर पिल रही है ।

**श्री जी० जी० स्वैल** : मैं समझता हूं कि हर कोई मेरी इस बात से सहमत होगा कि इस प्रकार की आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां आज काफी बढ़ गयी हैं। अब ये स्वयं दिल्ली में व्याप्त हैं । देश के प्रधान मन्त्री की उनके घर में ही दिल्ली में हत्या कर दी गई । और दिल्ली में ही निर्दोष लोग बमों से मारे गये और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्दाफाश हुआ है । हमें नरमपंथी अकाली नेताओं की सहायता करनी चाहिए और

उग्रवादियों द्वारा अकाली दल पर हावी होने से रोकना चाहिए। हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सिख युवकों को हथियारबन्द होने का आह्वान करता रहा है और वह कहता फिरता है कि अकाल तख्त के पास शस्त्र सहित जाना प्रत्येक सिख का अधिकार है और लड़ना इनका कर्त्तव्य है। वे उन अपराधियों का गुणगान करते रहे हैं जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की और उन्होंने उनका सम्मान किया। जैसा कि अमरीका की धरती पर फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने स्वयं उदघाटित किया है कि उनके विदेशों से सम्पर्क हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है कि अमरीका और समस्त विश्व यह अनुभव कर सकता है कि इन लोगों के क्रियाकलापों से इस देश को किस खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

मैं अपने मुद्दे से हट रहा हूं। आपको तो पता ही होगा कि आज सारे पंजाब में भिंडरांवाले एक प्रकार का लोकनायक बन गया है और हर कहीं उसका नाम गाथा काव्य एवं गीतों में गाया जाता है ··

**श्री नारायण चौबे** : गत वर्ष उन्हें सन्त कहा गया था।

**श्री जी० जी० स्वैल** : अतः यह उसी सन्दर्भ में है कि गीत और गाथा भी विध्वंसकारी क्रियाकलाप हो सकता है। जब लोग दिल्ली तख्त के विरुद्ध संघर्ष का गीत गाकर आह्वान करते हैं जब वे विघटन की बात करते हैं और जब वे उन लोगों का अन्य स्वागत करते हैं जिन्होंने इस देश में अपराध किए हैं और खुले आम इस देश के विभाजन का आह्वान कर रहे हैं तो क्या यह विघटनकारी क्रियाकलाप नहीं है। अतः, यह इंगित करना अनिवार्य है कि आप इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा समय सीमित है मैं विधि मंत्री महोदय से केवल यह पूछना चाहता हूं और बहुत से अन्य सदस्यों ने भी यही प्रश्न पूछा है। अपने विधेयक में आपने जम्मू और कश्मीर को सम्मिलित नहीं किया है और इस विधेयक की सीमा से उसे आपने निकाल दिया है जो कि मेरी समझ से बाहर की बात है। यह तो एक असामान्य स्थिति से निपटने वाला असाधारण विधेयक है और हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि इस देश में जो बवण्डर आया है उसमें जम्मू और कश्मीर कोई शान्ति का क्षेत्र नहीं है। सच तो यह है कि वहां पर उलटी ही स्थिति है। हम जानते हैं कि बहुत से आतंकवादी और विघटनकारी वहां पर प्रशिक्षित किए गये हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि आप जम्मू और कश्मीर को इससे क्यों अलग रख रहे हैं? **(करतल ध्वनि)**

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, मैं समझता हूं कि इस करतल ध्वनि को इस अधिनियम को जम्मू और कश्मीर पर भी लागू करने के मेरे संशोधन के पक्ष में मतदान माना जाना चाहिए।

**श्री जी० जी० स्वैल** : यदि आप इस आशंका को सदस्यों के मन से दूर कर देंगे तो हम इसकी सराहना करेंगे।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से फिर निवेदन करूंगा कि हम सब एक होकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दें। हमें इसे लागू करने में सहयोग करना चाहिए और इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कि खतरा न रहे और हमें इस विश्व में नया दर्जा प्राप्त हो। यदि हम निर्बल हैं तो समूचा विश्व हमसे लाभ उठायेगा और यदि हम शक्तिशाली और एक रहेंगे तो सारी दुनिया हमारा सम्मान करेगी।

[हिन्दी]

**श्रीमती कृष्णा साही** (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है, देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और विशेष परिस्थितियों में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1985 पेश किया गया है। मैं इसके समर्थन में खड़ी हुई हूं।

यह नया कानून परिस्थिति-जन्य कानून है। देश में नये प्रकार के नये तरीके के अपराध हो रहे हैं। समय की मांग के अनुसार ही यह विधेयक उपस्थापित किया गया है।

1983-84 के बीच पंजाब में हमारे बहुत बेगुनाह, निर्दोष लोगों की बड़े पैमाने पर निर्मम हत्याएं की गई हैं। उनमें बड़े-बड़े साहित्यकार, बड़े-बड़े संसद-सदस्य, महान नेता, स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानियों की भी निर्मम हत्याएं की गई हैं। आतंकवादी और उग्रवादी लोगों के विरुद्ध जिन लोगों ने भी वहां आवाज उठाई या जिन्होंने उनकी भर्त्सना की, उनकी आवाज को हमेशा के लिए बन्द कर दिया गया। उन्हें हिट-लिस्ट में रखा गया। यह हमारे लिए बड़ा ही गंभीर विषय है और इसमें हमें बहुत ध्यान से और कड़ाई के साथ निपटना होगा।

अकाली दल या आतंकवादी या उग्रवादी, इनके पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं है और इनका कोई औबजेक्टिव भी डिफाइन नहीं है। जो परिस्थिति 1981 में थी, वह 1982 में नहीं रही और 1984 में वह और खराब हो गई। जिस तरह का कार्यक्रम इनका आज सारे देश में उभरा है, श्रीमती गांधी की हत्या के बाद सारा देश आग की ज्वाला में धधक उठा। इनका यह नशा हमने वहशी बनते देखा। जिस तरह की समस्याओं में हम उलझे हैं, हमने देखा है कि कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन हमारे देश की जनता बहुत महान है। लोक-सभा का चुनाव हुआ और जनता ने इस बात को साफ कर दिया कि जनमत हमारी सरकार के साथ है।

अभी-अभी गीता मुखर्जी ने कहा है कि बहुत जल्दी इस बिल को तैयार किया गया, इसके लिए जनमत तैयार करना होगा। मैं उनसे कहूंगी कि जनमत तो तैयार हो चुका है और उसी समय हम लोगों ने देखा कि बड़े पैमाने पर जो विशाल बहुमत मिला, उस समय यह बिल उपस्थित किया जा सकता था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत संजीदगी से काम किया। जो हमारा नेशनल करेक्टर है, जिस प्रजातांत्रिक ढंग को अपनाते हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत समय दिया और उन्होंने अकाली नेताओं को अवसर दिया कि वह प्रजातांत्रिक ढंग से बातचीत कर मामले को तय करेंगे, उन्होंने मॉस-कनैक्ट एस्टैबलिश किया, वहां जाकर लोगों से बात की।

मुझे स्मरण है कि सबसे पहले जब यह बवाल खड़ा हुआ था तो श्रीमती गांधी ने हम लोगों को वहां भेजा था। श्रीमती अरुणा आसफ अली के नेतृत्व में हम सब गये थे। उस समय हम को ऐसा लगा कि उनकी मंशा यह नहीं है। अब श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों को सही की उपाधि दी गई है, उनकी पत्नी को उपहारस्वरूप दिया जा रहा है। अब यह स्थिति आ गई है कि हाई कोर्ट के जजों को धमकी भरा पत्र दिया जाता है, हाई कोर्ट में बम रखे जाते हैं। कोर्ट, रेल, बस, हवाई जहाज, सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थानों में बम और डायनमिक रखे जाते हैं। जो प्रोटैक्टीड एरियाज हैं, जो सैनिक देश के प्रहरी हैं, वैसी जगहों में यह बम रखे गये हैं। गरीबों की झोपड़ियों में भी वह बम रखे जा रहे हैं, उन बेचारे गरीबों ने क्या गुनाह किया है कि उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है।

अभी आपने अखबारों में देखा होगा कि महिला शौचालयों में और छोटे-छोटे बच्चे और महिलाएं जहां रहती हैं वहां भी बम रखे जाते हैं। अब यह कहते हैं कि हम बातचीत के जरिए से मामला तय करेंगे। यह धर्म के नाम पर घृणा का वातावरण फैलाया जा रहा है। आज भी अखबार में ऐसे बयान आये हैं कि स्वर्ण मंदिर के परिसर में हथियार रखने पर सरकार को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार धार्मिक रंग देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

मैं कहना चाहती हूं कि ऐसे समय में जब यह आतंकवादी और विध्वंसकारी कार्य-कलाप हो रहे हैं, यह बिल बहुत ही मौजूदा समय में रखा गया है। यह फिनौमिना जो हमारे आतंकवाद का आन्दोलन है, यह गहुत पहले भी चला था। दूसरे देशों में सबसे बड़ा आन्दोलन 1870 के बाद रूस में हुआ था जिसे निहलिज्म कहते हैं, यह जनता की क्रांति के द्वारा कंट्रोल हुआ। इसमें भी जान की हत्या की साजिस की गई। हमारे देश में भी अंग्रेजी राज्य को, उसकी हुकूमत को समाप्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए मुट्ठी भर आतंकवादी समर्थ नहीं हो सके हैं। हमारे महात्मा गांधी जैसे महान नेता, नेहरू जी के आह्वन पर जनता आगे आई और आन्दलिन किया। इनके आह्वन पर ही हम यहां से अंग्रेजों को भगा सके हैं, इसलिए इसमें जो डेग्जीनेटिड कोर्ट्स का प्रावधान है, उसका मैं समर्थन करती हूं। यह तीन भागों में है, 24 इसके सैक्शन हैं, सभी सोच समझकर बनाये गये हैं, इसलिए मैं इसका सहर्ष समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सैफुद्दीन सोज।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : महोदय, मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरी बारी इतनी शीघ्रता से आ जायेगी।

[हिन्दी]

अगर मैं उर्दू से स्टार्ट करूंगा तो कहूंगा कि कलेजा थाम लो, फिर मेरी बात सुनो।

(व्यवधान)

اگر میں اردو میں اسٹارٹ کروں گا تو کہوں گا کہ کلیجہ تھام لو پھر میری بات سنو۔
(انٹرپشن)

**अध्यक्ष महोदय** : हमसे मुखातिब हुए जनाबेआला।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : हम तो जनाब की तरफ ही देखते हैं।

شری سیف الدین سوز : ہم تو جناب کی طرف دیکھتے ہیں۔

**अध्यक्ष महोदय** : हम इन्तजार फरमा हैं आपके, जरा इरशाद हो।

[अनुवाद]

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : इतनी जल्दी मुझे बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे इतनी जल्दी बुला लिया जायेगा। मैंने आज सबेरे बड़े ही मनोयोग से विधि मन्त्री महोदय का भाषण सुना और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, जब

विधि मन्त्री महोदय, श्री सेन इस विधेयक के कुछ खण्डों की व्याख्या कर रहे थे तो मैंने उन्हें सुना और मैं उन सभी दृढ़ोक्तियों का समर्थन करता हूं। यह एक व्यापक विधेयक है और बड़ी ही योग्यता से उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने उन महत्वपूर्ण खण्डों की व्याख्या की जिसमें आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दण्ड का प्रावधान है। ये खण्ड बड़े ही व्यापक हैं और विघटनकारी क्रियाकलापों के लिए दण्ड का उल्लेख करने वाले खण्ड भी बड़े ही व्यापक है। मैं तो कहूंगा कि यह एक बड़ा ही कड़ा कानून बनेगा।

4.16 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

महोदय, मैं विधि मंत्री के इस दृढ़ कथन का समर्थन करता हूं कि भारत की अखण्डता और सार्वभौमिकता के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं किया जायेगा। मैं पूरे मन से उनका समर्थन करता हूं। जहां तक इन खण्डों अर्थात् खण्ड 3 और 4 का सम्बन्ध है उन पर मैंने दो संशोधन पेश किए हैं और वे संशोधन बहुत ही आवश्यक लगते हैं। पहला संशोधन यह है कि यह कानून दो वर्ष तक लागू रहना चाहिए। परन्तु मेरा सुझाव है कि यह एक वर्ष के लिए लागू रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि समय आने पर हम इस प्रकार का सौहार्द और सदभावना पैदा करने में सफल हो जाएं जहां पर इस प्रकार के कानून की आवश्यकता ही न पड़े। यह दो वर्ष के लिए क्यों होना चाहिए ? यह एक वर्ष के लिए भी हो सकता है और भगवान न करे यदि हमें इसकी और आवश्यकता पड़े तो हम एक वर्ष की अवधि तक और बढ़ा सकते हैं। परन्तु हमें प्रारम्भ से ही शंकालु नहीं होना चाहिए।

खण्ड 3 में मैंने अन्तिम पंक्ति में एक संशोधन का सुझाव दिया है।

जब हम बात करते हैं—

"समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्नकारित हो..."

मैं यहां एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं, अर्थात् :

"या जीवन अथवा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हिंसा के कार्य के लिए भड़काता है।"

यह उस बात से भिन्न है जिसका आपने खण्ड 4 में उल्लेख किया है। अर्थात विघटनकारी क्रियाकलापों के लिए दण्ड और यह है आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दण्ड। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति का कार्य जो हिंसा भड़काता है, वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं तो उसमें भाग नहीं लेता है परन्तु हिंसा भड़काता है और इस प्रकार हिंसा भड़काने से जीवन या सम्पत्ति की हानि होती है तो वह आतंकवादी कार्यवाही होगी। अतः, उसे भी आपके खण्ड 3 के प्रस्ताव के अनुसार दण्डित किया जाना चाहिए। परन्तु महोदय, मेरे द्वारा इस विधेयक को 'हार्दिक समर्थन' दिये जाने के बाद और मैंने विधि मंत्री के प्रत्येक कथन का समर्थन किया है, विशेषकर उस कथन का कि भारत की अखण्डता और सार्वभौमिकता के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं किया जायेगा तो मेरा यह सुझाव कि इस तरह कानून को एक वर्ष के लिए लागू किया जाए, स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मैं यहां बता देना चाहता हूं कि हिंसा से अन्ततः हिंसा ही पनपेगी। मैं उस हिंसा का उल्लेख करना चाहता हूं जो पंजाब में भड़की और आतंकवादियों द्वारा निरन्तर जारी रखी गई है। उस

आतंकवाद के विरोध में हमने 'आपरेशन ब्लूस्टार' किया था और 'आपरेशन ब्लूस्टार' के बदले में प्रतिक्रिया स्वरूप हमने प्रधानमंत्री महोदया की हत्या देखी। उस घृणित कार्य की प्रतिक्रियास्वरूप हमने दिल्ली में आगजनी और दंगे देखे जो कि हमारे इतिहास में अभूतपूर्व थे। हिंसा चलती रही और हाल ही में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में जो कुछ हुआ वह ऐसी घटना थी जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं। विभिन्न मतों के लोगों ने उस आतंकवाद की निन्दा की और सरकार से उस पर कार्यवाही करने की मांग की। अतः, इस देश में जो कुछ हो रहा है उसकी प्रतिक्रियास्वरूप ही सरकार ने इस कानून का प्रस्ताव किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं परन्तु अन्ततः हमें गांधीवादी तरीके को अपनाना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहता कि आप इस विधेयक से एक शब्द भी निकाल दीजिए। मैंने इस विधेयक को पूरा समर्थन दिया है, परन्तु यदि आप देश में शान्ति चाहते हैं। तो हम सबको गांधीवादी तरीका भी अपनाना चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रधान मन्त्री के इरादे बहुत ही नेक हैं, वह देश में शान्ति एवं सौहार्द का वातावरण चाहते हैं। यदि हम आतंकवादियों को इसी तरह से दण्डित करते जाएंगे तो उससे देश में हिंसा का अन्तहीन वातावरण बनता जायेगा। गांधीवादी तरीके अहिंसा को भी आजमाना चाहिए और एक प्रकार सौहार्द देश में पैदा किया जाना चाहिए जिससे हम इस समस्या विशेषतया पंजाब समस्या को हल कर सकें। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रधान मंत्री महोदय समय की मांग के अनुरूप बातचीत करना चाहते थे परन्तु उनका जवाब सार्थक और इसी तरह का नहीं लगता। परन्तु हमें किसी प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए। हम सब, जो विभिन्न दलों और विभिन्न वर्गों से संबंधित हैं, को ईमानदारी के साथ शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जहां दल के हितों को ध्यान में रखा जाये। इस तरह के प्रस्ताव दलगत भावना से ऊपर होते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि शांतिपूर्ण उपाय अहिंसक उपाय की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी हिंसा को जड़ से उखाड़ सकें।

जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य का संबंध है, कुछ लोगों ने चर्चा का क्षेत्र और व्यापक बना दिया है तथा उसमें जम्मू और कश्मीर को बीच में लाए हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें जम्मू और कश्मीर को नहीं लाना चाहिए। मैंने केवल एक या दो भाषण सुने हैं। जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है, यदि आप कहते हैं कि इसे जम्मू और कश्मीर में भी लागू किया जाना चाहिए तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है और मेरे दल को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर में ही नहीं बल्कि कहीं भी किसी तरह का आतंकवाद नहीं चाहते हैं। हम उसकी निन्दा करते हैं। श्री डोगरा के विशेष ध्यान के लिए मैं कहूंगा कि आपने वहां एक सरकार की स्थापना की है जो कभी भी लोगों की तरफ से नहीं बोल सकती है। कोई भी बात कर सकता है, मौन बात कर सकता है परन्तु आपके द्वारा स्थापित की गई सरकार नहीं बोल सकती है।

मैंने आतंकवाद की निन्दा की है; मैंने इस विधेयक और विधि मंत्री जी की घोषणा का पूरे दिल से समर्थन किया है लेकिन वहां की सरकार लोगों की ओर से नहीं बोल सकती है······ **(व्यवधान)**

**श्री गिरधारी लाल डोगरा** (ऊधमपुर) : वे आपकी तरह अच्छे हैं।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : उस समय के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आप अप्रत्यक्ष रूप से इस विधेयक के प्रावधानों को उस राज्य में लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करने

का सुझाव राज्य सरकार को मत दीजिए। मैं इस कानून का समर्थन करता हूं; जम्मू और कश्मीर के लोग इसको स्वीकार करेंगे लेकिन वहां की सरकार को लोगों की ओर से बोलने का अधिकार नहीं है। आपने कुछ गलतियां की हैं; हो सकता है इस गलती में प्रधान मंत्री का हाथ न हो। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न सीधे प्रधान मंत्री को सम्बोधित नहीं है लेकिन यदि वह इसका उत्तर देते हैं, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मैं जमायत-ए-इस्लाम के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं······(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह किसी भी तरह संगत नहीं है। यह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**[हिन्दी]**

**श्री जनक राज गुप्ता** (जम्मू) : सभापति महोदय, जब 1983 में एसेम्बली के इलैक्शन हुए थे, तो फारूख अबदुल्ला नेशनल कान्फ्रेन्स और जमात-ए-इस्लामी क्या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे ?

(व्यवधान)

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : यह संगत नहीं है। श्री श्याम लाल यादव।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : वह नहीं जानते कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है। वह मुझसे स्पष्टीकरण ले सकते हैं······(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अपनी शक्ति व्यर्थ मत कीजिए। इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहा है और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**[हिन्दी]**

**श्री श्याम लाल यादव** (वाराणसी) : सभापति महोदय, प्रो० सोज जिन बातों को बयान कर रहे है, मैं समझता हूं कि उन बातों का कोई भी सम्बन्ध इस बिल से नहीं है और वे अनावश्यक रूप से उन बातों को इस मौके पर लाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी बात को······(व्यवधान)······मान्यवर, उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि आज देश की स्थिति अत्यन्त भयावह है। आज देश की स्थिति बहुत भयानक और विस्फोटक है। इन चीजों को अधिकांश माननीय सदस्यों ने कहा है। जो बातें उन्होंने कहीं उन बातों को सभी स्वीकार करते हैं, इस विधेयक में जम्मू-कश्मीर के हिस्से में लागू करने की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि सोज साहब को इस तरह की बातों को लाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि कुछ माननीय सदस्यों ने जैसा वे खुद स्वीकार करते हैं, जम्मू-घाटी में भी जिस प्रकार से आतंकवादी और विध्वंसकारी ताकतें, विघटनकारी ताकतें सिर उठा रही हैं, उसको दबाने की जरूरत है। उनको दबाने के लिए यदि इस विधेयक को लागू किया जाए,

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो इस पर उन्हें आपत्ति नहीं है । लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार कुछ पाबंदियां हैं, शायद उनको ध्यान में रखकर के इस विधेयक को काश्मीर की घाटी में लागू करने का प्रस्ताव नहीं है ।

4.30 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता हूं लेकिन इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि आज देश की जो स्थिति है, देश के अन्दर जो अशान्ति और अव्यवस्था पैदा की गई है, देश के अन्दर जो आतंकवादी और विध्वंसकारी ताकतें सिर उठा रही हैं, वे हमारे लिए चुनौती हैं, उनका मुकाबला करने के लिए कुछ असाधारण कार्य करना होगा और वे असाधारण कार्य यही हो सकते हैं कि हम इस तरह के कानून-कायदे बनायें, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिनसे इन आतंकवादियों का सफाया किया जा सके ।

आतंकवाद हमारी आजादी के बाद से देश के बहुत से हिस्सों में सिर उठाता रहा है । हमारे पूर्वांचल में पिछले बीस-पच्चीस सालों में कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनायें आये दिन होती रही हैं और इस प्रकार की ताकतों को कभी-कभी बाहर से भी समर्थन मिला है । सीमा के पार भी वे आते-जाते रहे हैं । उनका मुकाबला करने के लिए बहुत से कानून बनाये गये, लेकिन उनका मुकाबला ठीक प्रकार से नहीं हो सका । आज पंजाब में और दिल्ली के आसपास जिस प्रकार का विषाक्त वातावरण बना है वह हमारे देश के इतिहास में एक अनोखी घटना है और जो प्रकरण बना है, उसका मुकाबला करने के लिए, उसको दबाने के लिये, सारा देश व्याकुल है । समूचा देश प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की तरफ बड़ी आशाभरी दृष्टि से देख रहा है और यही कारण है, जैसा आपने देखा, विगत लोक सभा के चुनावों में सारे देश की जनता ने उनको अभूतपूर्व समर्थन दिया और आज भी जनता यह आशा करती है कि जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने पिछले कुछ महीनों मे पंजाब की स्थिति का मुकाबला करने के लिये कुछ नर्म कदम उठाये, परन्तु उनका कोई लाभ नहीं निकला, बल्कि उल्टा असर पड़ा और असर यह पड़ा कि सबसे दुखदाई बात जिसे कोई भी भारतीय स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिस प्रकार से श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों का स्वागत-सत्कार पंजाब के कुछ लोगों ने किया जो अपने को किसी एक धर्म विशेष का प्रतिनिधि मानते हैं, अपने को एक विशेष राजनीतिक दल का नेता मानते हैं, उनका यह कार्य घोर निन्दा के योग्य तथा अशोभनीय था तथा उनके उस कार्य से देश के सारे नागरिकों का सिर झुक जाता है । ऐसे व्यक्तियों को इस देश की जनता कभी भी क्षमा नहीं कर सकती । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं—ऐसा व्यक्ति, ऐसा दल किसी भी रूप में देश के सामने आये उसको इस देश की कोई भी सरकार कबूल नहीं कर सकती, उसे दबाना ही पड़ेगा । इसके लिए चाहे जितनी लम्बी लड़ाई या संघर्ष हो और हो सकता है कि यह और ज्यादा समय ले, लेकिन ऐसे लोगों को बर्दास्त नहीं किया जा सकता । साधारण व्यक्ति यदि कोई हत्या करता है, उसके अपराध के लिये उसको दण्डित किया जाता है, लेकिन उसको इस तरह से आदर और मान नहीं दिया जाता । यह एक अनोखी घटना इस देश के प्रजातन्त्र में हुई है जो शायद ही दुनिया में कहीं हुई हो ।

हमसे पहले के जो आजाद देश हैं, जैसे इंगलैंड है वहां भी राजनीतिक आन्दोलन बराबर चलते रहते हैं । वहां पर जेलों में 12 व्यक्ति अनशन करके मर गये, लेकिन वहां की सरकार नहीं

झुकी। जब पहला व्यक्ति अनशन करके मरा तो राज्य सभा के सदस्यों ने खड़े होकर शोक प्रकट किया, लेकिन जब 12 आदमी मर गये तो कोई झांकने नहीं गया। वहां की सरकार प्रजातांत्रिक सरकार है उसने आइरिश रेवोल्यूशनरी आर्मी को उठने नहीं दिया। इसी तरह से अकाली दल जिसका जन्म धर्म के नाम पर गुरुद्वारे में हुआ और जो ऐसा राजनीतिक दल है जो धर्म के नाम पर चलता है, जिसको शक्ति धर्म से मिलती है, जो हिंसा के मार्ग को अपनाता है उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। यूरोप का इतिहास इससे भरा हुआ है, मध्यकालीन युग का इतिहास इससे भरा हुआ है। जो राजनीति धर्म के आधार पर चलती है, जो राजनीतिक दल धर्म के आधार पर राजनीति को लाता है, वह किसी भी देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अकालियों से कोई बातचीत नहीं हो सकती है, एक अकाली दल से बात कीजिये, उसको माडरेट कहिये, कल वही आउस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट्स फिर आगे आ जाएंगे। अनेक बार ऐसा हुआ। पंजाब का निर्माण जिस प्रकार हुआ, आप जानते हैं। आत्मदाह की धमकी दे करके उसका निर्माण किया गया। तो क्या वहां शान्ति हुई? पंजाब बन गया और आज धर्म की बात नहीं, राजनीति की बात, पानी बंटवारे की बात और चंडीगढ़ को राजधानी बनाने की बातें और दूसरी अनेक बातें उठाई जाती हैं, जिनमें धर्म का कहीं नामोनिशान नहीं है। सिख हमारे देश के अग्रणी नागरिक हैं, प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और व्यापार में, रोजगार में, नौकरी में, दौलत, धन और सम्पत्ति में, जहां भी वे हैं, सबसे आगे हैं लेकिन क्या कारण है कि जो विदेशों में सिख बसे हुए हैं, जिनको हिन्दुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, नाम के लिए वे सिख हैं और उनके बहुत से रस्मो-रिवाज भी भिन्न हैं, वे हमारे देश के अन्दर इस तरह की अशान्ति पैदा करना चाहते हैं और ऐसा वे दिखाते हैं कि वे हिन्दुस्तान के बड़े शुभ चिन्तक बन गये हैं लेकिन हमारे शुभ चिन्तक नहीं हैं। इसलिए मैं नम्रता के साथ, आपके माध्यम से माननीय सदन के सदस्यों से और सरकार से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के साथ किसी प्रकार की नरमी बरत करके आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और जितनी आप उनको सहूलियतें देंगे, उनका वे दुरुपयोग करते जाएंगे। अभी जो कुछ पिछले दो महीने में हुआ है, वह इस बात का प्रमाण है। उनको जेलों से रिहा किया गया और अदालतों से मुकदमे हटाए गये और तमाम सहूलियतें उनको दी गईं लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ। एक अकाली दल का नेता इस्तीफा देकर भाग गया और दूसरे साहब उस पर कब्जा कर रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि गुरुद्वारे के अन्दर हथियार लेकर जाना हमारा अधिकार है। यह बात हम स्वीकार नही कर सकते। एक बार गुरुद्वारे के अन्दर घुस कर हथियारों को बरामद किया गया और बड़ी भारी मात्रा में बरामद किया गया और साफेस्टीकेटेड हथियार बरामद किये गये थे और आपको पता ही है कि विपक्ष के एक नेता वहां गये थे और देख कर आए थे और आकर उन्होंने एक बयान दिया कि वहां पर इस तरह के हथियार नहीं हैं। फिर उसी तरह की स्थिति नहीं बनने दी जा सकती और इसके लिए आपको सख्ती करनी पड़ेगी और सारा देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप सख्ती बरतें, जिससे वे ताकतें फिर वहां पैदा न हों और फिर दूसरा ब्लू स्टार आपरेशन न करना पड़े और वहां पर शान्ति स्थापित हो सके।

इस विधेयक में बहुत-सी धाराएं हैं और मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस इस सारे कानून को लागू करेगी। आखिरकार आप उसको अधिकार दे रहे हैं और वह पुलिस कितनी सक्षम है, यह सब जानते हैं। हमारे चह्वाण साहब आज सत्ता में बैठे हुए यह बात कह सकते हैं कि पुलिस सक्षम है लेकिन पुलिस का तजुर्बा हम सबको है, सत्ता से

बाहर रह कर हमको उसका तजुर्बा है। सवाल यह है कि पुलिस इतनी बड़ी जिम्मेवारी को उठाने में सक्षम है या नहीं ? हम यह नहीं कहना चाहते कि सारी पुलिस ऐसी है, जिस पर हम अविश्वास करें लेकिन पुलिस क्या कर रही है पंजाब में और पुलिस क्या कर रही है दिल्ली में। एक को भी वह पकड़े होती ? दिल्ली में कहा गया कि पुलिस कमिश्नर बना दिया जाएगा, तो सारे अपराध खत्म हो जाएंगे और लॉ एण्ड आर्डर स्थापित हो जाएगा। पुलिस कमिश्नर हो गया। सारी पावर्स, मजिस्ट्रेट की भी और पुलिस की भी, उसके हाथ में हैं लेकिन फिर भी यहां पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और पुलिस कमिश्नर उनको नहीं रोक सका, पुलिस के तमाम कर्मचारी उनको नहीं रोक सके। अधिकारों की कमी नहीं है। अगर कमी है, तो उन कर्मचारियों की क्षमता की है, उनकी ट्रेनिंग की, उनके लिए गाइडेंस की कमी है उनके अन्दर जो पैट्रिओटिज्म की भावना होनी चाहिए, जो नैतिकता की भावना होनी चाहिए, देश के प्रति समर्पण की जो भावना होनी चाहिए, अगर कमी है, तो इस बात की है। इस कानून में जो भी व्यवस्था की गई है, वह ठीक है। आम तौर पर जो हमारे यहां अदालतें चलती हैं और उनमें जिस तरह की एवीडेंस होती है और अभी तक जो हमारे यहां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या एवीडेंस ऐक्ट है, उससे अलग हटकर यहां व्यवस्था की गई है। शायद इससे काम में सहूलियत मिले और शायद कार्य करने में सफलता मिले और हम इसका स्वागत करते हैं और इस आशा से करते हैं कि हमारे यहां जो पुलिस और लॉ एन्फोर्सिंग एजेन्सीज हैं, वे ठीक काम करेंगी। ये एजेन्सियां राज्यों के हाथ में हैं और कई राज्यों में विरोधी दल की सरकारें भी हैं। वहां जो पुलिस है, वह लोगों से मिलजुलकर इस कानून के अन्तर्गत जो अपराधी तत्व हैं, उनको पकड़ेगी और जो आतंकवादी और विध्वंसकारी तत्व हैं, उनको आइडेंटीफाई करके उनको पकड़ेगी और पकड़ कर उनके ऊपर मुकदमा चलाएगी और उनसे देश को राहत दिलाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं और तभी कानून की मंशा पूरी होगी और इसमें हम सबों का और सारे देशवासियों का पूर्ण सहयोग उनको मिलेगा। इसको लागू करने वाली जो लॉ एन्फोर्सिंग एजेन्सीज हैं, वे अगर ठीक ढंग से काम करके इसको लागू करेंगी, तो संसद् और संसद् के बाहर देश की जनता ऐसे कानून का स्वागत करेगी और मुझे विश्वास है कि इस कानून के बनने के बाद फिर गृह मन्त्री जी किसी प्रकार की दलील नहीं देंगे और जो लोग इस कानून को लागू करने में पीछे रहेंगे, उन तत्वों को भी देखा जाए।

इतना कह कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री पी० चिदम्बरम** (शिवगंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम नाजुक समय में रह रहे हैं। किसी देश को हर समय या प्रत्येक वर्ष में इस तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है किन्तु पिछले वर्ष के अन्त से तथा इस वर्ष के पहले साढ़े चार महीनों में हम एक के बाद एक संकट से गुजरे हैं। मेरे विद्वान दोस्त प्रो० स्वैल ने स्थिति को असाधारण बताया है जिसके लिए असाधारण शक्तियों की आवश्यकता है। मैं आगे जाना चाहता हूं। स्थिति इस तरह की असाधारण हो गई है कि हमें असाधारण विवेक की आवश्यकता है। यदि हमें उस स्थिति पर काबू करना है जिसका आज हम सामना कर रहे हैं तो क्या मैं अपने दोस्तों को, जो दूसरी तरफ बैठे हैं। अपील कर सकता हूं कि इसके लिए असाधारण द्विपक्षीय सहयोग असाधारण एकता साहस तथा असाधारण इच्छा शक्ति दिखाने और निर्णायकता की आवश्यकता है ?

**प्रो० मधु दण्डवते** : द्विपक्षीय सहयोग तथा एकपक्षीय सहयोग को मिलाइये नहीं।

**श्री पी० चिदम्बरम** : मैंने 'द्विपक्षीय सहयोग, कहा है। मैं केवल अपने विद्वान दोस्तों श्री अमल दत्ता और श्रीमती मुखर्जी को बताना चाहता हूं जो आज बोले थे जो इस विधेयक की एक प्रतिलिपि को प्राप्त करने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए थे तथा इस संसद में अपने भाषणों को देने से पहले अपने लोगों से मिले थे। श्री अमल दत्ता ने कहा कि इसे चयन समिति को भेजना चाहिए। श्रीमती मुखर्जी ने कहा कि इसे लोगों की राय के लिए भेजना चाहिए। दोनों, लोगों के महत्व को भूल गए। कल मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में था और मद्रास से मेरा क्षेत्र 305 मील दूर है। 10 मई, 1985 से, और विशेषकर प्रधान मंत्री की हत्या के बारे में षड़यंत्र करने की धमकी का पता चलने के बाद इस देश के लोगों के मन में उदासी छा गई है। लोग डर कर रहते हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि क्या करना है, वे नहीं जानते हैं कि क्या सोचना है, वे नहीं जानते कि क्या होगा। और मेरे दोस्त श्री अमल दत्ता तथा श्रीमती मुखर्जी संविधान के अनुच्छेद 20 से परमानन्दपूर्वक अनभिज्ञ हैं। मुझे विश्वास है कि श्रीमती मुखर्जी ने अन्य अवसर पर इसे देखा होगा। यह कहता है कि :

> "कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उससे अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।"

आतंकवाद गतिविधि इस सुबह, इस क्षण कभी भी हो सकता है। हमें एक मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसे तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि हम इस कानून को पारित न करें।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

**श्री पी० चिदम्बरम** : हम कैसे इन्तजार कर सकते हैं जबकि पंजाब में सैकड़ों को मारा गया है, जबकि पूरे देश में सैकड़ों को मारा गया है, और जबकि दिल्ली में सैकड़ों लोगों को मारा गया है ? आप जो हर मिनट, हर क्षण देर कर रहे हैं उससे खतरा होगा। और यदि आप कानून को पारित नहीं करते हैं तो जनवाणी संसद को दोष देगी।

**श्री नारायण चौबे** : आप बच्चे की तरह हैं; आप बच्चे की तरह बात कर रहे हैं··· **(व्यवधान)**

**श्री पी० चिदम्बरम्** : मैं समझता हूं कि हमें यह कानून तुरन्त पारित करना चाहिए। श्री स्वैल ने इस कानून के बारे में कहा कि लोगों ने इसे कहा है। **(व्यवधान)** दूसरी तरफ बैठे हुए मेरे दोस्तों ने कहा कि यह कानून राजनैतिक गतिविधियों को समाप्त करेगा। मैं चकित हूं। कृपया खंड 3 पढ़िए। क्या भारतीय दण्ड संहिता या दण्ड प्रक्रिया संहिता में विधेयक के खण्ड 3 के अनुरूप कोई धारा है ? विधेयक का खण्ड 3 कहता है :

> "जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक उत्पन्न करने या जनता के किसी वर्ग को प्रथक करने या जनता के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आशय से बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या···" इत्यादि,

इस तरह की गतिविधियों को निपटने के लिए इसे एक विशेष कानून की आवश्यकता है। और इसे संभवतः मृत्यु होने या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या सम्पति को नष्ट करने वाले विशेष परिणाम की आवश्यकता है। मैं सच्चाई से आशा करता हूं कि जब आप वह महसूस करते हैं कि यह अधिनियम आपके विरुद्ध निर्देश देगा क्या तक आप नहीं मान रहे हैं कि आप सरकार को लट देने की इच्छा करेंगे; मैं आशा करता हूं आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आप बम्ब, डायनालाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों द्वारा आप ऐसी गतिविधियां करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु करेंगे या सम्पत्ति की क्षति करेंगे।

इस विधेयक में दो नए अपराध शामिल किये गए हैं। मैं समझता हूं कि हमें 1963 में वापस जाना चाहिए। 1963 में इस संसद ने संविधान का 16वां संशोधन पारित किया था। इसने अनुच्छेद 19(2), (3), (4) में संशोधन किया था और देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता को शामिल किया था। देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता की रक्षा करना इस कानून का उद्देश्य है। यदि 1963 में यह संसद संविधान के 16वें संशोधन को एक मत से पारित कर सकती है तो मैं समझता हूं इस संसद को भी यह कानून एक मत से पारित कर देना चाहिए। दल-बदल विरोधी अधिनियम को एक मत से पारित करके हमने यह सत्र शुरू किया है। वह देश में राजनैतिक प्रणाली की अखण्डता को बनाने के लिए था। मैं समझता हूं कि हमें इस कानून को एक मत से पारित करने के द्वारा यह सत्र समाप्त करना चाहिए जो इस राष्ट्र की अखण्डता को बचाएगा। यह जनमत को पता चलना चाहिए कि संसद सतर्क है, आतंकबाद से अभिज्ञ है और यह कि इसकी जगह कही नहीं है। आतंकवाद का काम केवल डर फैलाना है। यदि मैं शेक्सपियर के वाक्यांश लूं तो आतंकवाद उद्देश्यरहित द्वेष है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम आतंकवाद का सामना करना चाहते हैं तो हमें आज अभी और इसी 'क्षण इसका सामना करना चाहिए। खण्ड 18 के बारे में आलोचना हुई है। कृपया अनुच्छेद 258(2) पर नजर डालिए। संसद द्वारा इस कानून को बनाया गया है। यह कानून सातवीं अनुसूची, समवर्ती सूची के मद 1 के अन्तर्गत आता है। संसद केन्द्रीय सरकार को शक्ति देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन संसद ने राज्य सरकार को शक्ति देने को चुना है। मैं प्रो० दण्डवते जी के साथ सहमत हूं कि खण्ड 18 जटिल है लेकिन मैं उनके साथ पूरी तरह से असहमत हूं कि यह दुःखदायी है। मैं समझता हूं कि इस खण्ड में सावधानीपूर्वक ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जिससे यह अर्थ निकले कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसके अन्तर्गत साथ-साथ कार्य कर सकेंगी। यदि राज्य सरकार निर्विदिष्ट न्यायालय के नियुक्त करने से इन्कार करती है तो केन्द्रीय सरकार को बीच में आना चाहिए। वस्तुतः खण्ड 18 हर प्रकार के कानूनी तर्क वितर्क ही पैदा करेगा। मुझे विश्वास है कि विधि मंत्री जी इसको ध्यान में रखेंगे और राज्य सरकार के अड़ियल होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के पास शक्ति होगी। जैसे ही हम यहां से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, हमें वापस जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमने केवल देश की राजनैतिक व्यवस्था की ही रक्षा नहीं की है बल्कि देश की राज व्यवस्था की भी रक्षा की है और हम देश की अखण्डता की रक्षा करेंगे तथा हम देश की प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे विघटनकारी आवाज को बन्द कर देंगे। हम प्रत्येक आतंकवादी का सामना करेंगे। हम आने वाले हर समय के लिए देश की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे।

**श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर,

जिसका मैं दिल से स्वागत करती हूं, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। इससे पहले कि संसद के माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहती हूं कि मैं यहां लोगों को आतंकित करने नहीं आई हूं बल्कि आतंकवाद पर बात करना चाहती हूं। कुछ लोगों को कहते हुए मैंने यह सुना था।

महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि विरोधी दल के कुछ हमारे माननीय सदस्य सिर्फ अल्प विराम चिह्न पूर्ण विराम चिह्न लगाने जैसे कमजोर कारण देकर संशोधन लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके द्वारा वे केवल शब्दों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा है कि केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकारें पूरी तरह से कानून और व्यवस्था या इसकी भलाई के देखने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं सच्चाई और स्पष्ट शब्दों में कह सकती हूं कि हमारी सरकार की केन्द्र की सहमति के बिना मैं नहीं समझती कि कोई राज्य कार्य कर सकता है या कानून और व्यवस्था को उचित रूप से बनाये रख सकता है क्योंकि ये बातें उनके नियंत्रण से निश्चयपूर्वक बाहर जाएंगी और जब तक राज्य नहीं कहेगा केन्द्र हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक वे उन्हें नियत्रंण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्थिति क्या नियन्त्रण बाहर से जाने से रोकने के लिए केन्द्र की हस्तक्षेप करना ही है। मैं कुछ माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि फिल्में हिंसा और आतंकवाद तथा अपराध से बहुत प्रभावित हैं और वे कहते हैं कि वे इसे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह वास्तविक रूप से हो रहा है। हम इस तरह का आतंकवाद अपराध और हिंसा देखते हैं तथा हमारे पूरे देश में अपने भयानक रूप को फैला रहा है। अतः फिल्म उद्योग, फिल्म के लोग कहते हैं कि वे केवल वह दिखा रहे हैं जो वास्तविक रूप से हो रहा है। इसलिए जो वास्तविक रूप से हो रहा है उसे समाप्त करना है। आतंकवादियों और विघटनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जहां तक हिंसा और अपराध तथा अन्य भद्दी चीजों का संबंध है, यह विधेयक फिल्मों और विडियो में भी कई परिवर्तन लाएगा।

[हिन्दी]

**श्री नारायण चौबे** : फिल्मों में लगाओ इसको।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**श्रीमती वैयजन्ती माला बाली** : हम इसे अवश्य करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री नारायण चौबे** : फिल्म में मारपीट बन्द हो···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**श्रीमती वैयजन्ती माला बाली** : महोदय, यह सच है कि हमारे युवा फिल्मों में आतंक और भय से बहुत प्रभावित हैं। यह एक बुरी बात है।

(**व्यवधान**)

मैं विघ्न नहीं चाहती। मैं अन्य माननीय सदस्यों के विपरीत, जो आध घंटा बोलते हैं, केवल कुछ देर बोलना चाहती हूं।

मैं केरल इतना कहना चाहती हूं कि हमारे देश के युवक फिल्मों में हिंसा और आतंक देखकर गुमराह हो रहे हैं। और ये सब क्यों होता है ? यह इसलिए होता है क्योंकि वास्तविक जीवन में आतंकवाद और अराजकता बहुत ज्यादा है मुझे आशा है कि इस विधेयक की सहायता से हम अच्छा वातावरण बना सकेंगे तथा कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति कायम कर सकेंगे। यह अधिनियम इस देश की इस बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए इसके साथ कड़ाई और दृढ़ता से निपटेगा। इसलिए यह विधेयक बहुत जरूरी है।

मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि इस विधेयक में जहां आतंकवाद का मुकाबला करने और उसे पराजित करने के लिए व्यवस्था है, वहीं यह फिल्मों में दिखाई जा रही हिंसा, अपराध तथा आतंकवाद को दबाने के लिए फिल्मों पर उच्च-अधिकार प्राप्त सेंसरशिप के जरिए लागू होगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि आतंकवाद का जाल हमारे लोगों में आतंक फैला रहा है। हमारे लोग अपने ही देश में भय और आतंक से क्यों जिएं ? क्या हम अपने ही देश में बंदी हैं ? मैं यह कहना चाहती हूं कि क्रूर आतंकवादी प्रवृति देश में धीरे-धीरे और निश्चित रूप से फैल रही है और यह सब सुनियोजित ढंग से हो रहा है इसको कड़ाई और सख्ती से दबाना होगा। जब सरकार लोगों का ध्यान नहीं करती और उनकी चिन्ता नहीं करती है तो और कौन करेगा ? जब तक केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा आतंकवाद और अपराधों को कुचलने के लिए कड़े और सख्त उपाय उठाया जाना सुनिश्चित नहीं करती है तब तक हमारे जैसे शान्तिप्रिय देश में शान्ति और स्थिरता कैसे स्थापित हो सकती है ? मेरे विचार में यह विधेयक बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था। अब समय है कि सरकार निर्दोष लोगों की जान का हर्जाना भरे और इस आतंक को आगे फैलने से रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाये। यह विधेयक लाकर सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि आतंकवाद के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि हमारे जैसे शान्तिप्रिय देश में आतंकवाद सहन नहीं किया जा सकता। इस विधेयक से उनके शब्द सच सिद्ध होंगे।

**श्री पीयूष तिरकी** (अलीपुरद्वार) : **महोदय, इस देश में या विश्व में कोई भी आतंकवादियों का अथवा आतंकवाद अथवा विध्वंस अथवा विध्वंसकारी तत्वों का समर्थन नहीं करता है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि यह विधेयक इस समय सभा में लाया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार विध्वंसकारी तत्वों से निपटने में असमर्थ है।**

**4.56 म० प०**

**[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]**

सरकार के पास बहुत शक्तियां हैं और सरकार सरलता से इन तत्वों पर काबू पा सकती है। मुझे आशंका है कि सरकार स्वयं आम लोगों को डरा कर आतंकवादी बन रही है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि श्रीमती गांधी की हत्या के लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेबार थे। अतः इस समय सरकार को प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि स्वयं सरकार का प्रशासन ठीक नहीं है। सरकार ने स्वयं कई बार कई अपराध होने की बात स्वीकार की है और सरकार यह भी जानती है कि कुछ सरकारी अधिकारी आतंकवादियों से मिले हुए हैं। यह मंत्री महोदय के ध्यान में भी है। अतः सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए और तत्काल प्रशासनिक सुधार करने चाहिए। अन्यथा अधिकाधिक कानून बनाने का कोई लाभ नहीं है। आप संसद में प्रतिदिन कानून बनाइये, इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। परन्तु इस समय आवश्यकता इस बात

की है कि सरकार प्रशासनिक सुधार करे। आतंकवाद से निपटने के लिए देश में पर्याप्त कानून हैं। अतः इस कानून की, जो प्रशासन के लिए एक बोझ होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में यदि सरकार आतंकवादियों और आतंकवाद अथवा विध्वंस से निपटने में समर्थ नहीं हैं तो इस कानून से कोई सहायता नहीं मिलेगी। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री राम प्रकाश** (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ऐसे नाजुक समय में यह बिल इस सदन में लाया और यह बिल युनैनिमसली पास होगा और पास होने के बाद जब इसकी इम्पलीमेंटेशन की बात आयेगी तो लाजिमी तौर पर इसका दखल पुलिस में होगा पुलिस की बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पिछले तीन-चार सालों में पंजाब के अंदर जितने कत्ल हुए, कितने डाके वहां पर पड़े, कितने बैंक वहां पर लूटे गये और कितना क्या कुछ वहां पर नहीं हुआ लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब की पुलिस इस कदर नाअहल साबित हुई कि जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान के किसी दूसरे स्टेट की पुलिस में नहीं मिलती। हरियाणा की बात मैं बाद में करूंगा।

चेयरमैन साहब, जितने भी उग्रवादियों के द्वारा, डकैतों के द्वारा कत्ल होते हैं, जो डाके पड़ते हैं, उन सबकी इन्फार्मेशन पुलिस को होती है। पुलिस की इत्तिला के बगैर किसी जगह पर डाके नहीं पड़ सकते, किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं किया जाता, और किसी लीडर को कत्ल नहीं कर सकते। पुलिस सबकी सब इन्फोर्मेशन उनको देती है। मैं देहात का रहने वाला हूं और हमारे देहात में एक कहावत है कि जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाए—यानी बाड़ का मतलब हमारे खेतों के चारों ओर, फील्ड के चारों तरफ जो तार होता है, वह खेत की हिफाजत के वास्ते लगाया

5.00 म० प०

जाता है। उसका मतलब है कि पुलिस ही अगर बेगुनाह को कत्ल करवाती है तो इस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल होगा ? मैं होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अगर सही मायनों में इस ऐक्ट को, जो आप बनाने जा रहे हैं, इम्पलीमैंट कराना चाहते हैं तो पंजाब में जो पुलिस है, उसे आप तबदील कर दें और वहां पर हरियाणा, असम या यू० पी० की पुलिस को भेज दें। अगर एक हफ्ते में आप पंजाब में अमनो-अमान करवाना चाहते हैं तो उसे श्री भजन लाल जी के सुपुर्द कर दीजिये। वह उसे एक हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। जितने भी आतंकवादी और उग्रवादी हैं, वह सब भजन लाल जी से डरते हैं। अगर पंजाब से उग्रवादी दिल्ली कत्ल के लिये चलता है तो बीच में भजन लाल जी हरियाणा में पड़ते हैं और वह हरियाणा को पार नहीं कर सकता।

इन आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वह अमेरिका में जाकर हमारे देश के प्रधान मंत्री व मुख्य मंत्री को खत्म करने की साजिश बनाते हैं। हमारी गवर्नमैंट, हमारे लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कहां गए ? मैं नहीं समझता कि इसके मुताल्लिक हमारी गवंनमेंट को पता न हो। आज हमारी गवर्नमेंट उनके आदमियों से सलाह की बात करती है, हम उनसे क्या सलाह करेंगे ? अभी परसों, चौथ पटियाला में उग्रवादियों की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत उग्रवादी नेता भिंडरांवाले के पिता जोगिन्दर सिंह ने की। उनकी भी वही बोली है जो भिंडरांवाले की थी।

आपने संत लोंगोवाल को रिहा किया और दूसरे अकाली नेताओं को रिहा किया, वह लोग जेल से बाहर निकले कि पंजाब में कत्ल शुरू हो गये। लोग डर गये, लोग कहां जायें ? यह ठीक है कि यह बिल पास हो जायेगा, लेकिन इसके सही इम्पलीमैंटशन की जरूरत है।

थोड़ी-सी बात पुलिस के मुतालिक और कहना चाहता हूं। अगर सरकार उसको तबदील नहीं कर सके तो उन पर चैक रखने के लिए एक कमेटी बनाये जो कि उनकी हिस्ट्री-शीट और सी० आर० में ठीक ढंग से एन्ट्री करे। जो ठीक ढंग से काम नहीं करे, उसको फौरन हटाया जाये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

हमारे सारे मेम्बर पार्लियामैंट यहां बैठे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि किसी भी खतरनाक आदमी से, उग्रवादी से घबड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं उनके खिलाफ बोलता हूं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। देश में मेम्बर पार्लियामैंट अगर अपनी जिम्मेदारी को निभायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जल्दी अमन कायम होगा और कोई उग्रवादी गलत काम करने का हौसला नहीं करेगा।

**श्री सी० जंगा रेड्डी** (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, देश में कई राज्य हैं। पंजाब में आतंकवादियों और उग्रवादियों ने अलग-अलग किस्म की टैरेरिस्ट एक्टीविटीज को जन्म दिया। अमृतसर से लेकर देश के कई भागों में इस तरह की घटनाएं हुईं, कुछ दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई और हाल में दिल्ली में बम-विस्फोट की जो घटनाएं हुई हैं, उससे केन्द्रीय सरकार एकदम डरकर नया कानून ला रही है।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में भी उग्रवादी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। मान सिंह और फूलन देवी के नाम से बच्चे अभी भी डरते हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश आदि में अलग-अलग किस्म के उग्रवादी लोग अपनी जगह जमाकर जनता को डरा रहे हैं।

फूलन देवी, मान सिंह को देखकर डरते हैं, चोरों का स्वागत करने वाले हैं, उनसे डरने वाले हैं, वह खुद क्या करेंगे। (व्यवधान)

आप पंजाब के टैरिस्ट को लेकर इस कानून को बना रहे हैं, आप जानते होंगे कि आंध्र में भी टैरिस्ट हैं, आन्ध्र प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर यह उग्रवादी डरा-धमका रहे हैं। जिस वक्त चुनाव होता है तो यह उग्रवादी लोग खड़े होते हैं तो जनता उनका विरोध करती है, जनता उनके खिलाफ वोट देकर उनको हराती है। वह लोगों में डर पैदा कर अपना राज्य और अपना स्थान जमाते हैं। हमारे यहां पुलिस है, सी० आर० पी० है, राज्य की पुलिस है, इतना होने के बाद भी हमारे पास कई कानून हैं, मीसा है, नासा है, इण्डियन पैनल कोड है, कई वकील हैं, इतना सब होने के बाद भी लोग उग्रवादियों और नक्सलवादियों से डरते हैं। इसका कारण यह है कि अपनी पुलिस में दम नहीं है, अपनी सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, वह केवल कानून लोगों को बताने के लिए बनाती है, लेकिन उसको लागू करने से हिचकिचाती है।

आप आन्ध्र प्रदेश में जाकर देखिए। वहां एक पुलिस को किसी ने मारा, इसलिए प्रेस को पुलिस वालों ने जला दिया। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि जिसको कानून लागू करने के लिए हम देते हैं, वह खुद डरते हैं, वह खुद इन उग्रवादियों और नक्सलवादियों से डरते हैं। ऐसा कानून बनाने से क्या लाभ होगा ? इसलिए मुझे कभी ऐसा लगता है कि जब किसी आदमी

को 1-2-3 इन्जेक्शन देते हैं तो इन्जक्शन काम करता है, लेकिन छठा इन्जेक्शन काम नहीं करता, इसका कारण उसके शरीर में उस इंजेक्शन के प्रति इम्यूनिटी बढ़ जाती है तब वह इंजेक्शन काम नहीं करता। उसी प्रकार समाज में कई कानून बनाते हैं तो कानून की भी उसी प्रकार इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन वह काम नहीं कर रही है।

अगर कोई नपुन्सक चार शादी करने के बाद भी पांचवीं शादी करे तो किस काम की। उसी प्रकार सरकार को कई अधिकार दे दो, लेकिन उसको लागू करने में समर्थ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार अगर सरकार समर्थ नहीं है, पुलिस समर्थ नहीं है, तो कानून बनाने का कोई मकसद नहीं जिससे पार्लियामेंट की भी इज्जत जाती है, इसलिए आप अच्छी नीयत से काम करो, डटकर अगर पुलिस उग्रवादियों का मुकाबला नहीं करेगी तब तक कोई कानून बनाने से लाभ नहीं होगा।

**श्री बनवारी लाल पुरोहित** (नागपुर) : सभापति महोदय, मैं बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। करीब 5-7 दिन पहले इसी सदन में पंजाब की समस्या को लेकर जिस दिन बम के धमाके दिल्ली और अन्य कई जगहों पर हुए थे और सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गये थे, चर्चा हुई थी। उस समय इसी सदन में विरोधी पक्ष के नेताओं के हमने भाषण सुने। आज भी सुबह से लेकर अब तक उनके भाषण सुन रहे हैं। उनको सुनने के बाद ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस दिन की भाषा में और आज की भाषा में जमीन आसमान का अन्तर है। विरोधी पक्ष के लोग गलती खा गये, हमें ऐसा प्रतीत होता है। उस दिन वह लोग ताजा-ताजा अखबार पढ़कर आये थे, उनको ऐसा लग रहा था कि केन्द्र सरकार को हमारा पूरा समर्थन है। माननीय प्रधान मंत्री जी कुछ तो करिए, कड़ा कदम उठाइए, हमारा पूरा समर्थन आपको है, यह भाषण सभी विरोधी पक्ष के नेताओं का था लेकिन आज ऐसी कौन-सी चीज हो गई, आज जब बिल लाया गया इसी आतंकवाद को कुचलने के लिए तो वही विरोधी पक्ष के नेता किन्तु, परन्तु पर आ गए ? यह किन्तु परन्तु क्यों आज आ गया, क्यों डर लगता है आपको ? राजनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए इस बिल का कहीं दुरुपयोग न हो, ऐसी मन में शंका है ? ऐसी शंका आपके मन में आने का कोई कारण नहीं है। जो भी आतंकवादी इस देश के कोने में होंगे, उन आतंकवादियों के खिलाफ इस बिल का उपयोग हो, यही इस बिल को उद्देश्य है। इसके अलावा और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। सी० पी० एम० के लोगों के मन में शंका होती होगी कि पूजा के अवसर पर चाकू दिखा कर वह जो चन्दा वसूल करते हैं वह अब नहीं कर पाएंगे। इससे भी वह डरते होंगे। (**व्यवधान**) हमको पता है, कलकत्ते के लोग आकर हमको बताते हैं। आज पंजाब के अन्दर परिस्थिति क्या है ? उसको देखिए। इसके अलावा आपके मन में शंका होने का कोई कारण नहीं है। किसी तरह का डर आपको नहीं होना चाहिए। बिलकुल एक मत से इस बिल को पास करना चाहिए। कितना अच्छा यह बिल आ रहा है टेररिज्म को दबाने के लिए ? सब जगह गड़बड़ियां हो सकती हैं। केवल पंजाब का ही सवाल नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में भी विदर्भ के चन्द्रपुर क्षेत्र में नक्सलवादियों ने जिस तरह से ताण्डव नृत्य किया है वह भी ध्यान में रखिए। उन लोगों को भी इस बिल के माध्यम से दबाना पड़ेगा। अध्यापकों को वार्निंग देकर वहां उन लोगों ने उनके हाथ काटे हैं। इस तरह के जो भी आतंकवादी कहीं भी इसके किसी कोने में भी होंगे उनको इसके माध्यम से दबाना चाहिए। उसके लिए इस बिल को हमें एकमत से पास करना चाहिए और इसको कड़ाई के साथ में सरकार को इम्पलीमेंट करना चाहिए, यह हमारा सरकार से अनुरोध है। इसके साथ-साथ सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सीमाओं पर कड़ाई से पहरा लगना चाहिए ताकि इस तरह के आतंकवादी

वहां से ट्रेनिंग लेकर हमारी सीमाओं के अंदर न आ पाएं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।

दूसरी चीज—मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं जो हमारे विरोध पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा और हमारे इधर के भी सदस्यों ने कहा कि इसके अन्दर जम्मू और काश्मीर को अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कांस्टीच्यूशनल कोई अड़चन हो तो यह हमारा सदन सार्वभौम सदन है, इसको पूरी सत्ता है, उसको दूर किया जाना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि जम्मू और काश्मीर में भी जो आतंकवादी हैं उनकी कार्यवाहियों पर भी कड़ाई से बन्धन लगाना चाहिए। जम्मू और काश्मीर भी इसके अंदर इन्क्लूड होना चाहिए।

दो साल के समय के सम्बन्ध में एक सदस्य ने कहा कि इसको एक साल करिए। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे यहां इन लोगों की जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से हिंसाचार पिछले दो वर्षों से किया है, मैं यह कहता हूं माननीय लॉ मिनिस्टर से कि आने वाले दो वर्ष के लिए तो आप कर रहे हैं, परन्तु रेट्रोस्पेक्टिव एफैक्ट देकर पिछले दो सालों में लोगों ने खून किए हैं उनको भी इसके माध्यम से सजा मिलनी चाहिए, इस तरह का प्रावधान आपको करना चाहिए।···(**व्यवधान**)···यह हंसने की बात नहीं है। दो साल पहले यह बिल आ जाता तो हमारी राष्ट्र-माता इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती और हजारों निरपराध लोगों का इस देश में कत्ले-आम नहीं होता। जो लोग इस प्रकार इस देश में घूमते हैं, अन्डर ग्राउन्ड होते हैं उनको पकड़ने के लिए दो साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट देकर जिन लोगों ने दो साल में क्राइम किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मैं अपने लॉ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय।

**श्री ए० के० सेन** : सभापति महोदय, क्या मैं सरकार की ओर से आभार प्रकट कर सकता हूं···

[हिन्दी]

**श्री पी० नामग्याल** : यह क्या बात है ? मुझे टाइम मिलना चाहिए। मेरा नाम सबसे आखिर में रखा जाता है और फिर डिलीट कर दिया जाता है।

شری پی رام گیال : یہ کیا بات ہے ۔ مجھے ٹائم ملنا چاہیئے ۔ میرا نام سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے اور پھر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے !!

[अनुवाद]

**श्री ए० के० सेन** : उन्हें कुछ मिनट बोलने दीजिए। वह आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र से आए हैं।

**सभापति महोदय** : ठीक है, श्री नामग्याल जी आप दो मिनट के लिए बोलेंगे।

**श्री पी० नामग्याल** (लदाख) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे थोड़ा-सा टाइम बोलने के लिए दिया। मैं इस बिल की सपोर्ट में चन्द बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह जो बिल है इसके एप्लीकेशन से जम्मू-कश्मीर को बाहर रखा गया

है। हो सकता है कि यह आर्टिकल (370) की वजह से हो या यह भी हो सकता है कि क्लाज (18) में सेन्टर के जरिए डायरेक्टली इन्टरवीन करने की गुंजाइश रखी गई हो, लेकिन जो भी हो, मैं यह चाहता हूं कि इस बिल को जम्मू कश्मीर पर भी लागू होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आर्टिकल (370) बहुत अच्छी दफा है जिससे जम्मू कश्मीर स्टेट को बहुत फायदा होता है, मुझे पता नहीं कि फायदा होता है या नहीं होता है क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि जम्मू और लद्दाख के लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। यह मेरी अपनी जाती राय है। अगर इस वक्त इस बिल को वहां पर लागू करना मुमकिन नहीं हो तो फौरी तौर पर वहां की स्टेट गवर्नमेंट को बतलाना चाहिए कि वह इस तरह का एक आर्डिनेन्स के जरिए से इसके प्राविजन्स को वहां पर लागू किया जाए। वरना नतीजा यह होगा कि जम्मू-कश्मीर का छोड़ देश के बाकी हिस्सों में इस ऐक्ट के लागू होने के बाद जो भी टेरोरिस्ट्स हैं वे सारे जम्मू-कश्मीर में जाकर अपना अड्डा बना लेंगे जैसा कि पास्ट में होता रहा है।

आपको याद होगा कि जून, 1984 में जब दरबार साहिब में आपरेशन ब्लू-स्टार लागू हुआ तो उस वक्त बहुत सारे टेरोरिस्ट्स भागकर जम्मू-कश्मीर चले गए थे। मेरे दोस्त सोज साहब बोलकर यहां से चले गए हैं वे बहुत केयरफुली आर्टिकल (370) के बारे में या इस बिल को जम्मू कश्मीर में लागू करने के बारे में कुछ नहीं बोले। उस समय तो यह हुआ कि जो टेरोरिस्ट्स थे उन्होंने जम्मू-कश्मीर में ट्रेनिंग ली, उनको वहां पर पनाह मिली, लिहाजा मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर के रास्ते पंजाब में टेरोरिस्ट्स के लिए हथियार आ रहे हैं। उस वक्त पुंछ में डी० सी० ने, जब वहां फारुक अब्दुल्ला की सरकार थी, ढाई हजार आर्म्स लाइसेन्स लोगों को दिए गए जोकि सारे के सारे उग्रवादियों, आतंकवादियों के हाथ में पहुंच गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ऐक्ट को जम्मू-कश्मीर में भी लागू करवाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि क्लाज (18) के बारे में बहुत सारे साथियों ने भी कहा और मैं भी ऐसा समझता हूं कि वह बहुत जरूरी है। जम्मू-कश्मीर में जो पिछली सरकार थी (मैं इस वक्त की सरकार की बात नहीं करता) उसने सेन्टर के कानूनों को नहीं माना, इसलिए मैं समझता हूं क्लाज (18) का होना बहुत जरूरी है ताकि जहां पर रीजनल पार्टियां हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेन्स फारुख ग्रुप है और दूसरी जगह दूसरी पार्टियां भी हैं, वे अगर ठीक तरह से इंप्लीमेंटेशन करें तो सेन्टर के थ्रू ऐक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। और दूसरे इस बिल की दफा (4) में टेपरिकार्डिंग वगैरह के बहुत सारे प्राविजंस रखे गए हैं, मैं समझता हूं उसमें हाई-जैकिंग को भी शामिल करना चाहिए। वैसे तो इसके बारे में कानून है, और बाकी चीजों के लिए भी बहुत कानून पहले से ही बने हुए हैं लेकिन मैं समझता हूं इसमें भी हाई-जैकिंग को शामिल करना चाहिए।

इन चन्द अलफाज के साथ मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं आखिर में लॉ मिनिस्टर साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऐक्ट को जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। एरिया लद्दाख में, जब आपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तब बहुत सारे एक्स्ट्रिमिस्ट, आतंकवादी लद्दाख में पहुंच गए थे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर भी गौर करने की जरूरत है। लद्दाख में फौज की आर्मरी से बहुत सारे आर्म्स एण्ड एंम्यूनिशन्स मिसिंग पाई गई हैं। इन्क्वायरी चल रही है, कुछ पकड़े भी गए हैं। वे लोग बहुत एक्टिव हैं। इसलिए मैं दुबारा गुजारिश करता हूं कि जम्मू-काश्मीर के लिए फौरी तौर पर यह लागू किया जाना चाहिए।

इन चन्द अलफाज के साथ मैं इस विधेयक की ताईद करता हूं।

شری پی رام گیال (لداخ) :- سبھاپتی مہودے میں آپکا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے تھوڑا سا ٹائم بولنے کے لئے دیا۔ میں اس بل کی سپورٹ میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اسکے اپلیکیشن سے جموں کشمیر کو باہر رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آرٹیکل (۳۷۰) کی وجہ سے ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلاز (۱۸) میں سینٹر کے ذریعے ڈائریکٹلی انٹروین کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہو لیکن جو بھی ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بل کو جموں کشمیر پر بھی لاگو ہونا چاہیئے! لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیکل (۳۷۰) بہت اچھی دفعہ ہے جس سے جموں کشمیر اسٹیٹ کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جموں اور لداخ کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ اگر اس وقت اس بل کو وہاں پر لاگو کرنا ممکن نہیں ہو تو فوری طور پر وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو بتلانا چاہیئے کہ وہ اس طرح کا ایک آرڈیننس کے ذریعہ سے اس کے پروویژن کو وہاں پر بھی لاگو کیا جائے۔ ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جموں کشمیر کو چھوڑ دیش کے باقی حصوں میں اس ایکٹ کے لاگو ہونے کے بعد جو بھی ٹیررسٹ ہیں وہ سارے جموں کشمیر میں جا کر اپنا اڈہ بنا لیں گے جیسا کہ پاسٹ میں ہوتا رہا ہے۔

آپکو یاد ہوگا کہ جون ۱۹۸۴ء میں جب دربار صاحب میں آپریشن بلیو اسٹار ہوا تو اس وقت بہت سارے ٹیررسٹ بھاگ کر جموں کشمیر چلے گئے تھے۔ میرے دوست سوز صاحب بول کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ وہ بہت (carefully) کیئرفلی (۳۷۰) کے بارے میں یا اس بل کو جموں کشمیر میں لاگو کرنے کے بارے میں کچھ نہیں بولے۔ اس سے یہ ہوا کہ جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے جموں کشمیر میں ٹریننگ لی۔ ان کو وہاں پر پناہ ملی، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہئیں۔ پاکستان سے جموں کشمیر کے راستے پنجاب میں ٹیررسٹ کے لئے ہتھیار آ رہے ہیں۔ اس وقت کے یونین میں ڈی سی نے جب وہاں پر فاروق عبداللہ کی انکی سرکار تھی، ڈھائی ہزار آرمس لائسنس لوگوں کو دیئے گئے جو کہ سارے کے سارے اگر آتنک وادیوں کے ہاتھ میں پہنچ گئے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس ایکٹ کو جموں کشمیر میں بھی لاگو کرنا چاہیئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کلاز (۱۸) کے بارے میں بہت سارے ساتھیوں نے بھی کہا اور میں بھی ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے! جموں کشمیر میں جو پچھلی سرکار تھی (میں اس وقت کی سرکار کی بات نہیں کرتا) اس نے سینٹر کے قانونوں کو نہیں مانا۔ اسلئے میں سمجھتا ہوں دفعہ (۱۸) کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جہاں پر ریجنل پارٹیاں ہیں، جیسے جموں کشمیر

میں نیشنل کانفرنس فاروق گروپ ہے، اور دوسری جگہ دوسری پارٹیاں بھی ہیں۔ وہ اگر ٹھیک طرح سے اِمپلی مینٹیشن نہ کریں تو سینٹر کے تھرو ایکٹس کو اِمپلی مینٹ کیا جا سکے۔

اِس بل کی دفعہ (۴) میں ٹیپ ریکارڈنگ وغیرہ اور دوسرے بہت سارے پرووِیژنس رکھے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اِسمیں ہائی جیکنگ کو بھی شامل کرنا چاہیئے۔ ویسے تو اِس کے بارے میں قانون ہے، اور باقی چیزوں کے لئے بھی بہت قانون پہلے سے ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اِس میں بھی ہائی جیکنگ کو شامل کرنا چاہیئے۔

اِن چند الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں آخر میں لاء منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرونگا کہ اِس ایکٹ کو جموں کشمیر میں بھی لاگو ہونا چاہیئے۔ جب آپریشن بلیو اسٹار ہوا تھا تب بہت سارے ایکسٹریمسٹ آتنک وادی لداخ میں پہنچ گئے تھے۔ میری آپ سے گذارش ہے کہ اِن باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لداخ میں فوج کی آرمی سے بہت سارے آرمس اینڈ ایمونیشنس مِسنگ پائی گئی ہے۔ اِنکوائری چل رہی ہے، کچھ پکڑے بھی گئے ہیں۔ وہ لوگ بہت ایکٹو ہیں۔ اِس لئے میں دوبارہ گذارش کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لئے فوری طور پر یہ لاگو کیا جانا چاہیئے!

اِن چند الفاظ کے ساتھ میں اِس ودھییک کی تائید کرتا ہوں۔

[हिन्दी]

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : सभापति महोदय, पंजाब में जो समस्याएं हैं, उनसे कम हमारे क्षेत्र में नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप दो मिनट का समय मुझको बोलने के लिए दें।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : नहीं। आपको नहीं बुलाया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

**श्री काली प्रसाद पांडे** : सभापति महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर है। लॉ मिनिस्टर को आदेश दिया गया कि लॉ मिनिस्टर जवाब दें। आसन का आदेश लॉ मिनिस्टर का हो चुका था, तो किस परिस्थिति में इन माननीय सदस्य को बोलने के लिए समय दिया गया। लॉ मिनिस्टर को अधिकार नहीं था समय देने का, जबकि आसन का आदेश हो चुका था कि लॉ मिनिस्टर जवाब दें। तो इन माननीय सदस्य को किस रूप में समय दिया गया। ये माननीय सदस्य बिहार की समस्याओं को···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री काली प्रसाद पांडे** : सभापति महोदय, इंडिपेंडेंट सदस्य के चार बार समय मांगने पर भी समय नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : निर्दलीय सदस्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है। जब आपका नाम पुकारा गया। आप यहां नहीं थे।

[हिन्दी]

**श्री काली प्रसाद पांडे** : इंडिपेंडेंट सदस्य का जीत कर आना इस हाउस में गुनाह है। इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

**5.22 म० प०**

**[माननीय सदस्य श्री काली प्रसाद पांडे सदन से बाहर चले गए]**

[अनुवाद]

**विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन)** : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक को सभा के सभी पक्षों से जो समर्थन मिला है उसके लिए मैं सरकार की ओर से तथा विशेष रूप से अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं।

विस्तृत विवरण के अतिरिक्त, जिसमें मतभेद होना स्वाभाविक था, इस विधेयक की मुख्य बातों पर सभा के सभी पक्ष सहमत थे।

**(व्यवधान)**

यह मेरा दृष्टिकोण है। यदि शब्द कुछ सम्प्रेषित करते हैं तो वह यही था जो सूचित किया गया है। मैं अब उन मामलों पर अपने विचार प्रकट करूंगा जिनके संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से विपक्षी सदस्यों ने, अपने विचार प्रकट किए हैं।

सबसे पहला मुद्दा इस अधिनियम को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू करने के संबंध में उठाया था। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। पुराने सदस्य जानते हैं कि हमने लम्बे समय तक अनुच्छेद 370 पर वाद-विवाद किया है। यह विषय पूर्णतया कश्मीर विधान सभा के कार्य क्षेत्र में आता है। अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत हम इस अधिनियम के उपबन्ध को राष्ट्रपति द्वारा कश्मीर सरकार की सहमति लेने के बाद ही लागू कर सकते हैं। इसके बाद ही इसे सम्मलित किया जाता है और यह अधिनियम के पास होने के बाद होता है।

दूसरा मुद्दा इस विधेयक को इसके आरम्भ होने से केवल 2 वर्षों तक के लिए सीमित रखने के संबंध में है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। यह सभा और सरकार तब तक असाधारण शक्तियां हाथ में लेकर इस देश पर शासन नहीं करना चाहती जब तक नितान्त आवश्यक न हो और जब तक एक निश्चित अवधि-विशेष से ज्यादा जरूरी न हो। सामान्यतः असाधारण शक्तियां एक सीमित आपात्काल और एक सीमित संकट का सामना करने के लिए प्रदान की जाती हैं। और वह तो प्रजातन्त्र ही नहीं है जो शासन करने के लिए स्थायी रूप से असाधारण शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। हम इस संबंध में अपने पड़ोसियों की नकल नहीं करना चाहते हैं। इसके

त्रि परीत शेष विश्व को हमारी नकल करनी चाहिए कि इस देश ने प्रजातान्त्रिक संविधान की सहायता से राष्ट्रीय महत्व के विषय पर यहां उपस्थित सभी सदस्यों की आम सहमति की सहायता से एक के बाद एक संकट का सामना किया है। यह गर्व की बात है कि जब कभी गंभीर स्थिति का, राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ा है और सारे राष्ट्र के लिए एकमत होना जरूरी था, उस समय यह सभा भी एकमत होने में पीछे नहीं रही है। इसी कारण सम्पूर्ण देश हमारी संसद के प्रति, जो 1950 से अब तक कार्य कर रही है, आभारी है। बहुत से संकट दूर किए गए हैं। हमारी बहुत घरेलू विषयों पर अलग-अलग राय रही है परन्तु बिदेश नीति, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीत एकता और स्वतन्त्रता तथा एकता जैसे विषयों पर हमारे कभी मतभेद नहीं रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतभेद कभी होंगे भी नहीं क्योंकि हम एक साझे काम के प्रति समर्पित हैं। इस साझे उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग अलग हो सकते हैं परन्तु लक्ष्य हम सबका एक ही है। वह है एक ऐसी अर्थव्यवस्था, समाज और देश का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मुस्कराएगा, हर आंसू पोंछा जाएगा और समाजवादी समतावादी नीति अन्ततः प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि का आधार बनेगी। यह हमारे नीति निदेशक तत्वों का परमादेश है और हम इसको तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक सभी विखण्डनकारी शक्तियां, सभी पृथकतावादी शक्तियां, सभी आतंकवादी कार्यवाहियां और हत्यारों की पागलपन से भारी कार्यवाहियां दबा न दी जाएं। उन्हें केवल दबाना ही नहीं है बल्कि उनका पता लगाना होगा और उन्हें समाप्त करना होगा। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि केवल कानून शत्रु से नहीं निपट सकता। इसका दावा भी किसी ने नहीं किया है। आखिर कानून वही तो होगा जिसे अधिकारों और दायित्वों के निर्वहन के लिए जनता और सरकार आवश्यक समझती है। इस कानून का लक्ष्य आम नागरिक के कर्त्तव्यों को लागू करना है और वह यह है कि अपने अधिकार स्थापित करने के लिए उसे हथियार नहीं उठाने चाहिए बल्कि उसे देश के कानून का पालन करना चाहिए। उसे संविधान के और देश की एकता और अखण्डता से सम्बन्धित सर्वोच्च आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और न ही उसे केन्द्र या राज्य की स्वतन्त्र विधायिकाओं द्वारा पारित कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी को भी यहां या किसी भी प्रजातन्त्र में अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। जहां तक आतंकवादियों का संबंध है, हम नहीं जानते कि वे जो कुछ करते हैं उसके अतिरिक्त वे कुछ सोचते भी हैं या नहीं······

**प्रो० मधु दण्डवते** : वे कुछ भी नहीं सोचते।

**श्री ए० के० सेन** : टेनीसन ने कहा है :—

"वर्ड्स, एम्पटी वर्ड्स, आई डू नाट नो ह्वाट दे मीन; वर्ल्ड्स आफ द डैप्थ ऑफन डिवाइन डिसपेयर"

परन्तु फिर भी उसने कहा उनका कोई अर्थ नहीं होता है। इन पागलपने की कार्रवाइयों का भी कोई अर्थ नहीं है, सिवाय इसके कि······

**श्री नारायण चौबे** : उनके बहुत अर्थ हैं······

**श्री ए० के० सेन** : इनका कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि ये पागल कार्य करने वाले नागरिक के रूप में अपने कर्त्तव्यों को भूल जाते हैं। इस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार

प्राप्त हैं। ऐसे लोग कौन हैं जो यह सोचते हैं कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है? नागालैण्ड में या मणिपुर में या त्रिपुरा में या पंजाब के दूर-दराज के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में हथियारों का सहारा लेने वाले कौन हैं? वे कैसे समझ लेते हैं कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? इस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए पंजाब को लीजिए। विभाजन के बाद वहां के लोग बहुत समृद्ध हुए हैं। पंजाब और बंगाल की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। पंजाब ने शेष भारत से अधिक प्रगति की है। आज वहां का जीवन स्तर सबसे ऊंचा है, वहां प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और सिख इतिहास और राजनीति में हमारा अंग रहे हैं।

**श्री नारायण चौबे** : वे अब भी हैं।

**श्री ए० के० सेन** : कृपया जब तक मैं समाप्त न करूं तब तक न बोलिए। सिख इतिहास राजनीतिक और समाज में हमेशा हमारा अंग रहे हैं और वे सदा हमारा अंग रहेंगे। वे हमारा ही रक्त हैं, हमारा ही मांस है। मुझे याद आता है कि मैंने एक बार टैगोर की सिखों पर अविस्मरणीय कविता उद्धृत की थी कि हम बचपन के दिनों में स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में संत गुरू गोविन्द सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप और अन्य वीरों की बहादुरी के कारनामों से कैसे जोश में आ जाते थे और एक कविता, जिसने हमें हमेशा जोश दिलाया वह बन्दा बहादुर की शहीदी के बारे में थी जो गुरदासपुर के किले में फारुक सायार शाह की फौजों द्वारा पकड़े गए थे और बेड़ियों में दिल्ली लाए गए थे और अपने ही पुत्र द्वारा मरवाये गए थे। उनको यह सजा सुनाई गई थी और उन्होंने अपने पुत्र के कान में कहा था 'मेरे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है, वाह गुरू की जय बोल।' और इसके बाद वह मर गए थे। यह भारतीय इतिहास का एक अंग बन गया है। जब सिखों का खून खेमकरण के मैदान में या लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाइयों में सेला दर्रा में तथा अन्य स्थानों पर जवानों के साथ बहा तो क्या वे उस समय अलग दिखते थे? वे सब इकट्ठे लड़े और अपना बलिदान दे इसको सुरक्षित बना गए। और फिर भगत सिंह भी अपने देश के लिए कुर्बान हो गये। वह इस देश के लिए शहीद हो गए। क्या किसी ने पूछा था कि वह सिख था या हिन्दू? हम सब भी गुरुद्वारे जाते हैं। मैं काफी समय पहले अपने घर के निकट बंगला साहब गुरुद्वारे में जाया करता था। मुझे जब कभी अमृतसर जाने का मौका मिला, मैं स्वर्ण मन्दिर अवश्य गया और वहां जाकर पूजा भी की। मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि मैं पंजाब में हिन्दू मन्दिर नहीं गया था। दिल्ली में भी हमने गुरुद्वारे में स्वयं को कभी अजनबी नहीं समझा।

**5.32 म० प०**

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

"ग्रंथ साहिब" में राम और कृष्ण से लेकर भारतीय पौराणिक कथाओं से संबद्ध हर महान व्यक्ति की गाथाओं द्वारा भारतीय सभ्यता की महान सफलताओं का वर्णन भरा पड़ा है। जो व्यक्ति 'ग्रंथ साहिब' के नाम पर कसम खाते हैं, वे ऐसे अपराध नहीं कर सकते हैं; जो अपराध हाल ही में किये गये हैं और मुझे याद है कि एक दिन, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से पूर्व, कुछ घटित घटनाओं के बारे में भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हुकुम सिंह से मेरी लम्बी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि "श्री सेन, क्या आपको पता है कि हम लोगों की परवरिश विश्व प्रेम और बन्धुत्व के महान सिद्धांतों के परिवेश में होती है; और सिख धर्म का यही सिद्धांत है और इसीलिये प्राचीन भारत की सच्ची घटनाओं को गाकर सिख धर्म भारत की जागृति के लिए नवचेतना का

संदेश देता रहा है और आने वाली चुनौतियों, चाहे वे कहीं से भी आयें, का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा है।" ये वीर सिख हमारे ही अंश हैं और हमारे ही अंश रहेंगे। मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं हूं कि यह अधिनियम सिखों के विरुद्ध लाया गया है। यह कदापि सिख विरोधी नहीं है। यह अधिनियम आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया है; चाहे वे आतंकवादी नेफा के हों, या पूर्व में नागालैण्ड के हो; या दक्षिण पूर्व में मिजोरम में हों अथवा उत्तर में काश्मीर के, पश्चिम में पंजाब के क्यों न हों; जहां कहीं भी हमारे मूलभूत आधार पर कुठाराघात करने के लिये आतंकवादी सक्रिय होंगे, वहीं उनका दमन करने के लिये इस अधिनियम का पालन किया जायेगा। इस अधिनियम का यही उद्देश्य है और यही जनता की आवाज है तथा इस सभा के सभी वर्ग के लोगों की यही अभिव्यक्ति है। इसीलिये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस सभा के सभी सदस्य एवं इस पक्ष के तथा उस पक्ष के सभी व्यक्ति एकमत होकर इसका समर्थन करते हैं चाहे किसी एक या दूसरी धारा पर कुछ मतभेद हो सकता है। इसीलिये बिना किसी मतभेद के इस सभा को यह कहना चाहिए कि इस देश की जनता न केवल कानून की मदद से आतंकवादी की जड़ काटने को तत्पर है अपितु उसके कारण को भी समाप्त करने में तत्पर हैं जिनके कारण आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आपको पता ही है कि समय-समय पर प्रधान मंत्री इस बात की घोषणा करते रहे हैं कि वह क्या-क्या उपाय करने को तैयार हैं; तथा इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान निकालने के लिये वह इन सभी मामलों में किस सीमा तक समझौता करने को तैयार हैं। गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि इस प्रस्ताव से पीछे नहीं हटा जायेगा और आतंकवाद के वास्तविक कारणों का पता लगाया जायेगा तथा इस समस्या का हल ढूंढने के प्रयास को कभी नहीं छोड़ा जायेगा।

अब, जरा अधिनियम के तत्संबंधी उपबन्धों पर विचार कर लिया जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी को मान्य हैं। प्रो० मधु दण्डवते ने दो मुद्दे उठाये हैं। पहला केन्द्रीय सरकार द्वारा खण्ड 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करने के मामले से संबंधित है। खण्ड 7(1) में अभिहित अदालतें गठित करने का अधिकार दिया गया है जो राज्य के उच्च न्यायालयों की सहमति से प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सरकार यदि इस शक्ति का उपयोग भी करती है तो वह उसका उपयोग राज्य के उच्च न्यायालयों की सहमति से कर सकती है। राज्य सरकार की अवहेलना करने का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता······(**व्यवधान**)। चूंकि राज्य सरकार कोई कार्य नहीं कर पाई, इसलिये हमें कार्यवाही करनी पड़ी है। मैं यह नहीं कहता कि राज्य सरकारें कोई कार्यवाही नहीं करेंगी, वे कोई कार्यवाही नहीं कर सकीं, इसलिये हमें कार्यवाही करनी पड़ी है। इसलिये, सरकार की ओर से मैं यह संशोधन करने को तैयार हूं अर्थात् यह शब्द जोड़ दिया जाये कि 'राज्य सरकार के परामर्श से इस पर अमल किया जा सकता है।'······(**व्यवधान**)

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्या आप खंड 18(1) का जिक्र कर रहे हैं ?

**श्री ए० के० सेन** : जी हां, खंड 18(1) का।

जैसा कि गृह मंत्री बता चुके हैं इन अधिनियमों का क्षेत्र राज्य-सीमाओं तक सीमित नहीं है, अपितु उनका क्षेत्राधिकार अन्तर्राज्यीय सीमाओं से परे है······(**व्यवधान**)

**प्रो० मधु दण्डवते** : मेरे विचार से, वह बेहतर है। सहमति उत्तम रहेगा किन्तु आप शायद सहमति शब्द को पसन्द नहीं करेंगे······(**व्यवधान**)

**श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर)** : सहमति शब्द से आपको क्या आपत्ति है ? यदि स्थिति तो

ऐसी हो पर राज्य सरकार सहमत न हो; तो उसी सरकार को परेशानी उठानी पड़ेगी······
**(व्यवधान)**

**श्री ए० के० सेन** : देश परेशानी में नहीं पड़ सकता। मान लीजिये कि किसी आतंकवादी ने दिल्ली में कोई अपराध किया है और वह जम्मू और काश्मीर भाग जाता है और जम्मू और काश्मीर की सरकार न्यायालय स्थापित नहीं करती है तो यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि राज्य के उच्च न्यायालय की सहमति से अभिहित न्यायालय स्थापित किया जाये, वास्तव में कोई अन्य शक्ति नहीं है।

**श्री अमल दत्त** : यदि कोई अपराध दिल्ली में किया गया है, तो उसका मुकदमा भी दिल्ली में ही चलेगा न कि जम्मू और काश्मीर में······**(व्यवधान)**

**श्री ए० के० सेन** : इस तरह बहस करने का कोई लाभ नहीं है। यही कहते हुए कि केन्द्रीय सरकार कार्य कर सकती है, हम लोग प्रस्तावित संशोधन रख रहे हैं।

मैं और भी महत्वपूर्ण खण्ड ले रहा हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : हम इसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि यदि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो सहमति की बात समाप्त हो जायेगी और परामर्श की बात आ जायेगी।

**श्री ए० के० सेन** : जैसा कि मैं माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार को भी राज्य के उच्च न्यायालय की सहमति से काम करना होगा। उच्च न्यायालय की सहमति आवश्यक है; इस प्रकार हम यह संशोधन करने को तैयार हैं······**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते, क्या आप कृपा करके मेरी ओर थोड़ा-सा ध्यान देंगे···

**प्रो० मधु दण्डवते** : मेरा एक कान उनकी ओर लगा हुआ है और दूसरा आपकी ओर।

**श्री ए० के० सेन** : दशानन के समान आपके भी दस कान हैं। प्रो० मधु दण्डवते; दूसरा संशोधन जिसके बारे में आपने कहा था, विभिन्न प्रकार के भड़काने वाले अन्य गानों पर पाबंदी लगाने के बारे में है।

प्रो० मधु दण्डवते ने जिन शब्दों का प्रस्ताव रखा था वे निम्नलिखित हैं :

"किसी कृत्य से, या किसी भाषण से अथवा किसी अन्य माध्यम से की गई कार्यवाही।"

हम लोग "या चाहे किसी भी अन्य प्रकार से" शब्दों को जोड़ रहे हैं। और यह बात पृष्ठ 3 पर आ जायेगी, इसे धारा 4(2) और 4(3) में उसी संशोधन के साथ जोड़ा जायेगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : इसका मतलब है, गाने और कविता, चाहे जो भी हो।

**श्री ए० के० सेन** : उसमें सभी कुछ शामिल होगा। मेरे विचार से प्रो० दंडवते ने यह सोचा होगा कि विदेशों में यह बुरा लगेगा कि हम लोग सभी प्रकार के गानों आदि पर पाबंदी लगा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इसी में सारी बातें आ गई हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैंने यह चेष्टा की है कि कलाकारों पर पाबंदी न लगाई जाये। मेरा

विचार है कि श्रीमती बैजयंतीमाला मेरा समर्थन करेंगी।

**श्री ए० के० सेन :** प्रो० दण्डवते, मेरी बात सुनने की अपेक्षा फिल्मों की बात सुनना अधिक पसंद करते हैं। वह बम्बई के फिल्मी दुनिया के अधिक निकट है।

**इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) :** चूंकि श्रीमती दण्डवते यहां नहीं हैं, इसलिये वह इस आजादी का लाभ उठा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप वास्तविक अपराधी हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते :** अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि अपनी आजादी की रक्षा के लिये मुझे अपनी पत्नी को त्यागना होगा।

**प्रो० ए० के० सेन :** दूसरा प्रश्न यह है, किसी ने कहा था—मुझे उस माननीय सदस्य का नाम याद नहीं आ रहा है—कि हमने अपराध में सहयोग देने वाले के लिये उसी सजा का प्रावधान नहीं किया है; जिस साजा का प्रावधान अपराधी के लिये किया है। हमने उसी सजा का प्रावधान किया है। उस पर दंड संहिता की वही धारा 109 लागू होती है। किन्तु वास्तविक हत्यारे के लिए हमने न्यूनतम मौत की सजा देने का प्रावधान रखा है। हम लोगों ने यह न्यूनतम सजा अपराध में सहयोग देने वाले के लिये नहीं रखी है यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अन्तर्गत न्यायालय वही सजा अपराध में सहयोग देने वाले को दे सकता है क्योंकि अपराध में सहयोग देने वाला उतना ही अपराधी होता है जितना कि वास्तव में अपराध करने वाला होता है। मौत की सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। बात केवल इतनी-सी है कि इस व्यक्ति को दी जाने वाली न्यूनतम सजा केवल यही नहीं हो सकती है। हम लोग आवश्यकता से अधिक कठोर उपाय नहीं करना चाहते हैं। मेरे विचार से यदि हम इसको इसी प्रकार रखें तो सर्वोत्तम होगा।

श्री सी० पी० एन० सिंह ने यह प्रश्न ठीक ही पूछा है कि हमने इस बात का पता लगाने की चेष्टा नहीं की कि आतंकवादी क्यों बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें आरम्भ में ही क्यों नहीं दबा दिया गया। यही समस्या सरकार के सामने अब भी बनी हुई है। यह वास्तव में एक वैध मामला है और वास्तव में एक उचित मुद्दा भी है जिस पर हर व्यक्ति सोचने लगता है, क्योंकि हर समय लोगों को सजा देकर हम शासन नहीं कर सकते हैं। आपको तो यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि हर व्यक्ति को इस बात को गौरव महसूस हो कि वह देश का नागरिक है; और इस देश को विश्व का महान देश बनाने तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न तथा खुशहाल बनाने के हमारे प्रयत्न में वह भी बराबर का साझीदार है। यही उद्देश्य है, इसलिये हर जगह यह सबक पढ़ाया जाना चाहिये, जिससे कि पैदा होने के बाद जब कोई बच्चा बोलना सीखे तो उसकी मां उसके मन में भारत राष्ट्र का यह महामंत्र फूंक दे जिससे कि उसे इस बात का गर्व हो जाये कि वह इस गौरवशाली देश का नागरिक है और वह आज जो बुराई हमारे अन्दर घर कर गई है, उसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

'गीता' में कहा गया है—**"जानाभि धर्मम् न चमेव प्रवृत्त"**—मैं यह जानता हूं कि इसके क्या गुण हैं किन्तु मैं इसका पालन नहीं करना चाहता। **"जानाभि धर्मम् न चमेव निवृत्त"**—मुझे पता है कि पाप क्या है किन्तु मैं पाप करने से स्वयं को रोक नहीं पाता। यही आतंकवाद है। उसे पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है किन्तु वह नहीं जानता कि उससे कैसे बचा जा

सकता है। बुराइयों की तरफ जाने से हमें उसको रोकना होगा । बुराइयों के मार्ग से उसका विस्तार करना होगा जिससे कि उसे इस बात का ध्यान हो जाए कि ईमानदारी और साधुता का ही एक मात्र ऐसा मार्ग है जिससे परमानन्द और प्रसन्नता प्राप्त होती है और इसलिए हमारा अगला प्रयत्न इस ओर ही होना चाहिए। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता और मुझे जो समर्थन दिया गया है उससे मैं कृतज्ञ हूं और मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को निर्विरोध पारित कर दिया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती गीता मुखर्जी, क्या आप अपने संशोधन के प्रस्ताव पर जोर दे रही हैं ?

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : चूंकि यह अधिक तर्कसंगत नहीं, तथा मंत्री महोदय भी उससे सहमत नहीं हैं, अतः मैं यह प्रस्ताव नहीं रखना चाहती हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा इस बात से सहमत है कि श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन वापस ले लिया जाए ?

**माननीय सदस्यगण** : जीं हां।

**संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : जी हां, मैं उसे वापस नहीं ले रहा हूं क्यों कि मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तृत चर्चा की जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिये और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्धों तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध बनाने वाले विधेयक को निम्नलिखित 9 सदस्यों वाली प्रवर समिति को सौंपा जाये :"

1. प्रो० मधु दण्डवते
2. श्री अमल दत्त
3. श्री इन्द्रजीत गुप्त
4. श्री सी० माधव रेड्डी
5. श्री अमर राय प्रधान
6. श्री अशोक कुमार सेन
7. श्री पीयूष तिरकी
8. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् तथा
9. श्री बसुदेव आचार्य

तथा उसे यह निदेश दिया जाये कि प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रस्तुत कर दिया जाये।" (2)

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सत्यगोपाल मिश्र, क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव रख रहे हैं ?

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : जी हां।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिये और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्धों तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध बनाने वाले विधेयक को निम्नलिखित 12 सदस्यों वाली प्रवर समिति को सौंपा जाये :

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्री अनिल बसु
3. श्री अजय विश्वास
4. श्री अमल दत्त
5. श्री सुरेश कुरूप
6. श्री सनत कुमार मंडल
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री अमर राय प्रधान
9. श्री अजित कुमार साहा
10. श्री अशोक कुमार सेन
11. जैनुल अबेदीन
12. श्री सत्य गोपाल मिश्र

तथा उसे यह निदेश दिया जाए कि प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रस्तुत कर दिया जाये।" (8)

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिऐ और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबंधों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 2**—परिभाषा

**श्री अमल दत्त** (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 28 और 29 का लोप किया जाए। (77)

**अध्यक्ष महोदय :** आप पहले ही बोल चुके हैं। अत: मैं इसे मतदान के लिए सभा में रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 28 और 29 का **लोप** किया जाए। (77)

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 3**—आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड

**अध्यक्ष महोदय :** श्री स्वामी प्रसाद सिंह, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री स्वामी प्रसाद सिंह** (हमीरपुर) : जी, नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मूल चन्द डागा, क्या आप संशोधन पेश कर रहे हैं ?

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : जी नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रत्नम्, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री एन० वेंकटरत्नम्** (तेनाली) : जी हां महोदय, मैं तीनों संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"स्थापित सरकार को" शब्दों **के पश्चात्** "का तख्ता उलटने या उसे" शब्द **अंत:स्थापित किये जायें**। (18)

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"विधि द्वारा" शब्दों **के पश्चात्** "केन्द्र या राज्यों में" शब्द **अंत:स्थापित किये जायें**। (19)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17,—

"मृत्यु से" शब्दों **के स्थान पर,** "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत" शब्द **प्रतिस्थापिम किये जायें**। (20)

**अध्यक्ष महोदय :** श्री बनातवाला, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : जी हां, मैं संशोधन संख्या 39 और 40 प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"विधि द्वारा स्थापित सरकार" **के स्थान पर** "संसद अथवा भारत सरकार अथवा किसी राज्य का विधान-मण्डल अथवा सरकार" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (39)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 26 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के अन्तर्गत किसी षड़यंत्र की रचना के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसार कोई कार्य अथवा अवैध भूल की गई हो" (40)

**श्री रेणुपद दास** (कृष्णानगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 19,—

"जो आजीवन कारावास" **के स्थान पर** "जिसकी अवधि सात वर्ष" **प्रतिस्थापित किये जाये**। (61)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22 से 24,—

"या उसे करने का प्रयत्न करेगा, उसका पक्ष समर्थन करेगा, उसका दुष्प्रेरण करेगा, उसकी सलाह देगा या उसका उद्दीपन करेगा या ऐसे कार्यों का किया जाना जान-बूझकर सुकर बनाएगा" **लोप किया जाये**। (62)

पृष्ठ 3, पंक्ति 25 और 26,—

"किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी" का **लोप किया जाये**। (63)

**श्री अमल दत्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 5 और 6,—

"जनता के किसी वर्ग को पृथक करने" शब्दों का लोप किया जाये। पंक्ति 6 में "के बीच" **के स्थान पर** "को पृथक करने और उनके बीच" शब्द **प्रतिस्थापित किये जायें**। (80)

पृष्ठ 3, पंक्ति 6,—

"जनता के विभिन्न वर्गों" शब्दों **के स्थान पर** "विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों" शब्द **प्रतिस्थापित किये जायें**। (81)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9 और 10,—

"या परिसंकटमय प्रकृति के किसी अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों या अन्यथा)" शब्दों **के स्थान पर** "का" शब्द **प्रतिस्थापित किये** जायें। (82)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 15 से 20 तक, **के स्थान पर,**—

"(2) जो कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करता है, वह भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अन्तर्गत दंड का भागी होगा।" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (95)

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,—

"या जनता के किसी वर्ग को पृथक् करने या जनता के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता

पर प्रतिकूल प्रभाव डालने" शब्दों का **लोप किया जाये**। (116)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11 से 13 तक,—

"या उन्हें क्षति या सम्पत्ति को नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय **के जीवन के** लिये आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं के विघ्न कारित हो या कारित" **शब्दों का लोप किया जाये**। (117)

पृष्ठ 3, पंक्ति 21 और 22,—

"या आतंकवादी कार्य करने की तैयारी विषयक कार्य करने" **शब्दों का लोप किया जाये**। (118)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,—

"आजीवन" **शब्द के स्थान पर** "छः वर्ष" **शब्द प्रतिस्थापित किये जायें**। (119)

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : मै प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 18 और 19,—

"जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन करावास" **के स्थान पर** "जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जिसकी अवधि सात वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (131)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22-23,—

"उसका पक्ष समर्थन करेगा" का **लोप किया जाये**। (132)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23,—

"उसकी सलाह देगा" का लोप किया जाये। (133)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,—

"आजीवन कारावास" **के स्थान पर** "सात वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (134)

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"विधि द्वारा स्थापित करकार को आतंकित करने या" शब्दों का **लोप किया जाये**। (149)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 17 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये; अर्थात्**,—

"(क) यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप गम्भीर प्रकार की स्थायी अशक्तता हो गई है, तो वह कारावास के, जिसकी अवधि दस वर्षों से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकती है, और जुर्माने के, दण्ड का भी भागी होगा।" (150)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 से 26 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**—

"(3) जो कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी कार्य के लिए षड्यंत्र करता है या दुष्प्रेरण

करना है या भड़काता है या जानबूझकर उसे सुकर करता है, वह—

(i) यदि ऐसे आतंकवादी कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दण्ड का भागी होगा;

(ii) यदि ऐसे आतंकवादी कार्य के परिणामस्वरूप गंभीर प्रकार की स्थायी निःशक्तता हो जाती है, तो कारावास के दण्ड का, जो दस वर्षों से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने के दण्ड का भागी होगा।

(iii) किसी अन्य मामले में कारावास के, जो 5 वर्षों से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने के दण्ड का भी भागी होगा।

(4) जो कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी कार्य को करने या किसी आतंकवादी कार्य के लिए प्रारंभिक कार्य को करने का प्रयत्न करता है या उसका समर्थन करता है या उसकी सलाह देता है तो वह कारावास के दण्ड का, जो 3 वर्षों से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास का हो सकता है और जुर्माने का दण्ड का भी भागी होगा। (151)

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : मेरे दोनों संशोधनों में 'आतंकवादी क्रियाकलाप' पदावली की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया है। यह केवल विधि द्वारा स्थापित सरकार और अन्यों का आतंकित करने तक सीमित है। मेरा सुझाव है कि न केवल सरकारों, अर्थात केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही अपितु संसद और राज्य की विधान मण्डल को भी आतंकित करने वाले क्रियाकलापों को भी इसे शामिल किया जाए। मैंने अपने संशोधन में जो सुझाव दिया है वह विधि आयोग के 42वें प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव जैसा ही है, अतः मुझे आशा है कि सरकार इस संशोधन में दिए गए सुझाव को स्वीकार करेगी।

**श्री ए० के० सेन** : संसद···* *···का अंग है, अतः यह आवश्यक नहीं कि इसे स्वीकार किया जाए।

**प्रो० मधु दण्डवते** : नहीं, यह···* *···का अंग नहीं है यह राज्य का अंग है,······का नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा गया था और आपने उस पर अपना विनिर्णय दिया था।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उससे इन्कार नहीं कर रहा हूं।

**श्री अमल दत्त** : विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है।

**श्री जी एम० बनातवाला** : इस तरह का संशोधन स्वीकार करने में क्या नुकसान है ?

**प्रो० मधु दंडवते** : **शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दीजिए।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : कम से कम पूरी पंक्ति को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया जाना चाहिए। बेहतर आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाल दें।

**अध्यक्ष महोदय** : हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं। मैंने कल ही निर्णय दिया था।

**श्री रेणुपद दास** : मेरा संशोधन आतंकवादियों को दंड देने के संबंध में है। मेरे विचार से आतंकवादियों से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त कानून हैं।

**श्री अमल दत्त** : जनता के विभिन्न वर्गों के बजाय उन्हें 'विभिन्न जातियों और धर्मों' शब्द प्रतिस्थापित करने चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य यही है जैसा कि मैंने बताया, 'वर्गों' से उनका तात्पर्य श्रमिक संघ भी हो सकता है, क्योंकि वहां मजदूरों में प्रतिस्पर्धा है। यह भी आतंकवादी क्रियाकलाप की परिभाषा में आता है क्योंकि यदि लाठी का भी प्रयोग किया जाता है तो वह आतंकवादी क्रियाकलाप माना जाएगा।

एक कमी यह है। इसमें कहा गया है यदि परिसंकटमय प्रकृति की चीज का इस्तेमाल किया जाता तो क्या लाठी, ध्वजदंड या अन्य किसी वस्तु का इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं कहना चाहता हूं कि जनता के विभिन्न वर्गों के बजाय 'विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। भारतीय दंड संहिता में ऐसा ही कहा गया है। यह मेरा निवेदन है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मेरे संशोधन का अर्थ यह है कि हमारे यहां आतंकवाद का सामना करने के लिए कानूनों की कमी नहीं है। कमी है राजनैतिक इच्छा और कड़े उपाय करने की। इसीलिए मैं महसूस करता हूं कि यह विधेयक, जो पारित होने जा रहा है, एकदम असंगत है (व्यवधान) मुझे खेद है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य इसे पारित कराना चाहते हैं। मैंने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को देखा है। उसमें कुछ कमी नहीं है। उसमें सब कुछ निहित है।

**एक माननीय सदस्य** : आतंकवाद नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि उसमें सब कुछ है तो फिर मैं नहीं समझता कि यह विधेयक पास करने की कोई आवश्यकता है। तो हम इस समय यह विधेयक क्यों ला रहे हैं?

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : सरकार को कार्यवाही करने से किसी ने नहीं रोका था। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हम आतंकवाद के विरोध में कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आतंकवाद के प्रश्न पर हम आपके साथ हैं। लेकिन इस तरह की अपर्याप्त कार्यवाही से सत्तारूढ़ दल के सदस्य ही संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं।

**श्री नारायण चौबे** : मेरे संशोधन बड़े सरल हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे उन्हें स्वीकार करें।

जब कभी हम हड़ताल या ऐसा ही कुछ और करते हैं, लोगों में मतभेद होता है। इसलिये मैं नहीं चाहता कि इन संशोधनों को अस्वीकार किया जाए। (व्यवधान) हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने हड़ताल का आह्वान किया और बसें जलाईं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : किसी तरह का कटाक्ष करने या आरोप लगाने की अनुमति नहीं है।

**श्री नारायण चौबे** : मैं चाहता हूं कि "समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्नकारित" शब्दों का लोप किया जाए।

[हिन्दी]

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज नं० 3 पर अपने अमैंडमैंट नं० 131, 132, 133 और 134 के सन्दर्भ में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। इसमें पनिशमैंट का जो चैप्टर है, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। जहां सचमुच में किलिंग होती है, मर्डर होता है उसके लिए तो डैथ पनिशमैंट है और रैस्ट आफ दी क्राइम के लिए लाइफ इम्प्रीजनमैंट की चर्चा की गई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसको बराबर कराना चाहते हैं ?

**श्री विजय कुमार यादव** : नहीं, इस पनिशमैंट को कम कराना चाहता हूं।

**6.00 म० प०**

[अनुवाद]

**श्री डी० बी० पाटिल** : सरकार ने मृत्यु होने की दशा में मृत्यु दंड देने का तथा किसी को घायल करने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान रखा है। मृत्यु और साधारण घाव के बीच की स्थिति अथवा गंभीर किस्म की न्यायी अशक्तता भी हो सकता है। जहां तक उसका संबंध है, मैं चाहता हूं कि उसके लिए 10 वर्ष का कारावास का दंड देने का प्रावधान रखा जाए, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है।

**श्री ए० के० सेन** : हम यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड 3 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**खंड 3 के सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 4** —विध्वंसकारी क्रियाकलापों के लिए दंड

**श्री एन० वेंकट रत्नम** (तेनाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 38,—

"को प्रश्नगत करती है, उस" शब्दों का लोप किया जाए। (21)

पृष्ठ 3, पंक्ति 40,—

"जो" के पश्चात्, "भारत सरकार या भारत में किसी राज्य की सरकार का तख्ता उलटने के लिए या" शब्द अंतःस्थापित किये जायें। (22)

पृष्ठ 4, पंक्ति 14,—

"सलाह, सुझाव या प्रेरणा" शब्दों का लोप किया जाये। (23)

**श्री सत्य गोपाल मिश्र** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3 और 4,—

पंक्ति 33 से 45 तक और 1 तथा 2 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**;—

"(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के 'विध्वंसकारी क्रियाकलाप' से किसी व्यक्ति की हत्या या किसी सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति नष्ट करने, की कोई कार्यवाही अभिप्रेत है।" (30)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 3 से 15 तक का **लोप किया जाये**। (31)

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 32,—

"आजीवन कारावास" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित किए जायें**। (35)

पृष्ठ 3, और 4,—

पंक्ति 33 से 46 तक का, तथा पंक्ति 1 और 2 का क्रमशः **लोप किया जाये**। (36)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,—

"सलाह देती है, सुझाव देती है" शब्दों का **लोप किया जाये**। (37)

**श्री रेणुपद दास** (कृषनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 28 से 30,—

"उसका षड़यंत्र करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा पक्ष समर्थन करेगा, सलाह देगा या उद्दीपन करेगा या ऐसे कार्यों का किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा" का **लोप किया जाये**। (64)

पृष्ठ 3, पंक्ति 31 और 32,—

"किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी" का **लोप किया जाये**। (65)

पृष्ठ 3, पंक्ति 34 से 36,—

"कार्य द्वारा या भाषण या गाने या गाथा या पद्य या शब्दों द्वारा या किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागजपत्र, लेख, रिकार्ड, टेप वीडियो कैसेट, आरेख, चित्रण, व्यपदेशन द्वारा या किसी अन्य रीति से" का **लोप किया जाये**। (66)

पृष्ठ 2, पंक्ति 38 और 39,—

"या विघ्न डालने के लिए आशयित है" का **लोप किया जाये**। (67)

पृष्ठ 3, पंक्ति 37,—

"प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः" का **लोप किया जाये**। (68)

पृष्ठ 3, पंक्ति 42,—

":करने के लिए अशक्त है" के स्थान पर "करती है" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (69)

पृष्ठ 3, पंक्ति 41,—

"प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः" का **लोप किया जाये**। (70)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पंक्ति 27 से 32 तक, **के स्थान पर,**—

पृष्ठ 3,—

"4. जो कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करता है या उसका षड़यंत्र करता है या उसे करने का प्रयत्न करता है, वह भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार दण्ड का भागी होगा।" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (96)

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 21 और 22,—

"या आतंकवादी कार्य करने की तैयारी विषयक कार्य करने" शब्दों का **लोप किया जाये**। (120)

**श्री विजय कुमार यादव** (नालंदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 4 से 6,—

"कार्य द्वारा भाषण या गाने या गाथा या पद्य या शब्दों द्वारा या किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागजपत्र, लेख, रिकार्ड, टेप, वीडियो कैसेट, आरेख, चित्रण, व्यपदेशन या किसी भी अन्य रीति से" का **लोप किया जाये**। (140)

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** : प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा कवियों के खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। इसीलिए मैंने संशोधन रखा है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह बात समाप्त हो गई है।

**श्री रेणुपद दास** : इस धारा के अन्तर्गत निवारक सजाओं की व्यवस्था है। मेरे विचार से इन सजाओं की व्यवस्था करके स्थिति से निपटा नहीं जा सकता। इसी लिए मैंने अपना संशोधन रखा है।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं संशोधन प्रस्तुत करूं ताकि वे भी प्रेरित होकर उसकी पुनर्रचना करें।

**श्री ए० के० सेन** : मेरा सुझाव है कि आप उन्हें वापस ले लें। मैं उन्हीं शब्दों के साथ अपने संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मुझे तो विषयवस्तु की चिन्ता है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संशोधन आपके नाम से जायेगा। **(व्यवधान)** महोदय, मैंने यही कहा था किन्तु आपने कहा था

कि मैं प्रस्तुत करूं । आप दूसरों से तो कह रहे हैं कि वे अपने संशोधन वापस ले लें और मुझसे कह रहे हैं कि प्रस्तुत करो ?

**अध्यक्ष महोदय** : यही तो मैं कह रहा हूं । आप ठीक कह रहे हैं ।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैं रास्ता बताता हूं । मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं और उनके संशोधन स्वीकार कर लूंगा । यही ठीक रास्ता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, क्या आप उस पर संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

**श्री ए० के० सेन** : जी हां ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है, लेकिन क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

**श्री ए० के० सेन** : जी हां, महोदय ।

**अध्यक्ष महोदय** : तब मैं उन्हें संशोधन वापस लेने की अनुमति दे दूंगा ।

**(व्यवधान)**

**श्री नारायण चौबे** : महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 21 और 22,—

"या आतंकवादी कार्य करने की तैयारी विषयक कार्य करने" शब्दों का **लोप किया जाये** । (120)

महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है । महोदय, खण्ड 4 के उपखण्ड (1) में यह उल्लिखित है कि :—

"जो कोई किसी विध्वंसकारी क्रियाकलाप या विध्वंसकारी कार्य करने विषयक कार्य करने की तैयारी करेगा, उसका षड़यंत्र करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, पक्ष समर्थन करेगा, सलाह करेगा या उद्दीपन करेगा या ऐसे कार्यों का किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा......"

**एक माननीय सदस्य** : इसमें क्या गलती है ?

**श्री नारायण चौबे** : बहुत गलत है । मान लो कोई कार्य विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने से पहले का कार्य है तो वह भी इसके अन्तर्गत आ जाएगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे वापस ले लिया जाए । मुझे यही कहना है ।

**श्री ए० के० सेन** : महोदय, मैं श्री नारायण चौबे को समझाता हूं । किसी विध्वंसकारी कार्य की तैयारी भी बहुत महत्व रखती है और इसके लिए भी सजा की जानी चाहिए । ट्रांजिस्टर में रखने के उद्देश्य से विस्फोटक पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं तो इसके लिए सजा दी जानी चाहिए ।

**श्री नारायण चौबे** : उसमें कहा गया है कि "षड़यंत्र करेगा या उसे करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, पक्ष समर्थन करेगा, सलाह देगा या उद्दीपन करेगा या ऐसे कार्यों का किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा......"

**(व्यवधान)**

**प्रो० मधु दंडवते** : मेरा एक ही अनुरोध है। कृपया अपने संशोधन के बारे में औपचारिक घोषणा कर दें अन्यथा यह रह जाएगा ।

**श्री ए० के० सेन** : मैं इस पर हस्ताक्षर कर चुका हूं। मैंने सदन से अपेक्षित नोटिस के बिना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। मूलतः यह प्रो० मधु दंडवते द्वारा प्रस्तुत संशोधन जैसा ही है । बस एक अपवाद है कि हमने उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन की शब्द रचना के अलावा ये शब्द भी जोड़ दिए हैं "या किसी भी अन्य रीति से" मैं सारा पढ़ता हूं :—

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 34 से 36 तक **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात्**

"से कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी भी अन्य संचार माध्यम से की गई कोई कार्यवाही,—"

यह प्रो० दंडवते द्वारा प्रस्तुत संशोधन है। हमने उसमें यह और जोड़ा है, "या किसी भी अन्य रीति से"

**प्रो० मधु दंडवते** : "किसी भी अन्य रीति से" आपका होगा।

**श्री ए० के० सेन** : दूसरा यह है :

**पृष्ठ 4, पंक्ति 4 से 6**, तक **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य संचार माध्यम से की गई कोई कार्यवाही या,"

इसमें यह शब्द जोड़े गए हैं : "किही भी अन्य रीति से"

**श्री जी० जी० स्वैल** : इसमें प्रक्रिया सम्बन्धी एक अनियमितता है। प्रो० दण्डवते ने मंत्री जी के यह कहने पर कि वह उनका संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अपना संशोधन वापस ले लिया है। अब लिखित में मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का प्रो० दण्डवते द्वारा प्रस्तुत संशोधनों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। यह उनकी शब्दावली से अलग होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यही तो बात है।

**प्रो० मधु दंडवते** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरा नाम रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

**श्री ए० के० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 34 से 36 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**, अर्थात—

"से कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी भी अन्य संचार माध्यम से या किसी भी अन्य रीति से की गई कोई कार्यवाही" (156)

पृष्ठ 4, पंक्ति 4 से 6 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**, अर्थात्—

"एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य संचार माध्यम से या किसी भी अन्य रीति से की गई कोई कार्यवाही—" (157)

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 34 से 36 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये,** अर्थात्—

"से कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी भी अन्य संचार माध्यम से या किसी भी अन्य रीति से की गई कोई कार्यवाही" (156)

पृष्ठ 4, पंक्ति 4 से 6 तक **के स्थान** पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्**—

"एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य संचार माध्यम से या किसी भी अन्य रीति से की गई कोई कार्यवाही" (157)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं अन्य सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**खंड 4 के अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड 5**—नियम बनाने की शक्ति

**श्री एन० वेंकटरत्नम्** (तेनाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 35 से 38 तक का **लोप किया जाये** । (24)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 41 से 44 तक का **लोप किया जाये** । (25)

पृष्ठ 6, पंक्ति 1,—

"किसी भी" शब्दों से पूर्व "दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत तलाशी की कार्यवाही के अनुसार" शब्द **अन्तःस्थापित किये जायें** । (26)

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 16 से 31 तक का **लोप किया जाये** । (32)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 28 से 31 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :—

"ऐसे व्यक्तियों (चाहे भारत के भीतर या उसके बाहर) जो आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों को उकसाते हैं या उनका दुष्प्रेरण करते हैं अथवा आतंकवादियों

या विध्वंसकरियों की किसी रीति से सहायता करते हैं, आतंकवादी और विध्वंस-कारी क्रियाकलापों के लिए सामग्री या हथियारों की आपूर्ति करते हैं"। (34)

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 28 से 31 तक का **लोप किया जाये**। (38)

**श्री ए० के० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 21,—

"किसी प्राधिकारी को" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"किसी ऐसे प्राधिकारी को (जो केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी जो उस सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का किसी विधि के अधीन प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी है)।" (58)

**श्री रेणुपद दास** (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, 5 और 6,—

क्रमशः पंक्ति 19 से 45, 1 से 44 और 1 से 5 का **लोप किया जाये**। (72)

**श्री अमल दत्त** (डायमंड हारबर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 21 से 23 तक में,—

"और वे किसी प्राधिकारी को उस उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनों की बाबत निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले आदेश करने के लिए सशक्त कर सकेंगे" शब्दों का **लोप किया जाये**। (88)

**प्रो० मधु दंडवते** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 10 से 11 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**, अर्थात्—

"(ज) भारत में विदेशी राष्ट्रिकों की गतिविधियों पर नियंत्रण;" (110)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 34 का **लोप किया जाये**। (111)

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

"के बारे में" **के स्थान पर** "के सम्बन्ध में" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (112)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 34 से 37 तक का **लोप किया जाये**। (113)

**महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं और उसको पूरा किया जा सकता है। आपने**

कहा है "वर्गों" और जहां कहीं भी "वर्गों" का उल्लेख किया है, यह आर्थिक वर्ग का हवाला करती हैं और इसमें सभी प्रकार की उलझनें उत्पन्न होती हैं। "क्लासिस" (वर्गों) की बजाय अगर आप "सैक्शंज" (श्रेणियों) को स्वीकार कर लें तो उससे भी वही अर्थ निकलता है जो आप चाहते हैं। 'क्लास' (वर्ग) नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ है आर्थिक वर्ग। प्रत्येक व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा। यहां तक कि जो आर्थिक उद्धार, ट्रेड-यूनियन आदि के लिए संघर्ष कर रहे हैं दूर तक भी उन्हें इसके अन्तर्गत लाने की संभावना नहीं है। मेरे विचार से, इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 41 और 42,—

"भारत की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच वैमन्स्य, शत्रुता या घृणा" **शब्दों का लोप करें।** (127)

**श्री ए० के सेन :** महोदय, धारा 5 पर मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। मैं संशोधन तुरन्त रखूंगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : इसमें कोई कठिनाई नहीं है। "क्लासेज" के स्थान पर इसे "सैक्शन्स" पढ़िये।

**श्री अशोक सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(यह संशोधन हिन्दी संस्करण में लागू नहीं होता) (158)

**प्रो० मधु दंडवते :** यह एकमत से स्वीकार हो।

**श्री कुंवर राम** : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में तो आपने "क्लास" का "सैक्शन" कर दिया, लेकिन उसका हिन्दी में क्या होगा ?

**प्रो० मधु दंडवते** : "सैक्शन" का विभाग होगा और "क्लास" का वर्ग होगा।

**श्री अशोक सेन :** "हिस्सा" भी हो सकता है।

**प्रो० मधु दंडवते :** हिन्दी में कुछ भी कीजिए। अंग्रेजी में क्लास हटाइए।

**श्री अशोक सेन :** "सैक्शन" को विभाग बोला जाता है और "क्लास" को वर्ग बोला जाता है।

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 22,—

"प्राधिकारी" **के पश्चात्** "जो जिलाधीश के श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होगा," अन्तःस्थापित किया जाये। (143)

पृष्ठ 4, पंक्ति 41 और 42,—

"या भारत की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य, शत्रुता या घृणा की भावना को संप्रवर्तित करने" का **लोप किया जाये।** (144)

पृष्ठ 6, पंक्ति 13,—

"सात" के स्थान पर "तीन" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (145)

**श्री डी० बी० पाटिल** :

(यह संशोधन हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होता।) (153)

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत कर दिए हैं। सरकार के पास नियम बनाने की निरंकुश शक्ति नहीं होनी चाहिए। यह मेरा पहला संशोधन है।

मेरा दूसरा मुद्दा खंड नं० 5, उपधारा 2(क)(1) 'लोगों के साथ सम्पर्क' से है, वहां मैंने सम्पर्क के स्थान पर "सामग्री की सप्लाई अथवा……" आतंकवादी तथा विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए कहा है। इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए। सम्पर्क एक बहुत ही गुमराह करने वाला शब्द है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, उसे सम्पर्क की संज्ञा दी जा सकती है इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। मुझे आशा है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

**श्री रेणुपद दास** : मेरा संशोधन नियम बनाने वाली प्रक्रिया से संबंधित सभी 1 से 43 तक लाइनों के बारे में है। विधेयक कानून बनने के बाद यह नियम बनाना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि इसको लोप किया जाये।

**श्री अमल दत्त** : उसके अन्दर नशबन्दी अथवा कुछ चीजों तथा लोगों का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए इस बारे में किसी प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। यह ठीक नहीं है। जो कुछ भी वहां पर निर्दिष्ट है वही अधिनियम में निर्दिष्ट होना चाहिए अथवा नियमों में जो अधिनियम के तहत बनाये जायें। परन्तु किसी भी प्राधिकारी को नियम बनाने के लिए कानून के अन्दर सारी शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। यह बहुत ही उचित बात है। संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए।

**श्री नारायण चौबे** : अधिकारी जिला अधिकारी, अथवा उससे भी बड़ा कोई अधिकारी, सयुंक्त सचिव, होगा। माननीय मंत्री ने यह बात स्वीकार की है।

**श्री विजय कुमार यादव** : मैंने किसी प्राधिकारी के स्थान पर जिला अधिकारी का प्रस्ताव किया है। वह सरकार द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है।

**श्री नारायण चौबे** : माननीय मंत्री ने मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया है।

**श्री ए० के० सेन** : मैं केवल आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह वहां पहले से ही मौजूद है।

**श्री नारायण चौबे** : माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं पहले ही अपने संशोधन का प्रस्ताव रख चुका हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अशोक सेन क्या आप किसी और बात का जवाब देना चाहते हैं ?

**श्री ए० के० सेन** : नहीं। मैं सावधानीपूर्वक सभी नियम बनाऊंगा और वास्तव में शक्तियों का इस्तेमाल अभिहित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

**श्री नारायण चौबे** : आपका सम्पर्क से क्या तात्पर्य है ?

**श्री एन० के० सेन** : सम्पर्क ऐसा शब्द है जिसके बारे में सभी जानत हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 21,—

"किसी प्राधिकारी को" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

'किसी ऐसे प्राधिकारी को (जो केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी जो उस सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का किसी विधि के अधीन प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी है) ।" (58)

(यह संशोधन हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होता) (158)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं धारा 5 से सम्बन्धित अन्य सभी संशोधनों को सभा के समक्ष रखूंगा ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : इससे पहले कि आप इन्हें सभा के सामने रखें, मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशी नागरिकों तथा अन्यों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, 110 तथा 111, क्योंकि वह धारा केवल 109 से ही सम्बन्धित है ? 110 तथा 111 के बारे में क्या हुआ ? प्रात: मेरे और प्रो० रंगा के बीच सहमति हो गई थी । हमने एक सूत्र दिया था कि विदेशी नागरिकों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

मंत्री महोदय उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे ।

**श्री ए० के० सेन** : मेरे विचार में, इसमें वह सम्मिलित है ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : उदाहरण के तौर पर, मैंने सुझाव दिया है कि भारत के बाहर से भारत में आने वाले विदेशी नागरिक तथा अन्य······

**श्री ए० के० सेन** : मेरे विचार में यह उसमें आ जाता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड 5 पर प्रस्तावित सभी अन्य संशोधनों को सभा के समक्ष मत के लिए रखता हूं ।

**खंड 5 के अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड 6**—वर्धित शास्तियां

**श्री रेणुपद दास** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 7,—

"दस वर्ष तक" **के स्थान पर—**

"छ वर्ष से अनधिक" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (73)

पृष्ठ 7, पंक्ति 8 से 10,—

"या यदि उसका आशय किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी की सहायता करना है, तो मृत्यु से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी" **का लोप किया जाये।** (74)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 1 से 11 तक, **के स्थान पर,**—

निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए;** अर्थात्,

"6. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह आयुद्ध अधिनियम, 1959, विस्फोटक अधिनियम, 1984 विस्फोटक पदार्थ 1908, अथवा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 के अधीन, मामले की गम्भीरता के परिणाम के अनुसार दण्ड का भारी होगा।" (99)

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड 6 पर प्रस्तावित संशोधन संख्याएं 73, 74 एवं 99 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 73, 74 तथा 99 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 8** - बैठक का स्थान

**श्री जी० एम० बनातवाला** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 43,—

"जाता है" के पश्चात "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से" अन्तः**स्थापित किया जाए।** (41)

पृष्ठ 8, पंक्ति 2,—

"पश्चात" **के पश्चात्—**

"और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति प्राप्त कर के" **अन्तःस्थापित किया जाये।** (42)

**अध्यक्ष महोदल** : अब मैं खंड 8 पर प्रस्तावित संशोधन संख्या 41 तथा 42 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 41 तथा 42 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 9**—अभिहित न्यायालयों की अधिकारिता

**श्री अमल दत्त** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 9 और 11,--

"या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है" शब्दों के स्थान पर "समाधान हो जाता है" प्रतिस्थापित किया जाए। (89)

यह संशोधन हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होता। (90)

पृष्ठ 8, पंक्ति 21,—

"या अन्यथा" शब्दों का लोप किया जाए। (91)

(i) पृष्ठ 8, पंक्ति 28,—

"और तब" शब्दों का लोप किया जाए।

(ii) पृष्ठ 8 और 9,—

पंक्ति 29 से 39 और 1 से 12 तक का क्रमशः लोप किया जाये। (92)

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड 9 पर प्रस्तावित संशोधन संख्याओं को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

**संशोधन संख्या 89, 90, 91 और 92 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 10**—अपराधों की बाबत अभिहित न्यायालयों की शक्ति

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 13 से 16 तक का लोप किया जाये। (43)

पृष्ठ 9, पंक्ति 19,—

"या किसी अन्य विधि के" का **लोप किया जाये।** (44)

पृष्ठ 9, पंक्ति 20-21,—

"यथास्थिति से इस अधिनियम या ऐसे नियम या ऐसी अन्य विधि" **के स्थान पर** "इस अधिनियम या ऐसे नियम" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

"इस अधिनियम या ऐसे नियम" **स्थापित किया जाये।** (45)

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 43, 44 और 45 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 12**—अभिहित न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां

**श्री अमल दत्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 12,—

"दो वर्ष" **के स्थान पर** "छ महीने" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (93)

**प्रो॰ मधु दण्डवते** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 44,—

"जुर्माने से" के पश्चात, "जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है" **अन्तःस्थापित किया जाये।** (114)

जुर्माने की यह 5,000 रुपये की राशि क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? मैं दे रहा हूं आप स्वीकार क्यों नहीं करते?

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

**संशोधन संख्या 93 और 114 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 13**—साक्षियों का संरक्षण

**श्री जी॰ एम॰ बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 31 से 34 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**—

"13 (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किसी अभिहित न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियां अथवा उनके भाग बन्द कमरे में की जाएंगी यदि उस न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि किसी साक्षी अथवा साक्षियों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है।" (46)

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 34 से 37 का लोप किया जाये। (154)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 43 से 45 का लोप किया जाए। (155)

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

**संशोधन संख्या 46, 154 और 155 मतदान के लिए रख गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**खंड 16—अपील**

**श्री सी० माधव रेड्डी** (अदीलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 18,—

"उच्चतम न्यायालय" **के स्थान पर** "उच्च न्यायालय" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (57)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा।

**संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 17**—संहिता के कुछ उपबंधों का उपान्तरित रूप में लागू होना

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 12, पंक्ति 19.—

"और" शब्द के स्थान पर "या" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये। (17)

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11—

पंक्ति 38 से 40 तक का लोप किया जाये। (47)

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 41 से 43 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(ख) उसकी उपधारा (2) में, "पन्द्रह दिन", "नब्बे दिन" और "साठ दिन" के, जहां-जहां वे आते हैं, प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "30 दिन" "छः महीने" और "छः महीने" के प्रति निर्देश हैं, और" (48)

पृष्ठ 12, पंक्ति 19,—.

"ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि" का लोप किया जाए। (49)

**श्री मूल चन्द डागा** : खण्ड 17, उप-खण्ड (5) में कहा गया है :

"जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने की संभावना नहीं है।"

इसमें शब्द और के स्थान पर मैंने 'अथवा' प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया है ताकि वह दोषी है तो आप उसे जमानत पर रिहा नहीं कर सकते अथवा यदि वह अपराध करने वाला है तब भी आप उसे जमानत पर रिहा नहीं कर सकते।

**श्री अमल दत्त** : हम आपका समर्थन करते हैं।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : इसमें यह तर्क है कि जब तक न्यायालय यह अनुभव नहीं करता कि वह व्यक्ति दोषी नहीं है जब तक उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? किसी न्यायालय को कैसे कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के अपराध के बारे में पहले से निर्णय ले ले। यह पूर्णतः असंगत बात है।

महोदय, आप स्वीकार करेंगे कि मैं ढंग की बात कह रहा हूं तथा वह मानी जानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन देता है तो शर्त यह है कि जमानत तब दी जाये जब न्यायालय अनुभव करे कि व्यक्ति अपराधी नहीं है। आप किसी मामले पर पहले निर्णय कैसे ले सकते हैं? दूसरी शर्तें ठीक हैं। दूसरी शर्तों पर मुझे आपत्ति नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति द्वारा दूसरा अपराध किए जाने की संभावना नहीं है, इत्यादि। परन्तु यह विशेष बात हमारे कानूनों के साथ उपहास है। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर तर्क करता हूं कि वह इस कानून से पैदा हो रही उपहासपूर्ण स्थिति पर विचार करे।

**श्री ए० के० सेन** : श्री बनातवाला सदा अपनी अभिव्यक्ति बलपूर्वक करते हैं परन्तु मैं उनका ध्यान उच्चतम न्यायालय तथा हाऊस आफ लार्ड्स के कुछ निर्णयों की ओर दिलाऊंगा। जब वह मुझे निजी तौर पर मिलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि भाषा बिल्कुल वही है, यह मानने के

लिए समुचित आधार हैं कि जमानत की दरखास्त पर न्यायनिर्णय के उद्देश्य से वह दोषी है। उच्चतम न्यायालय तथा हाऊस आफ लार्ड्स द्वारा बिल्कुल यही कसौटी निर्धारित की गई थी।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री डागा जी, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे है ?

**श्री मूल चन्द डागा** : मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं कर रहा।

**अध्यक्ष महोदय** : इससे मैं संतुष्ट नहीं। या तो आप वापस लें अथवा पेश करें।

**श्री मूल चन्द डागा** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य द्वारा संशोधन वापस लेने पर सभा की अनुमति है ?

**माननीय सदस्यगण** : जी हां।

**संशोधन संख्या 17, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री बनातवाला के संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

**संशोधन संख्या 47, 48 और 49 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड 17 (नया)**

**श्री हरुभाई मेहता** (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 24 के **पश्चात**, निम्नलिखित **जोड़ा** जाये :—

"17. क-कोई भी न्यायालय, जिसमें अभिहित न्यायालय भी शामिल हैं, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्वीकृति या पुलिस की रिपोर्ट पर के सिवाय, इस अधिनियम के दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।" (6)

महोदय, मैं यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए रख रहा हूं कि प्राइवेट शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर की गई जटिल किस्म की शिकायतों से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। गुजरात में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के अपने कर्त्तव्यों को पालन करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी प्राइवेट शिकायतों के आधार पर न्यायालयों में मुकदमे चलाये गये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करें।

**श्री ए० के० सेन** : मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मेहता, क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं।

**श्री हरुभाई मेहता** : मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

**माननीय सदस्यगण** : जी हां।

**संशोधन संख्या 6, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।**

**खण्ड 18** राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने की केन्द्रीय सरकार की सक्षमता और शक्तियों का प्रयोजन

**श्री सी० माधव रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 12,—

(i) पंक्ति 25 से 38 तक का **लोप किया जाये**।

(ii) पंक्ति 39,—

"(3)" **के स्थान पर** "18" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (7)

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 38 **के पश्चात**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :—

"परन्तु ऐसा कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा विहित श्रेणी से नीचे का नहीं होगा।" (50

**श्री ए० के० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 12, पंक्ति 30,—

"ऐसी किसी शक्ति" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"ऐसी किसी शक्ति (जो धारा 5 के अधीन नियम बनाने की शक्ति से भिन्न है)" (59)

पृष्ठ 12,

'पंक्ति 34 से 37 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"(क) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जो उस सरकार के उप सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है, या

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जो उप-खंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है।"

(60)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 25 से 28 तक का **लोप किया जाए**। (102)

महोदय, मैं संशोधन संख्या 103 और 104 पेश नहीं कर रहा हूं।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) "स्वीकृति" के स्थान पर "परामर्श" उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अतः मैं अपना संशोधन संख्या 115 नहीं रखना चाहता।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। श्री भट्टम आपका संशोधन संख्या 129 वही है जो कि 102 अतः इसे नहीं रखा जा सकता।

सरकार की ओर से एक संशोधन संख्या 159 है, जो कि पहले रखे गये संशोधन संख्या 59 और 60 से पृथक है। अब वह उसे पेश करें।

**श्री ए० के० सेन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12, पंक्ति, 26,

"केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्द के पश्चात् "राज्य सरकार से परामर्श के बाद" शब्द अंत:स्थापित किये जायें। (159)

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सी० माधव रेड्डी—क्या आप अपने संशोधन पर बोलना चाहते हैं ?

**श्री सी० माधव रेड्डी :** महोदय, मैं पहले ही अपना संशोधन पेश कर चुका हूं। राज्य सरकार से परामर्श से हमारी संतुष्टि नहीं होगी। यदि मंत्री महोदय इसे राज्य सरकार की सहमति से कर दें तो मैं इसे वापस ले सकता हूं।

**श्री जी० एम० बनातवाला :** अध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं पहले ही अपना संशोधन रख चुका हूं।

अंत में मुझे कुछ संतोष है कि मेरे संशोधन संख्या 50 का उद्देश्य, मंत्री महोदय द्वारा अधिनियम के अधीन शक्तियों के उपयोग के बारे में अधिकारियों के निर्धारण से पूरा हो जाता है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं संशोधन संख्या 50 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** मैं "परामर्श" शब्द से संतुष्ट नहीं हूं, परामर्श शब्द का सम्मिलित किया जाना भी राज्य सरकार में अविश्वास की भावना व्यक्त करता है। आतंकवाद का मुकाबला करना भी राज्य सरकारों का कार्य है। यदि कोई आतंकवादी आतंक फैलाते हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए हमारे देश में बहुत से तरीके हैं। परन्तु महोदय इतने सारे पूर्वानुमान क्यों लगाये जाते हैं तथा केन्द्र राज्य के मध्य भेदभाव क्यों पैदा किये जा रहे हैं ?

**श्री ए० के० सेन :** मैं पहले ही सरकारी संशोधन संख्या 159 पेश कर चुका हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मूल संशोधन संख्या 59 और 60 थे। इसके अतिरिक्त आपने संशोधन संख्या 159 भी रखा है। अब सरकारी संशोधनों की संख्या 3 हो गई है। क्या आप माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये मुद्दों का उत्तर देना चाहेंगे ?

**श्री ए० के० सेन :** मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह केवल आकस्मिकता का सामना करने के लिए है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया एकमात्र शक्ति राज्य उच्च न्यायालय की अनुमति से अभिहित न्यायालय नियुक्त करने की है।

यदि इस शक्ति का उपयोग केन्द्र भी करता है तो उन्हें राज्य उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है।

अत: इस शक्ति का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाये उन्हें राज्य उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है। अत: हम आकस्मिकता के लिए उपबन्ध कर रहे हैं, मान लो राज्य सरकार अभिहित न्यायालय नियुक्त नही करती तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से परामर्श तथा राज्य उच्च न्यायालय की मंजूरी से उसे स्थापित कर सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या 50, 60 और 159 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 12, पंक्ति 30,—

"ऐसी किसी शक्ति" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए—**

"ऐसी किसी शक्ति (जो धारा 5 के अधीन नियम बनाने की शक्ति से भिन्न है)।"

(59)

पृष्ठ 12,

पंक्ति 34 से 37 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए—**

"(क) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जो उस सरकार के उप सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है, या

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जो उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है,"

(60)

पृष्ठ 12, पंक्ति, 26,—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्दों के पश्चात् "राज्य सरकार से परामर्श के बाद" **शब्द अन्त: स्थापित** किये जायें। (159)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**अध्यक्ष महोदय**: सरकारी संशोधन संख्या 59, 60 तथा 159 स्वीकृत हुए।

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : मुझे अपने संशोधन संख्या 50 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें अपने संशोधन संख्या 50 को वापस लेने की सभी की अनुमति है?

**माननीय सदस्य** : हां।

**संशोधन संख्या 50, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।**

**अध्यक्ष महोदय** : सरकारी संशोधन संख्या 59, 60 और 159 को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। अब मैं अन्य सदस्यों द्वारा रखे गये सभी अन्य संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 7 और 102 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : अब, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 18, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 19**—उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति

**श्री एन० वेंकटरत्नम** (तेनाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13, पंक्ति 1,—

"अधिसूचना द्वारा," शब्दों के पश्चात, "केवल पक्रियात्मक प्रकार के," शब्द अतः स्थापित किये जायें । (27)

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं, श्री एन० वी० रत्नम द्वारा रखे गये संशोधन सं० 27 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक आ अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 20 से 23 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**खण्ड 24**—अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही को संरक्षण

**अध्यक्ष महोदय** : श्री चौधरी जी क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : मैं अपने संशोधन को पेश नहीं कर रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 24 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड 1**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री जी० एल० डोगरा और श्री मूल चन्द डागा । वे अपने संशोधनों को पेश नहीं कर रहे हैं ।

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

(i) पंक्ति 7,—

"दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छः महीने" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

(ii) पंक्ति 8,—

"इस उपधारा के प्रवर्तन के अधीन इसकी समाप्ति,—" शब्दों का **लोप किया जाए।**

पंक्ति 11, 14, 18 और 12 में "पर" शब्द का तथा पंक्ति 22 में "प्रभाव नहीं डालेगी" शब्दों का **लोप किया गया।**

(iii) पृष्ठ 2,—

पंक्ति 9 से 25 तक का **लोप किया जाए।** (28)

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : मैं अपने संशोधन संख्या 52 को पेश नहीं कर रहा हूं।

**श्री अमल दत्त** : मैं अपने संशोधन सं० 76 को पेश नहीं कर रहा हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : चूंकि मन्त्री महोदय स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं; मैं अपने संशोधन संख्या 106 को पेश नहीं कर रहा हूं।

**श्री विजय कुमार यादव** : मैं अपने संशोधन संख्या 130 को पेश नहीं कर रहा हूं।

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के कारण मैं अपने संशोधन संख्या 146 को पेश नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं अपने संशोधन संख्या 147 और 148 को पेश कर रहा हूं।

यह संशोधन हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होता। (147)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 22 से 25 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए,— अर्थात्,—**

"और कोई ऐसी विधिक कार्यवाही जारी रखी जा सकती है और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड लगाया जा सकता है, मानो यह अधिनियम समाप्त नहीं था।"

(148)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक खण्ड 1 के मेरे संशोधन सं० 147 का संबंध है, यह तो प्रस्तावित अधिनियम का एक परन्तुक मात्र है क्योंकि आतंकवादी क्रियाकलापों के सम्बन्ध में, प्रस्तावित अधिनियम जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा। यहां इसका सम्बन्ध न केवल आतंकवादी क्रियाकलापों से है, परन्तु विध्वंसकारी क्रियाकलापों से भी है। इसमें आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों को पारिभाषित किया गया है। खण्ड 3 में आतंकवादी क्रियाकलापों को परिभाषित किया गया है और खण्ड 4 में विध्वंसकारी को। यथास्थिति, इसका अर्थ होगा कि विध्वंसकारी क्रियाकलाप से सम्बन्धित उपबन्ध जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होंगे, अतः, मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं खण्ड 1 में रखे गये सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 28, 147 और 148 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

ऐसा करते समय, मैं सभा से अपनी सर्वसम्मत अनुमति इस विधेयक पर देने का एक बार फिर अनुरोध करूंगा और इसमें उनका पूर्ण समर्थन चाहूंगा। इसका प्रभाव ऐतिहासिक होगा और इस प्रकार की गम्भीर एवं जटिल समस्या को हल करने में प्रधान मंत्री महोदय के हाथ मजबूत करेगा। हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे जीवन काल में सारे देश में शान्ति स्थापित हो जाए और विशेषकर देश के उस भाग में जहां पर हम इतने परेशान हैं और हमें कामना करनी चाहिये कि इस कठिन समस्या को हल करने के प्रयास में भगवान प्रधान मन्त्री को हौसला दें। हमें आशा करनी चाहिये कि शीघ्र ही इस सदन को सूचित किया जायेगा कि सारी समस्या को संतोषजनक ढंग से सुलझा लिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, हम इस दीर्घकालीन और श्रमसाध्य सत्र की समाप्ति पर पहुंच रहे हैं और सभा के नेता को धन्यवाद देने में मुझे प्रसन्नता हो रही है।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : मैंने समझा कि आप कोई स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह ऐसा ही लगता है। मुझे सदन के नेता, संसदीय विभाग के प्रभारी मन्त्री महोदय, विपक्ष के सभी नेताओं और इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यो को, उनके द्वारा दिए गये सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

मुझे बड़ा भारी गर्व है कि मुझे विश्व के उस सबसे बड़े लोकतान्त्रिक संस्थान की अध्यक्षता करने का सम्मान प्राप्त हुआ है, जो अपने कार्य में खरा उतरा है और इस महान राष्ट्र की सेवा करता जाता है। मुझे आप पर बहुत विश्वास है और सभा में आपके आचरण पर मुझे गर्व है। आपने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया है और इसी प्रकार मेरे कर्मचारियों ने भी। उनके सहयोग के लिए मैं उनका भी धन्यवादी हूं। हमने बहुत ही अच्छी बातचीत की है। युवा सदस्य जो कि पहली बार आए हैं, मेरे विचार से उनमें से अधिकतर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे आशा है कि

भविष्य में वे और भी अधिक कार्य करेंगे और वैसा ही चमकेंगे जैसा कि उन्हें चाहिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे स्वयं अपना नाम और इस सदन का नाम ऊंचा करेंगे।

एक बार फिर आपका धन्यवाद और हम मध्यावकाश के बाद मिलेंगे।

**श्री विनेश सिंह** (प्रतापगढ़) : हम अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद करते हैं, इसे भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमानजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**6.55 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।**

नरेंद्र प्रिंटिंग प्रैस, नई दिल्ली-5

पी० एल० एम०—48/6/48/85 (एन०)
210

© 1985 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और नरेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।